क्र. सं.	राष्ट्रीय किसान नीति, 2007 पैरा संख्या और संक्षेप में नीतिगत प्रावधान और प्राथमिक जिम्मेवारी (पीआर) अथवा प्राथमिक समन्वयन (पीसी) वाले मंत्रालय/विभाग	कार्य योजना	
		पहले से कार्यान्वित अथवा कार्यान्वयनाधीन स्कीम/कार्यक्रम/कार्य	की जाने वाली आगे की कार्रवाई/किए जाने वाले प्रयास तथा कार्रवाई हेतु एजेन्सी/समन्वयक
1.	**पैरा 4.1– परिसम्पत्ति सुधार** परिसम्पत्ति सुधार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि गांवों में प्रत्येक किसान परिवार के पास उत्पादक परिसम्पत्ति यथा भूमि, पशुधन, मत्स्य पोखर, वासभूमि फार्म इत्यादि हो और/अथवा इन परिसम्पत्तियों तक पहुंच हो और/अथवा उद्यम के माध्यम से आय और/अथवा मण्डी उन्मुख कुशलता हो ताकि पारिवारिक आय को संधारणीय आधार पर पर्याप्त रूप से बढ़ाई जा सके। इनसे पोषाहार और आजीविका सुरक्षा और उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी जरूरतें पूरी होंगी। **(कृषि एवं सहकारिता विभाग, भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, पशुपालन, डेयरी और मात्स्यिकी विभाग)**	• ऐसे ग्रामीण निर्धन, भूमि वितरण के तहत जिनके पास कोई भी भूमि अथवा मकान नहीं है, को कृषि भूमि और वासभूमि फार्म के वितरण के लिए विभिन्न कार्यक्रम और अन्य स्कीमें विभिन्न राज्यों द्वारा लगातार क्रियान्वित की जा रही है। अधिकतम अधिशेष भूमि का वितरण, सरकार की बंजर भूमि और भूदान भूमि, भूमि सुधार नीति का अभिन्न अंग है। 49.65 लाख एकड़ अधिकतम अधिशेष भूमि, सरकार की 153.22 लाख एकड़ बंजर भूमि और 16.66 लाख एकड़ भूदान भूमि पात्र ग्रामीण निर्धन को वितरित की गई। • राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम (एनआरईजीए) 2006 को ग्रामीण निर्धन की टिकाऊ परिसम्पत्तियां सृजित करने और आजीविका संस्थान आधार को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से एवं प्रत्येक परिवार को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में गारण्टीयुक्त मजदूरी रोजगार के कम से कम 100 दिनों की व्यवस्था करने के लिए लागू किया गया। यह स्कीम दिनांक 1.4.2008 से देश में सभी जिलों को शामिल करने के लिए बढ़ाई गई है। • सरकार पात्र ग्रामीण निर्धन को मकान देने के लिए इंदिरा आवास योजना क्रियान्वित कर रही है। • राज्यों की संबंधित सरकारों और केन्द्र सरकार की	• वर्तमान स्कीमों के अंतर्गत किसानों और किसान परिवारों के सदस्यों को प्रशिक्षण का प्रावधान बढ़ाया जाएगा ताकि उद्यमों सहित मण्डी उन्मुख दक्षताओं की व्यवस्था की जा सके, जिनको औपचारिक तौर पर प्रमाणित किया/मान्यता दी जा सकती है और जिससे प्रशिक्षित व्यक्तियों के स्व–रोजगार को आसान बनाया जा सकें। **(कार्रवाईः ग्रामीण विकास विभाग/एमओएमएसएमई/डीएसी)** • चालू स्कीमों के अंतर्गत बैंक ऋणों से अथवा बैंकों से अथवा किसी अन्य माध्यम से प्रशिक्षित व्यक्तियों का स्व–रोजगार सुनिश्चित किया जाना चाहिए। **(कार्रवाईः ग्रामीण विकास विभाग/एमओएमएसएमई/डीएसी)** • स्वरोजगार और आय सृजन के लिए किसानों का अंतरिम वित्तपोषण करने के लिए पनधारा विकास समितियों, पानी पंचायतों, पंचायतों, किसानों के स्वावलम्बी समूहों आदि को आवर्तक निधि का प्रावधान, बशर्ते बैंकों द्वारा प्रतिपूर्ति अथवा लाभानुभोगियों द्वारा वापस अदायगी की जाए। **(कार्रवाईः भूमि संसाधन विभाग/कृषि एवं सहकारिता विभाग)**

क्र. सं.	राष्ट्रीय किसान नीति, 2007 पैरा संख्या और संक्षेप में नीतिगत प्रावधान और प्राथमिक जिम्मेवारी (पीआर) अथवा प्राथमिक समन्वयन (पीसी) वाले मंत्रालय/विभाग	कार्य योजना	
		पहले से कार्यान्वित अथवा कार्यान्वयनाधीन स्कीम/कार्यक्रम/कार्य	की जाने वाली आगे की कार्रवाई/किए जाने वाले प्रयास तथा कार्रवाई हेतु एजेन्सी/समन्वयक
		कई चालू स्कीमों जैसे केवीआईसी/आरईजीपी/एसजीएसवाई/एटीएमए आदि के अंतर्गत पात्र किसानों को प्रशिक्षण। • पात्र किसानों को राजसहायता के साथ अथवा उनके बिना स्व–रोजगार के लिए परिसम्पत्ति प्रदान करने के लिए बैंक ग्राह्य स्कीमों को केन्द्र और राज्यों द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। • पात्रता मापदण्ड के अनुसार शिक्षित युवा के स्व–रोजगार के लिए पीएमआरवाई स्कीम। • ग्रामीण विकास विभाग (डीओआरडी) के अंतर्गत एसजीएसवाई के अधीन दक्षता आधारित प्रशिक्षण और ऋणों का प्रावधान। • पशुधन क्षेत्र के लिए ग्यारहवीं योजना का लक्ष्य 6 से 7 प्रतिशत प्रति वर्ष का समग्र विकास है जिसमें दुग्ध समूह द्वारा 5 प्रतिशत विकास और माँस एवं कुक्कुट समूह द्वारा 10 प्रतिशत विकास प्राप्त करना शामिल है। इससे छोटे और सीमांत किसानों और भूमिहीन श्रमिकों को लाभ मिलता है, जो देश में अधिक संख्या में पशुधन रखते हैं। यह क्षेत्र ग्रामीण आबादी को अतिरिक्त रोजगार अवसर भी देता है, विशेषकर उन महिलाओं को जो परिवार में पशुधन की देखभाल करती हैं। • पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा विभिन्न स्कीमें जैसे "डेयरी/कुक्कुट उद्यम पूंजी निधि" और	• राज्य सहकारी बैंकों को आरकेवीवाई/बृहत प्रबंधन के अधीन अथवा कृषि एवं सहकारिता विभाग की मौजूदा स्कीमों के अधीन कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा और/अथवा नाबार्ड द्वारा सहायता दी जाएगी ताकि किसान समूहों/संगठनों के जरिए विभिन्न कृषि संबंधी उद्यमों के अधीन प्रशिक्षित किसानों के स्व–रोजगार को बढ़ावा दिया जा सके और प्रशिक्षित किया जा सके। **(कार्रवाईः कृषि एवं सहकारिता विभाग/नाबार्ड)** • वित्त मंत्रालय नाबार्ड, एसआईडीबीआई और बैंकों को नाबार्ड, एसआईडीबीआई और बैंकों के चालू कार्यक्रमों के अधीन किसान परिवारों के लिए उत्पादक परिसम्पत्तियों के जरिए दक्षता विकास और स्व–रोजगार को बढ़ावा देने के लिए अनुदेश देगा। **(कार्रवाईः एमओएफ/डीएसी)** • एसएयू, केवीके, मैनेज और अन्य प्रशिक्षण संस्थाओं को मण्डी आधारित दक्षताओं के लिए प्रशिक्षण देने के लिए पहचाना जाए, जिनको एसएयू द्वारा डिप्लोमा/प्रमाणन पाठ्यक्रमों के रूप में प्रमाणित किया/मान्यता दी जा सकती है। **(कार्रवाईः डेयर)**

क्र. सं.	राष्ट्रीय किसान नीति, 2007 पैरा संख्या और संक्षेप में नीतिगत प्रावधान और प्राथमिक जिम्मेवारी (पीआर) अथवा प्राथमिक समन्वयन (पीसी) वाले मंत्रालय/विभाग	कार्य योजना	
		पहले से कार्यान्वित अथवा कार्यान्वयनाधीन स्कीम/कार्यक्रम/कार्य	की जाने वाली आगे की कार्रवाई/किए जाने वाले प्रयास तथा कार्रवाई हेतु एजेन्सी/समन्वयक
		"मीठे पानी संबंधी जलकृषि के विकास" क्रियान्वित की जा रही हैं, ताकि डेयरी, कुक्कुट और मात्स्यिकी में परिसम्पत्ति सृजन के लिए राजसहायता दी जा सके। • फिलहाल क्रियान्वित किए जा रहे राष्ट्रीय गोपशु और भैंस प्रजनन कार्यक्रम और गोपशु के कृत्रिम निषेचन कार्यक्रम परिसम्पत्ति के रूप में पशुधन में वृद्धि करेंगे। • चारा ब्लाक निर्माता यूनिटों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए, निवेश लागत के 25 प्रतिशत तक सहायता नाबार्ड/राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा मूल्यांकित बैंक ग्राह्य परियोजना के संबंध में दी जाती है। • पशुपालन और डेयरी विभाग ने ग्राम स्तर पर उत्पादित कच्चे दूध की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए नई सीएसएस शुरू की अर्थात् ''गुणवत्ताप्रद और शुद्व दुग्ध उत्पादन के लिए अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण'' • परम्परागत कला का आधुनिकीकरण, मीठे जल के साथ–साथ खारे पानी की जल–कृषि का विकास और पशुपालन और डेयरी विभाग की मात्स्यिकी एवं जल–कृषि के विकास संबंधी कई वर्तमान स्कीमें ग्रामीण आबादी के लिए परिसम्पत्ति सृजन, रोजगार अवसरों और विपणन दक्षताओं के लिए	• एटीएमए स्कीम की एग्री–क्लिनिकों और एग्री–बिजनेस स्कीमों के लिए प्रावधानों में वृद्धि करके अधिक तत्परता से दक्षता आधारित प्रशिक्षण शुरू करने के लिए समीक्षा की जाएगी, यदि आवश्यक हो तो। **(कार्रवाईः कृषि एवं सहकारिता विभाग)** • एसजीएसवाई के अधीन दक्षता विकास को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। **(कार्रवाईः ग्रामीण विकास विभाग)** • एनआरईएलीए और पनधारा विकास कार्यक्रमों के बीच समभिरूपता को प्राथमिकताबद्ध किया जाना चाहिए तथा पीआरआई को उपयोग करके क्षेत्रीय स्तर पर सुनिश्चित किया जाना चाहिए। **(कार्रवाईः ग्रामीण विकास विभाग/भूमि संसाधन विभाग/एमओपीआर)** • कटाई–पश्चात् प्रबंधन, बेहतर विपणन अवसरों के लिए गुणवत्ता प्रमाणन में सुधार करने, किसानों के लिए गुणवत्ताप्रद सेवा और कृषि–सेवा केन्द्रों का प्रबंधन करने आदि क्षेत्रों में किसानों और युवाओं के लिए दक्षता आधारित प्रशिक्षण को आरकेवीवाई के अधीन प्राथमिकता के आधार पर शुरू किया

क्र. सं.	राष्ट्रीय किसान नीति, 2007 पैरा संख्या और संक्षेप में नीतिगत प्रावधान और प्राथमिक जिम्मेवारी (पीआर) अथवा प्राथमिक समन्वयन (पीसी) वाले मंत्रालय/विभाग	कार्य योजना	
		पहले से कार्यान्वित अथवा कार्यान्वयनाधीन स्कीम/कार्यक्रम/कार्य	की जाने वाली आगे की कार्रवाई/किए जाने वाले प्रयास तथा कार्रवाई हेतु एजेन्सी/समन्वयक
		व्यवस्था करते हैं। • अंतरभूमि मत्स्य उत्पादन बढ़ाने के लिए, राजसहायता के रूप में सहायता मत्स्य पोखरों के निर्माण, पोखरों और टैंकों के पुनः उद्धार/नवीकरण, समेकित मत्स्यकृषि, बहते जल द्वारा मत्स्य उत्पादन, मत्स्य बीज हैचारियों और मछली के लिए भोजन आदि के लिए दी जाती है, जिससे मछली पकड़ने वालों के लिए परिसम्पत्तियां सृजित होती हैं। • राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड को पर्याप्त रोजगार के सृजन के मूलभूत उद्देश्य में से एक के रूप में स्थापित किया गया। • ग्यारहवीं योजना के दौरान आयुष विभाग द्वारा क्रियान्वयन के लिए 630 करोड़ रूपये के कुल परिव्यय से नई केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम प्रस्तावित है ताकि अभिज्ञात क्षेत्रों में लगभग एक लाख हैक्टेयर भूमि में औषधीय पौधों की खेती, मूल्य वर्धन, प्रसंस्करण, भाण्डागारण और विपणन का समर्थन किया जा सके, जिससे किसानों को बेहतर लाभ मिलेंगे। यह स्कीम विकसित विपणन अवसंरचना के लिए जड़ी–बूटी मंडियों और एग्री–मण्डियों का समर्थन करने और किसानों के क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण हेतु सहायता भी देती है। • खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ग्यारहवीं योजना	जाएगा। इस क्रियाकलाप को जिला/ब्लॉक/ग्राम पंचायतों द्वारा समन्वित किया जा सकता है। **(कार्रवाईः कृषि एवं सहकारिता विभाग/डेयर)** • आरकेवीवाई/एटीएमए कार्यक्रमों के अधीन सूखा और बाढ़ स्थितियों से निपटने के उपायों पर और किसानों को गुणवत्ताप्रद सलाह/सेवा देने के लिए कमजोर तबकों से महिलाओं और सदस्यों पर विशेष ध्यान देते हुए पंचायतों के इच्छुक निर्वाचित सदस्यों को प्रशिक्षण (विशेषकर संधारणीय कृषि पद्धतियों, कटाई पश्चात् प्रबंधन और मूल्य वर्धन, प्रसंस्करण और विपणन के लिए) दिया जाना चाहिए। **(कार्रवाईः कृषि एवं सहकारिता विभाग)** • आरकेवीवाई के अधीन एसएयू/केवीके और अन्य सक्षम संस्थाओं को अपनी प्रशिक्षण अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण के लिए सहायता दी जाएगी। **(कार्रवाईः कृषि एवं सहकारिता विभाग)** • एमओईएफ कृषि–वानिकी को बढ़ावा देने के लिए उचित समर्थन तंत्र तैयार करेगा।

क्र. सं.	राष्ट्रीय किसान नीति, 2007 पैरा संख्या और संक्षेप में नीतिगत प्रावधान और प्राथमिक जिम्मेवारी (पीआर) अथवा प्राथमिक समन्वयन (पीसी) वाले मंत्रालय/विभाग	कार्य योजना	
		पहले से कार्यान्वित अथवा कार्यान्वयनाधीन स्कीम/कार्यक्रम/कार्य	की जाने वाली आगे की कार्रवाई/किए जाने वाले प्रयास तथा कार्रवाई हेतु एजेन्सी/समन्वयक
		में मेगा फूड पार्कों, समेकित शीत श्रृंखलाओं, मूल्य वर्धित केन्द्रों और रणनीतिक वितरण केन्द्रों की स्थापना के लिए अवसंरचना विकास हेतु स्कीम का प्रस्ताव देता है। इस स्कीम का लक्ष्य किसानों, प्रसंस्करणकर्त्ताओं और फुटकर विक्रेताओं को एक साथ लाने तथा कृषि उत्पादन को मंडी से जोड़ने के लिए तंत्र की व्यवस्था करना है ताकि मूल्य वर्धन को अधिक से अधिक किया, बर्बादी को कम से कम किया, ग्रामीण क्षेत्र में किसानों की आय को बढ़ाया और रोज़गार के अत्यधिक अवसर पैदा किए जा सकें। • राष्ट्रीय बांस मिशन बांस और बांस आधारित हस्तशिल्पों के विपणन को भी बढ़ावा देता है। यह मिशन दक्ष और अदक्ष व्यक्तियों, विशेषकर बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार अवसरों को पैदा करने के लिए भी है। केवल रोपण संकर्म द्वारा ही 50.4 मिलयन मानवदिवस का रोजगार देना किसानों को एक लाभ है। • राष्ट्रीय बागवानी मिशन कार्यक्रम के अधीन, किसानों को नए बागों की स्थापना के रूप में लाभ मिलेगा जिससे किसान की आय में वृद्धि होगी। • कटाई–पूर्व और कटाई–पश्चात प्रबंधन, मंडियों, मूल्य वर्धन श्रृंखलाओं आदि के लिए अवसंरचना	

क्र. सं.	राष्ट्रीय किसान नीति, 2007 पैरा संख्या और संक्षेप में नीतिगत प्रावधान और प्राथमिक जिम्मेवारी (पीआर) अथवा प्राथमिक समन्वयन (पीसी) वाले मंत्रालय/विभाग	कार्य योजना	
		पहले से कार्यान्वित अथवा कार्यान्वयनाधीन स्कीम/कार्यक्रम/कार्य	की जाने वाली आगे की कार्रवाई/किए जाने वाले प्रयास तथा कार्रवाई हेतु एजेन्सी/समन्वयक
		की स्थापना किसानों को बागवानी उत्पाद का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने, कटाई पश्चात् हानि कम करने और उनके उत्पाद के लिए लाभप्रद मूल्य सुनिश्चित करने में भी मदद करेगी। • कृषि विपणन अवसंरचना, ग्रेडिंग और मानकीकरण का विकास/सुदृढ़ीकरण स्कीम अक्तूबर 2004 से चल रही है। इस स्कीम के अधीन, किसानों सहित उद्यमियों को वित्तीय सहायता दी जाती है ताकि कटाई पश्चात् प्रबंधन की जरूरतों को पूरा करने के लिए विपणन अवसंरचना परियोजनाओं को तैयार किया जा सके। किसान अपनी आय बढ़ाने के लिए ऐसी परिसम्पत्तियां बना सकते हैं। • विश्व स्तरीय दक्ष श्रमिक कार्यबल तैयार करने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया गया है। देश भर में स्थित आईटीआई और आईटीसी के नेटवर्क को प्रशिक्षण पाठयक्रम दिए जाते हैं। • व्यावसायिक शिक्षा और दक्षता विकास संबंधी मिशन शीघ्र ही शुरू किया जाएगा। इसके परिणामस्वरूप लगभग एक करोड़ विद्यार्थी व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे, जो वर्तमान स्तर से चार गुना वृद्धि होगी।	

क्र. सं.	राष्ट्रीय किसान नीति, 2007 पैरा संख्या और संक्षेप में नीतिगत प्रावधान और प्राथमिक जिम्मेवारी (पीआर) अथवा प्राथमिक समन्वयन (पीसी) वाले मंत्रालय/विभाग	कार्य योजना	
		पहले से कार्यान्वित अथवा कार्यान्वयनाधीन स्कीम/कार्यक्रम/कार्य	की जाने वाली आगे की कार्रवाई/किए जाने वाले प्रयास तथा कार्रवाई हेतु एजेन्सी/समन्वयक
2.	**पैरा 4.2 परिसम्पत्ति सुधार–भूमि** • भूमि सुधार से संबंधित कानूनों को लागू करने में सुदृढ़ता लाने के लिए, जिसमें विशेषकर काश्तकारी कानूनों, भूमि को पट्टे पर देने, अधिकतम अधिशेष भूमि और बंजर भूमि के वितरण, सामान्य सम्पत्ति और बंजर भूमि संसाधनों आदि तक पर्याप्त पहुंच प्रदान करने पर ध्यान दिया जाए। • महिलाओं को भूमि अधिकार देने के बाद महिला किसानों के लिए उपयुक्त समर्थन सेवाएं अनिवार्य बन गईं, जैसे ऋण और अन्य सेवाएं प्राप्त करने के लिए महिलाओं हेतु अनिवार्य वास–भूमि और कृषिगत भूमि दोनों के लिए संयुक्त पट्टे। • भूमि अधिग्रहण अधिनियम की समीक्षा क्षतिपूर्ति के आकलन के संदर्भ में की जाए। • कृषि के लिए प्रमुख कृषिगत भूमि का कृषि के लिए संरक्षण किया ही जाए। • मौजूदा पुनः स्थापन नीति के अधीन प्रतिबद्धताओं को अक्षरशः पूरा करना। • कृषीतर प्रयोजनार्थ कम जैव क्षमता वाली भूमि को निर्धारित किया जाएगा तथा राज्यों को सलाह दी जाएगी कि वे कृषीतर विकासपरक क्रियाकलापों के लिए कम जैव क्षमता वाली भूमि को आबांटित करें। **(भूमि संसाधन विभाग, कृषि और सहकारिता विभाग)**	• भूमि और इसका विकास राज्यों के अधिकार–क्षेत्र में आता है तथा केन्द्र सरकार की भूमिका सलाहकार और समन्वय का कार्य करने वाली है। भूमि सुधार कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की समीक्षा ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित राज्यों के सचिवों, राजस्व मंत्रियों आदि के सम्मेलनों सहित विभिन्न मंचों पर लगातार की जाती है। • राज्य सरकारों को बार–बार यह सलाह दी जाती है कि वे कार्य योजनाओं द्वारा और विशेष अभियान चलाकर पात्र निर्धन को भूमि का वितरण करें। राज्यों को यह भी सलाह दी गई है कि वे असुरक्षित अथवा अनौपचारिक काश्तकारों की पहचान करने ताकि उनको अभिलिखित किया जा सके, उनकी बदहाली के विधायी प्रावधानों के क्रियान्वयन हेतु महिलाओं को परिसत्पत्तियों जैसे मकानों और भूमि के स्वामित्व के समान अधिकार देने और जोतों की चकबंदी हेतु प्रभावी कदम उठाएं। • भूमि संसाधन विभाग द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भूमि सुधारों के कम्प्यूटरीकरण्र, के लिए निधियां दी जा रही हैं। • ग्रामीण विकास मंत्री की अध्यक्षता में 'राज्य के कृषि संबंधी और भूमि सुधारों में अधूरे कार्य संबंधी समिति' और प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 'राष्ट्रीय	• विभिन्न स्कीमों जैसे एनआरईजीए, एसजीआरवाई, आरकेवीवाई आदि के अंतर्गत उपलब्ध निधियों में तारतम्यता स्थापित करते हुए राज्य सरकारों के जरिए बंजरभूमि विकास के लिए सुव्यवस्थित योजना /कार्यनीति तैयार की जानी चाहिए तथा विकसित बंजर भूमि, जहां तक व्यवहार्य हो, को भूमिहीन कृषि मजदूरों, अधिमान्य तौर पर स्वावलम्बी समूहों के रूप में संगठित, को वितरित किया जाएगा तथा यह अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति किसानों और महिलाओं को अधिमान्यता देते हुए किया जाएगा ताकि विकसित भूमि में संधारणीय ढंग से खेती की जा सके। इस प्रयोजनार्थ विशिष्ट दिशानिर्देश जारी किए जाएं। **(कार्रवाईः भूमि संसाधन विभाग/ ग्रामीण विकास विभाग)** • भूमि अभिलेखों और राजस्व मानचित्रों का कम्प्यूटरीकरण विशेषकर जनजातीय उप–योजना क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए। **(कार्रवाईः भूमि संसाधन विभाग)** • राष्ट्रीय और राज्य भूमि उपयोग बोर्डों को सुदृढ़ किया जाएगा ताकि मौसम और अन्य स्थितियों,

क्र. सं.	राष्ट्रीय किसान नीति, 2007 पैरा संख्या और संक्षेप में नीतिगत प्रावधान और प्राथमिक जिम्मेवारी (पीआर) अथवा प्राथमिक समन्वयन (पीसी) वाले मंत्रालय/विभाग	कार्य योजना	
		पहले से कार्यान्वित अथवा कार्यान्वयनाधीन स्कीम/कार्यक्रम/कार्य	की जाने वाली आगे की कार्रवाई/किए जाने वाले प्रयास तथा कार्रवाई हेतु एजेन्सी/समन्वयक
		भूमि सुधार परिषद' गठित किए गये हैं। भूमि सुधारों से संबंधित मुद्दों पर इन समितियों द्वारा विस्तार में चर्चा की जाएगी। • भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की समीक्षा की गई है तथा इस अधिनियम में संशोधन अन्य बातों के साथ–साथ क्षतिपूर्ति का मामला भी है। भूमि अधिग्रहण (संशोधन) विधेयक, 2007 लोक सभा में पेश किया गया है तथा फिलहाल संसद की ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के विचाराधीन है। • राष्ट्रीय पुनर्वास और पुनः स्थापन नीति 2007 भी सरकार द्वारा अनुमोदित की गई तथा दिनांक 31.10.2007 को अधिसूचित की गई। यह नीति सभी राज्यों को परिचालित की गई। यह नीति अन्य बातों के साथ–साथ बंजर भूमि, अवक्रमित भूमि और असिंचित भूमि संबंधी परियोजनाओं के लिए प्रावधान करती है। कृषीतर प्रयोजनार्थ कृषि भूमि के अधिग्रहण को कम से कम किया जाएगा, ऐसे प्रयोजनार्थ बहु फसलित भूमि का प्रयोग नहीं किया जाएगा तथा सिंचित भूमि का अधिग्रहण कम से कम करा जाए, यदि ऐसा करना ही पड़े तो। इसके अलावा परियोजना के लिए भूमि का अधिग्रहण करने से पहले संबंधित सरकार को ऐसे विकल्पों पर ध्यान देना चाहिए जो कृषीतर	जिसमें व्यापार और विपणन मुद्दे शामिल हैं, को ध्यान में रखते हुए किसानों को संधारणीय ढंग से संभावित भूमि प्रयोग पर गुणवत्ताप्रद परमार्श पहल करके दिया जाए। बोर्ड को कृषितर प्रयोजनार्थ कृषिगत भूमि के प्रयोग पर नजर रखते हुए तथा कृषितर प्रयोजनों के लिए भूमि प्रदान करने के लिए कम जैव क्षमता वाली भूमि की पहचान करते हुए भूमि के संधारणीय प्रबंधन को बढ़ावा देना चाहिए, जो ग्रामीण क्षेत्रों में कृषितर रोजगार के लिए अनिवार्य है। **(कार्रवाईः कृषि और सहकारिता विभाग)** • भूमि अधिग्रहण अधिनियम और राष्ट्रीय पुनर्वास और पुनःस्थापन नीति/अधिनियम में संशोधन समतुल्य बंजरभूमि के विकास की लागत केभुगतान की व्यवस्था करेंगे ताकि इस विधान के अधीन प्रदान की जा रही क्षतिपूर्ति के अलावा कृषितर अथवा औद्योगिक प्रयोजनार्थ कृषिगत भूमि के प्रयोग के लिए क्षतिपूर्ति की जा सके। **(कार्रवाईः भूमि संसाधन विभाग)** • राज्य भूमि उपयोग बोर्ड राज्य सरकारों द्वारा बनाए जाने वाले इस कोष के प्रभावकारी उपयोग को मॉनीटर करेंगे। इस कोष का अधिक से अधिक

क्र. सं.	राष्ट्रीय किसान नीति, 2007 पैरा संख्या और संक्षेप में नीतिगत प्रावधान और प्राथमिक जिम्मेवारी (पीआर) अथवा प्राथमिक समन्वयन (पीसी) वाले मंत्रालय/विभाग	कार्य योजना	
		पहले से कार्यान्वित अथवा कार्यान्वयनाधीन स्कीम/कार्यक्रम/कार्य	की जाने वाली आगे की कार्रवाई/किए जाने वाले प्रयास तथा कार्रवाई हेतु एजेन्सी/समन्वयक
		परियोजनाओं के लिए कृषि भूमि के अधिग्रहण को कम से कम स्तर तक रखें। • नीति को वैधानिक संरक्षण प्रदान करने के लिए, पुनर्वास और पुनःस्थापन विधेयक 2007 लोक सभा में पहले ही पेश कर दिया गया है। • बृहत् कृषि प्रबंधन के जरिए केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रम राज्य भूमि उपयोग बोर्ड' क्रियान्वित किया जा रहा है। इसके अधीन राज्यों को सलाह दी गई है कि वे भूमि के वैज्ञानिक प्रयोग के लिए उचित कदम उठाएं तथा कृषीतर प्रयोजनार्थ कृषि भूमि के प्रयोग को रोकें। • राष्ट्रीय कृषि विकास परिषद की उप समिति ने यह भी सिफारिश की कि उत्पादक कृषि भूमि के प्रयोग को औद्योगिकरण अथवा शहरीकरण के लिए अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इसने यह भी सिफारिश की कि क्षतिपूर्ति उस मामले में दी जाए यदि कृषि भूमि अन्य विकासात्मक परियोजनाओं के लिए दी जाती है, अर्थात् कहीं और समतुल्य अवक्रमित अथवा बंजर भूमि के उपचार और पूर्ण विकास के लिए क्षतिपूर्ति।	उपयोग करके बंजरभूमि विकास परियाजनाओं के क्रियान्वयन का कार्य उन लाभानुभोगी समूहों के जरिए किया जाना चाहिए जिन्हें विकास के बाद खेती के लिए भूमि आवांटित की जाएगी। **(कार्रवाईः कृषि और सहकारिता विभाग)** • भूमि संसाधन विभाग/राज्य सरकारें बंजरभूमि अथवा अवक्रमित भूमि की शीघ्र पहचान करेंगे जहां ग्रामीण कृषितर क्रियाकलापों को बढ़ावा दिया जा सकता है। अभिज्ञात भूमि में ऐसे क्रियाकलाप सुकर बनाने के लिए आवश्यक अवसंरचनात्मक विकास किया जाना चाहिए। राज्यों को तदनुसार सलाह दी जाएगी। **(कार्रवाईः भूमि संसाधन विभाग)** • राज्य भूमि उपयोग बोर्ड कृषितर प्रयोजार्थ मुख्य कृषि भूमि के प्रयोग से संबंधित मामलों पर सचेत रहेंगे। **(कार्रवाईः कृषि और सहकारिता विभाग)** • राज्य स्तरीय कृषि भूमि विकास कोष तैसार किया जाएगा ताकि कृषितर प्रयोनार्थ कृषि भूमि के प्रयोग के लिए समतुल्य बंजर भूमि के विकास के लिए ऐसे क्षतिपूर्ति कोष का संचयन किया जा सके। यह कोष उत्पादक प्रयोजनार्थ अवक्रमित भूमि के विकास के

क्र. सं.	राष्ट्रीय किसान नीति, 2007 पैरा संख्या और संक्षेप में नीतिगत प्रावधान और प्राथमिक जिम्मेवारी (पीआर) अथवा प्राथमिक समन्वयन (पीसी) वाले मंत्रालय/विभाग	कार्य योजना	
		पहले से कार्यान्वित अथवा कार्यान्वयनाधीन स्कीम/कार्यक्रम/कार्य	की जाने वाली आगे की कार्रवाई/किए जाने वाले प्रयास तथा कार्रवाई हेतु एजेन्सी/समन्वयक
			लिए प्रयोग किया जा सकता है। यह दो मामलों से निपटने में मदद करेगा अर्थात् शीघ्रता से कम हो रही कृषि भूमि को बचाने तथा अवक्रमित/बंजर भूमि के विकास को तेंज करना ताकि कृषि भूमि की हानि के लिए क्षतिपूर्ति हेतु इसे आर्थिक प्रयोग में लाया जा सके। **(कार्रवाईः भूमि संसाधन विभाग/कृषि और सहकारिता विभाग)** • पनधारा विकास दृष्टिकोण के जरिए कम लागत, बंजर, पशुओं द्वारा अत्यधिक मात्रा में चरी गई, अपरदित/अवक्रमित भूमि के विकास के लिए समुदाय आधारित भागीदारी को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। **(कार्रवाईः भूमि संसाधन विभाग/कृषि और सहकारिता विभाग)** • यह नीति अन्य बातों के साथ–साथ काश्तकारी और भूमि को पट्टे पर देने से संबंधित विधानों को नागू करने का प्रावधान करती है। राज्य अपने–अपने विधानों के अधीन पट्टे पर दी गई भूमि पर मंडिया विकसित के अर्थोपाय की जांच करेंगे। राज्यों को तदनुसार सलाह दी जाएगी। **(कार्रवाईः भूमि संसाधन विभाग)**

क्र. सं.	राष्ट्रीय किसान नीति, 2007 पैरा संख्या और संक्षेप में नीतिगत प्रावधान और प्राथमिक जिम्मेवारी (पीआर) अथवा प्राथमिक समन्वयन (पीसी) वाले मंत्रालय/विभाग	कार्य योजना	
		पहले से कार्यान्वित अथवा कार्यान्वयनाधीन स्कीम/कार्यक्रम/कार्य	की जाने वाली आगे की कार्रवाई/किए जाने वाले प्रयास तथा कार्रवाई हेतु एजेन्सी/समन्वयक
3.	**पैरा 4.3– परिसंपत्ति सुधार–जल** • सिंचाई हेतु समय पर और पर्याप्त जल की अनुपलब्धता एक विकट बाधा बनने के कारण अब सुनिश्चित सिंचाई की अत्यधिक जरूरत है। • वर्षा जल संचयन, जल पुर्नभरण और जल उपयोग की क्षमता में सुधार महत्वपूर्ण है और इसे प्राथमिकता दी जाए। भूजल के विकास और प्रबंधन को विनियमित तथा नियंत्रित करने के लिए आवश्यक विधायी उपाय शुरू किए जाएं। • बीज किस्मों, पोषक तत्वों और कृषि उपकरणों के साथ तालमेल बिठाकर जल उपयोग क्षमता में वृद्धि की जा सकती है। • सभी फसल उत्पादन कार्यक्रमों में जल की प्रति यूनिट उपयोग को अधिकतम बनाने की अवधारणा का उपयोग किया जाए। • उपलब्ध जल से लाभ को अधिक से अधिक करने में विशेषज्ञता प्राप्त करने में जल प्रयोगकर्त्ता समूहों को बढ़ावा दिया जाए। • जल की गुणवत्ता पर ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि उर्वरकों, कृमिनाशियों और विषाक्त करने वाले रसायनों के अधिक दोहन तथा अविवेकपूर्ण उपयोग के कारण बहुधा स्रोत पर ही प्रदूषित हो जाते हैं।	• जल राज्य का विषय है, जल संसाधन परियोजनाओं का उनकी प्राथमिकताओं के अनुसार संबंधित राज्य सरकारों द्वारा नियोजन, कार्यान्वयन, वित्तपोषण और प्रबंधन किया जाता है। संबंधित राज्य सरकारों द्वारा जल संसाधनों के विकास और प्रबंधन हेतु कई उपाय शुरू किये गये हैं। भारत सरकार स्कीमों को तैयार करने तथा इनके मूल्यांकन में तकनीकी सहायता देती है। • जल संसाधन मंत्रालय के अधीन क्रियान्वित स्कीमें जो राज्यों को सहायता देती हैं:– (क) त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ख) कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन (ग) कृषि से सीधे जुड़े जल निकायों की मरम्मत, सुधार और पुनःसक्रियकरण (घ) खुदे हुए कुओं के जरिये भूजल का कृत्रिम पुनर्भरण (प्रस्तावित) • ''राष्ट्रीय जल नीति'' को अपनाया गया है जो अन्य बातों के साथ–साथ जल के सभी विविध उपयोगों में उपयोग कुशलता विरल संसाधन के रूप में जल के प्रति जागरूकता बढ़ाने तथा जल संरक्षण चेतना के संर्वधन का काम करती है। • जल संसाधन मंत्रालय ने सहभागी सिंचाई प्रबंधन पर एक मॉडल विधेयक तैयार किया है तथा सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों को परिचालित	• आईसीएआर/एसएयू जल उपयोग, कुशलता, जल संरक्षण, जल गुणवत्ता, भूजल पुनर्भरण, वर्षाजल संचयन और जल के प्रति बूंद से उत्पादन और आय को अधिकतम बनाने के विशेष संदर्भ के साथ (जल पर इस नीति की अवधारणा को शामिल करने के लिए अपनी पाठ्यचर्या की समीक्षा और उनमें संशोधन कर सकते हैं तथा उच्चतर जल उपयोग कुशलता, जल संरक्षण, जल गुणवत्ता और आवक आदि के इष्टतमीकरण पर अनुसंधान के परिणामों के दूर–दूर तक प्रसार के लिए उपाय कर सकते हैं। एसएयू/केवीके के जरिए इन पहलुओं पर कृषक प्रशिक्षण भी आयोजित किए जाएं।) **(कार्रवाई: डेयर)** • यह नीति कृषि के सामने वाले मामलों के संबंध में दक्षता विकास, जागरूकता/साक्षरता पर जोर देती है तथा मृदा की उर्वरता और पर्यावरण को प्रभावित किए बिना संधारणीय विकास प्रक्रिया, जल संसाधनों तथा जैव संसाधनों के परिरक्षण/संरक्षण पर भी जोर दिया देती है। राज्य कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विज्ञान केन्द्र और जल संसाधन, ग्रामीण विकास, भूमि संसाधन, कृषि एवं सहकारिता, डेयर, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, उर्वरक, पर्यावरण और वन आदि मंत्रालय/विभाग के अन्य

क्र. सं.	राष्ट्रीय किसान नीति, 2007 पैरा संख्या और संक्षेप में नीतिगत प्रावधान और प्राथमिक जिम्मेवारी (पीआर) अथवा प्राथमिक समन्वयन (पीसी) वाले मंत्रालय/विभाग	कार्य योजना	
		पहले से कार्यान्वित अथवा कार्यान्वयनाधीन स्कीम/कार्यक्रम/कार्य	की जाने वाली आगे की कार्रवाई/किए जाने वाले प्रयास तथा कार्रवाई हेतु एजेन्सी/समन्वयक
	• जल वितरण में साम्यता सुनिश्चित की जाए। पहुंच तथा प्रबंधन दोनों में महिलाओं को जल प्रयोगकर्त्ता के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका दी जाएगी। • विद्यमान कुंओं और पोखरों को सुधारा जाएगा। • छिड़काव और ड्रिप सिंचाई तथा पानी पंचायतों के माध्यम से उन्नत सिंचाई का प्रयोग। • जल साक्षरता अभियान शुरू करना। • सतही और भूजल संसाधनों का एकीकृत विकास तथा उनका संयुक्त प्रयोग परियोजना नियोजन स्तर से ही परिकल्पित किया जाए। • जल की अत्यधिक कमी वाले क्षेत्रों में दलहन और तिलहन जैसे उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती। • जल का कुशल प्रयोग और जल संरक्षण पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए एनआरएए, एनएचएम, टीएमओपी और एनआरईजीपी जैसी विभिन्न पहलों के माध्यम से सहजीवी तालमेल और प्रयासों में समीभरूपता। **(जल संसाधन विभाग एवं कृषि एवं सहकारिता विभाग)**	किया है। • पीआईएम पर कई राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सम्मेलन और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। • 13 राज्यों ने पहले ही अनन्य विधान अधिनियमित कर लिया है अथवा विद्यमान विधान में संशोधन कर लिया है। 4 राज्यों ने अधिनियम के लिए कार्रवाई की है। • अब तक देश में 68,000 जल प्रयोगकर्त्ता संघों का गठन किया गया है। • जल की हर बूंद पर अधिक फसल और आय पर एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए डॉ. एम.एस. स्वामीनाथन की अध्यक्षता में एक उप–समिति गठित की गई थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जो अभी विचाराधीन है। • जल संसाधन, चाहे सतही जल हो या भूजल, के सतत विकास को सुनिश्चित करना ही कार्यान्वित किए जा रहे कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य है। • राष्ट्रीय जल नीति में सतही और भूजल संसाधनों का एकीकृत तथा समन्वित विकास और उनके संयुक्त प्रयोग का भी प्रावधान हैं। • जल की हर बूंद पर अधिक फसल और आय पर स्वामीनाथन उप समिति की रिपोर्ट में कार्रवाई बिन्दुओं के संबंध में कार्रवाई आरंभ हो चुकी हैं। जल संसाधन मंत्रालय द्वारा की गई एक महत्वपूर्ण	क्षेत्र स्तरीय संस्थाओं को अपनी क्षमता और संसाधनों के अनुसार विभिन्न दक्षता उन्मुख प्रशिक्षण कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए समन्वित कार्रवाई करनी होगी। किसानों के दक्षता उन्नयन के लिए अनुकूल बहुविषयक जागरूकता/प्रशिक्षण वांछनीय होगा। आईसीएआर/एसएयू/केवीके को दक्षता विकास प्रशिक्षण हेतु रूपरेखा तैयार करने में सहायता की जाए। जहां तक संभव है, ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए व्यवसायिक प्रशिक्षण/शिक्षण के लिए लागू प्रत्यायन सुनिश्चित किया जाए। इस प्रयास में प्रभावी रूप से निजी क्षेत्रों को जोड़ने के लिए डीए आरई/आईसीएआर के परामर्श से कृषि एवं सहकारिता विभाग विस्तार प्रभाग/द्वारा दिशा–निर्देशों का विकास किया जाए। **(कार्रवाईः डीएसी/डीएआरई/ज.सं.मं./डीओआरडी/डीओएलआर/एमओसीएएफ एण्ड पीडी, डीओएफ, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय)** • छिड़काव और ड्रिप सिंचाई को मिशन मोड के रूप में अपनाया जाए। **(कार्रवाईः डीएसी)** • भारत सरकार द्वारा कई कार्यक्रम और स्कीम पहले ही शुरू किए जा चुके हैं। इन स्कीमों की लक्ष्यों

क्र. सं.	राष्ट्रीय किसान नीति, 2007 पैरा संख्या और संक्षेप में नीतिगत प्रावधान और प्राथमिक जिम्मेवारी (पीआर) अथवा प्राथमिक समन्वयन (पीसी) वाले मंत्रालय/विभाग	कार्य योजना	
		पहले से कार्यान्वित अथवा कार्यान्वयनाधीन स्कीम/कार्यक्रम/कार्य	की जाने वाली आगे की कार्रवाई/किए जाने वाले प्रयास तथा कार्रवाई हेतु एजेन्सी/समन्वयक
		कार्रवाई कृषि विश्वविद्यालयों/आईसीएआर/वाल्मिस और इंजीनियरिंग कॉलेज इत्यादि को शामिल करके किसान सहभागिता कार्य अनुसंधान कार्यक्रम का कार्यान्वयन करना है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य वर्षा जल संचयन तथा संबंधित मुद्दों सहित जल संचयन तथा संबंधित मुद्दों सहित जल संरक्षण संबंधी जागरूकता सृजित करना है। • जल संसाधन मंत्रालय ने भूजल के विनिमय और प्रबंधन के लिए एक मसौदा मॉडल बिल तैयार करने सहित भूजल स्तर के कम होने के मूद्दे पर अनेक उपाय किए हैं। 10 राज्यों ने इस विधान को पहले ही बना दिया है और 19 राज्यों ने कार्रवाई शुरू की है। • जल संसाधन मंत्रालय ने केन्द्र, राज्य और परियोजना स्तर पर वृहत एवं मध्यम सिंचाई स्कीमों की मानिटरी के लिए तीन चरणों की प्रणाली शुरू की है। मानिटरिंग प्रणाली का उद्देश्य समयबद्ध तरीके से परियोजना को पूरा करने की दृष्टि से अपेक्षित इनपुटों की पहचान करने में सहयोग देना, किसी कमी/बाधाओं के कारण का विश्लेषण करना और उपचारात्मक उपायों का सुझाव देना आदि है। कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन कार्यक्रम भी मानिटरिंग	तथा परिणामों के संदर्भ में स्थायी रूप से निगरानी की जानी चाहिए। भूजल पुनर्भरण, वर्षा जल संचयन और पनधारा विकास जैसे कार्यक्रमों को बढ़ाया जाए और उसका विस्तार किया जाए। **(कार्रवाईः एमओडब्ल्यूआर/कृ. एवं स. विभाग/डीओआरडी)** • इस समय जल प्रयोक्ता संघों की अत्यधिक संख्या विद्यमान है। इन संघों को उपलब्ध जल से अधिकाधिक लाभ प्राप्त करने और जल गुणवत्ता के बारे में भी विशेषज्ञता प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। उनके क्षमता निर्माण के लिए किसानों द्वारा उगाए गए बीज से प्राप्त होने वाली राशि के लिए उपाय किए जाएं और साथ ही साथ सरकार से प्राप्त सहायता जिसका उपयोग मूल्य वृद्धि सहित फसलन तथा पशुधन/समवर्गी क्षेत्र के कार्यकलापों के लिए बैंक ऋण के साथ सम्बद्धता बनाने और छोटे तथा सीमांत किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए गैर–खेती कार्यकलापों को करने के लिए किया जा सकता है। इन संस्थाओं के महासंघ को उनके क्षमता निर्माण को सुविधाजनक बनाने के लिए, उनके किसान सदस्यों को उनके कार्यों को विस्तार देने के लिए प्रभावी एकल खिड़की सेवा देने के लिए केन्द्र और राज्य सरकार की वित्तीय

क्र. सं.	राष्ट्रीय किसान नीति, 2007 पैरा संख्या और संक्षेप में नीतिगत प्रावधान और प्राथमिक जिम्मेवारी (पीआर) अथवा प्राथमिक समन्वयन (पीसी) वाले मंत्रालय/विभाग	कार्य योजना	
		पहले से कार्यान्वित अथवा कार्यान्वयनाधीन स्कीम/कार्यक्रम/कार्य	की जाने वाली आगे की कार्रवाई/किए जाने वाले प्रयास तथा कार्रवाई हेतु एजेन्सी/समन्वयक
		के प्रावधानों में आते हैं। • भारत सरकार द्वारा सभी पणधारियों के बीच कृत्रिम पुनर्भरण की संकल्पना को लोकप्रिय बनाने और अपनाने के लिए भूजल का कृत्रिम पुनर्भरण सलाहकार परिषद का गठन किया गया है। • कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे सभी पनधारा कार्यक्रमों का एक घटक वर्षा जल संचयन है। कई राज्य क्षेत्रीय पनधारा कार्यक्रम कार्यान्वयनाधीन हैं। • भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के लिए वर्षा जल संचयन और पुलर्भरण प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं जहां आईसीएआर के अंतर्गत अनेक संस्थान हैं जो एकीकृत पलधारा प्रबंधन वर्षा जल संचयन, इसकी उत्पादकता बढ़ाने के लिए जल का बहु उपयोग, सतत हाईड्रोलोजिक के अनुरक्षण के लिए वर्षा, सतही और भूजल का संयुक्त प्रयोग, सिंचाई जल संसाधनों में वृद्धि लाना और विभिन्न सिंचाई स्रोतों के अंतर्गत फसल जल प्रबंधन के लिए योगदान कर रहे हैं। • कृषि से सीधे तौर पर जुड़े जल निकायों की मरम्मत, नवीनीकरण और जीर्णोद्धार नामक एक प्रायोगिक स्कीम का कार्यान्वयक किया गया है। भारत सरकार भी संबंधित कार्यकलापों के लिए राज्यों को बाहरी सहायता के माध्यम से	सहायता से ब्लॉक और जिला स्तर पर संगठित किया जाएगा। **(कार्रवाईः जल सं.मंत्रालय/कृषि एवं सहकारिता विभाग)** • सहभागी सिंचाई प्रबंधन (पीआईएम)पर मॉडल बिल और जल संसाधन मंत्रालय के भूजल विनिमयन के लिए विधान कुछ राज्यों द्वारा ही अधिनियम किए गए हैं। जहां तक वांछित परिणाम प्राप्त करने में ये अधिनियम प्रभावी रहे हैं, उनका मूल्यांकन किया जाएगा और जहां आवश्यक हो, अपेक्षित संशोधन किया जाएगा। अन्य राज्यों को भी इन अधिनियमों को प्राथमिकता के आधार पर मानने के लिए राजी किया जाएगा। **(कार्रवाईः जल संसाधन मंत्रालय)** • वर्षा जल संचयन इत्यादि पर किसानों और प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण संबंधी स्कीम डेयर द्वारा शूरू की गयी महत्वपूर्ण पहल है। किसान विज्ञान केन्द्रों के प्रशिक्षकों, कर्मचारियों, कृषि–क्लिनिकों/कृषि व्यवसाय केन्द्रों के उद्यमियों, विस्तार कर्मिकों के प्रशिक्षण पर जोर दिया जाना चाहिए जो कि पहुंच और उनकी बढ़ोतरी में सुधार लाने के लिए किसानों को प्रशिक्षित कर सकते हैं। इस प्रयोजन के लिए कायिक कोष के कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग

क्र. सं.	राष्ट्रीय किसान नीति, 2007 पैरा संख्या और संक्षेप में नीतिगत प्रावधान और प्राथमिक जिम्मेवारी (पीआर) अथवा प्राथमिक समन्वयन (पीसी) वाले मंत्रालय/विभाग	कार्य योजना	
		पहले से कार्यान्वित अथवा कार्यान्वयनाधीन स्कीम/कार्यक्रम/कार्य	की जाने वाली आगे की कार्रवाई/किए जाने वाले प्रयास तथा कार्रवाई हेतु एजेन्सी/समन्वयक
		कार्यकलापों के लिए राज्यों को बाहरी सहायता के माध्यम से सहायता मुहैया करा रही है। • कृषि एवं सहकारिता विभाग के बागवानी प्रभाग में कार्यान्वित की जा रही लघु सिंचाई स्कीम में स्प्रिंकलर और ड्रिप सिंचाई प्रणालियां शामिल की गई हैं। • भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने एआईसीआरपी के अंतर्गत दीर्घकालीन अध्ययन कराए हैं– देश के विभिन्न कृषि–पारिस्थिज्ञतिकी क्षेत्रों में फैले जल प्रबंधन वाले 25 अनुसंधान केन्द्र, जहां सिंचाई कार्यों जल उत्पादन कार्यों तथा अन्य पहलुओं के लिए स्प्रिंकलर और ड्रिप प्रणालियां विकसित की गई हैं। सुझाव जलप्रयोक्ता संघों और पानी पंचायतों के पास भेज दिए गए हैं। • कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा जल की कमी वाले क्षेत्रों में तिलहन और दलहन जैसी फसलन पद्धति अपनाई गई है जिसमें कम पानी और अधिक मूल्य की अपेक्षा रहती है। • जल संसाधन मंत्रालय ने अपने शीर्ष संगठनों जैसे केन्द्रीय जल आयोग, केन्द्रीय भूमिजल बोर्ड की नियमित गतिविधि के रूप में और विशेषकर प्रशिक्षण संस्थाओं अर्थात राष्ट्रीय जल अकादमी पुणे, राजीव गांधी राष्ट्रीय भूमि जल प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान के माध्यम से अनेक जन	(डेयर) के प्रस्ताव के अनुसार उसी प्रकार की संचित निधि के.वी.के. में सृजित की जाए जिससे कृषि एवं सहकारिता विभाग के अंतर्गत आर.के.वी.वाई. अथवा चलाई जा रही विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत वित्तपोषण किया जा सकता है। प्रत्येक संस्था द्वारा प्रशिक्षण की लागत की मध्य अवधि में वसूली मुख्य उद्देश्य हो। **(कार्रवाईः कृ.अ.एव. शि. विभाग/कृषि एवं सहकारिता विभाग)** • कृषि विस्तार तंत्र में यह सुनिश्चित किया जाए कि किसानों, स्वयं सहायता समूहों/जल प्रयोक्ता संघों /पानी पंचायतों को भूमि के समुचित प्रयोग और फसलन पैटर्न के साथ जल की गुणवत्ता और जल प्रयोग कुशलता से संबंधित मुद्दों के बारे में प्रशिक्षित किया जाता है और उसकी जानकारी दी जाती है। जल प्रयोक्ता संघों को मूल राशि के रूप में वित्तीय सहायता देकर सतत कार्यों को अपनाते हुए स्वयं सहायता समूह/जल प्रयोक्ता संघों हेतु वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाए। सिंचाई परियोजनाओं के कमान क्षेत्रों में भी किसानों को जल प्रयोग कुशलता और संरक्षण, जल गुणवत्ता तथा अन्य पहलुओं के बारे में बताया जाए। **(कार्रवाईः कृ.एवं स. विभाग/डीओआरडी/ज.सं. मंत्रालय)**

क्र. सं.	राष्ट्रीय किसान नीति, 2007 पैरा संख्या और संक्षेप में नीतिगत प्रावधान और प्राथमिक जिम्मेवारी (पीआर) अथवा प्राथमिक समन्वयन (पीसी) वाले मंत्रालय/विभाग	कार्य योजना	
		पहले से कार्यान्वित अथवा कार्यान्वयनाधीन स्कीम/कार्यक्रम/कार्य	की जाने वाली आगे की कार्रवाई/किए जाने वाले प्रयास तथा कार्रवाई हेतु एजेन्सी/समन्वयक
		जागरूकता कार्यक्रम पहले ही आरंभ किए हुए हैं। • जल संचयन और जल संसाधनों के प्रभावी उपयोग पर किसानों और प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिए कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग द्वारा ग्यारहवीं योजना के दौरान 32 राज्य कृषि विश्वविद्यालयों और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद संस्थानों में 96 करोड़ रूपये की कायिक कोष से जल साक्षरता आन्दोलन के रूप में एक स्कीम इस उद्देश्य से शुरू की जा रही है कि प्रत्येक केन्द्र में लगभग 1000 किसानों और 100 प्रशिक्षकों को वार्षिक रूप से प्रशिक्षण दिया जाएगा। • सतही और भूजल का एकीकृत और समन्वित विकास तथा उनका संयुक्त प्रयोग, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग/भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की विभिन्न परियोजनाओं का अभिन्न अंग है। • कृषि एवं सहकारिता विभाग (टीएमओपी) 1.4.2004 से समेकित तिलहन, दलहन, नारियल और मक्का स्कीम (आइसोपोम) नामक एक केन्द्र प्रयोजित स्कीम कार्यान्वित कर रहा है जिसका मुख्य उद्देश्य तिलहनों और दलहनों के हित में फसल विविधिकरण का संबर्धन करना है। वर्ष 1985 में केन्द्रीय क्षेत्र बीज उत्पादन स्कीम के अंतर्गत	• जल की कमी वाले क्षेत्रों में अधिक मूल्य वाली फसल प्रणाली को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। इन क्षेत्रों में सरकारी माध्यमों से सूखी भूमि वाले क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में दलहनों और तिलहनों की आपूर्ति की जाए और धान के बीज तथा अन्य अधिक जल वाले फसलों की आपूर्ति न की जाए। **(कार्रवाईः कृ. एवं स. विभाग)** • संचित क्षेत्रों में बहु फसलन और अंतःफसलन के माध्यम से फसलन गहनता में वृद्धि लाने पर ध्यान देना चाहिए। जल प्रयोग की कुशलता और जल के प्रति इकाई आय के महत्वपूर्ण मुद्दों पर सभी पणधारियों को सुग्राही बनाने के लिए राज्यवार मूल्यांकन और आकलन किया जाना चाहिए। **(कार्रवाईः कृषि एवं सहकारिता विभाग)** • वाष्पीकरण के कारण होने वाली क्षति को रोकने के लिए जल भण्डारण और वितरण प्रणालियों को सुधारने तथा सृजन हेतु नई प्रौद्योगिक को लाना होगा। **(कार्रवाईः कृ.एवंसं. विभाग/कृ.अ.एवं.शि. विभाग/जल संसाधन मंत्रालय)**

क्र. सं.	राष्ट्रीय किसान नीति, 2007 पैरा संख्या और संक्षेप में नीतिगत प्रावधान और प्राथमिक जिम्मेवारी (पीआर) अथवा प्राथमिक समन्वयन (पीसी) वाले मंत्रालय/विभाग	कार्य योजना	
		पहले से कार्यान्वित अथवा कार्यान्वयनाधीन स्कीम/कार्यक्रम/कार्य	की जाने वाली आगे की कार्रवाई/किए जाने वाले प्रयास तथा कार्रवाई हेतु एजेन्सी/समन्वयक
		सूखा प्रवण क्षेत्रों के लिए स्थान विशेष उच्च पैदावार वाली किस्मों को बढ़ावा देने के लिए एक आवर्ती निधि कार्यान्वित की गई थी। किसानों के बीच उन्नत प्रौद्योगिकी को लोकप्रिय बनाने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के माध्यम से दलहनों, तिलहनों और मक्का में उन्नत उत्पादन प्राद्योगिकियों फ्रंटलाइन प्रदर्शन चलाये जा रहे हैं। • जलमग्नता वाले क्षेत्रों में मत्स्यपालन मौजूदा केन्द्रीय प्रयोजित स्कीम 'अन्तर्देशीय मात्स्यिकी और जलकृषि विकास' के अंतर्गत आता है।	• मुख्य खाद्यान्नों तथा अन्य जल घनत्व वाले फसलों के लिए जल प्रयोग कुशलता पर एक विशेष राष्ट्रीय फसल योजना विकसित की जाए। **(कार्रवाईः कृ.एवं.सं. विभाग/ जल संसाधन मंत्रालय कृ.अ.एवं.शि. विभाग)** • राष्ट्रीय एकीकृत जल संसाधन विकास आयोग द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसार 2110 तक 40 प्रतिशत और 2025 तक 50 प्रतिशत सतही जल सिंचाई कुशलता और 70 प्रतिशत तक भूजल सिंचाई कुशलता में सुधार लाने के पर्याप्त उपाय किए जाने चाहिए। **(कार्रवाईः ज.सं. मंत्रालय)**
4.	**पैरा 4.3.6** सूखा कोड, बाढ़ कोड और अच्छा मौसम कोड लाया जाए। एनआरएए तकनीकी और अन्य सहायता उपलब्ध कराए। **(डीएसी)**	• सूखा और बाढ़ पर मौजूदा मैन्युलों/प्रक्रियाओं/दिशा निर्देशों में आपदा प्रबंधन के दृष्टि से प्रभावित किसानों/ग्रामीण आबादी के लिए राहत और पुनर्वास उपायों तथा पैकेजों सहित सूखा पश्चात/ बाढ़ पश्चात स्थितियों के सभी पहलुओं का ध्यान रखा गया है। • इस समय कृषि मौसम विज्ञान संबंधी एआईसीआरपी अपने समन्वित केन्द्रों के माध्यम से वर्षा, तापमान और मौसम से संबंधित अन्य पैरामीटरों के प्रभाव पर विचार करते हुए कृषि	• जलरहित एवं सूखा प्रवण क्षेत्रों के लिए एक मॉडल सूखा कोड तैयार किया जाना चाहिए और उसे सूखा कम करने के अल्पकालिक और दीर्घकालिक उपायों को समावेश करते हुए राज्यों को परिचालित कर देना चाहिए। कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा पहले ही शुरू की गई कार्रवाई को डीओएलआर और एनआईडीएम के साथ सही समन्वयन में तेजी लाई जाए। **(कार्रवाईः कृषि एवं सहकारिता विभाग)**

क्र. सं.	राष्ट्रीय किसान नीति, 2007 पैरा संख्या और संक्षेप में नीतिगत प्रावधान और प्राथमिक जिम्मेवारी (पीआर) अथवा प्राथमिक समन्वयन (पीसी) वाले मंत्रालय/विभाग	कार्य योजना	
		पहले से कार्यान्वित अथवा कार्यान्वयनाधीन स्कीम/कार्यक्रम/कार्य	की जाने वाली आगे की कार्रवाई/किए जाने वाले प्रयास तथा कार्रवाई हेतु एजेन्सी/समन्वयक
		प्रतिकूल सेवाओं पर आकस्मिक योजना मुहैया करा रहा है। • भूमि संसाधन विभाग द्वारा सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं। • सूखा कोड लाने के लिए पहले चरण के रूप में कृषि एवं सहकारिता विभाग ने सूखा प्रबंधन के लिए एक राष्ट्रीय मैन्युल तैयार करने हेतु गृह मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान बनाने का पहले ही अनुरोध किया है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान मसौदा मैन्युल तैयार कर चुका है और उनके द्वारा आगे अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है। यह मैन्युल राज्यों को उनसे संबंधित सूखा कोड की तैयारी या संशोधन में सहायक होगा। • द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों की अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में निरंतर तथा एकीकृत सूखा प्रबंधन के लिए एक अलग संस्थागत तंत्र स्थापित करने के लिए एक प्रस्ताव पर कृषि एवं सहकारिता विभाग सक्रिय रूप से विचार कर रहा है। एक बार ऐसी संस्था के स्थापित हो जाने के बाद सूखा प्रवण क्षेत्रों के किसानों की आवश्यकता पर ध्यान दिया जा सकता है।	• बार–बार बाढ़ से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों के लिए एक मॉडल बाढ़ कोड तैयार किया जाए और बाढ़ के पश्चात किसानों को उत्तम बीज की उपलब्धता और अन्य आदान मुहैया कराया जाना, जलमग्नता बाढ़ प्रतिरोधी फसलों/किस्मों की आयोजना और बाढ़ के कारण किसानों को होने वाली क्षति को कम करने के अन्य उपाय सुनिश्चित करने जैसे उपायों को शामिल करते हुए उसे राज्यों को परिचालित कर दिया जाए। **(कार्रवाईः कृषि एवं सहकारिता विभाग)** • जल रहित और सूखा प्रवण क्षेत्रों के लिए एक मॉडल अच्छा मौसम कोड तैयार किया जाए जिसमें इन क्षेत्रों में अच्छी मौसम में उत्तम बीज, पौध की आपूर्ति और किसानों के लिए अन्य आदान के लिए पर्याप्त तैयारी के साथ किसानों द्वारा किए जाने वाले उपायों को शामिल किया जाए। **(कार्रवाईः कृषि एवं सहकारिता विभाग)** • उपर्युक्त मॉडल कोडों को तैयार करने के लिए कृषि और सहकारिता विभाग, एनसीएपी जैसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की सहायता से नेतृत्व कर सकता है। **(कार्रवाईः कृषि एवं सहकारिता विभाग)**

क्र. सं.	राष्ट्रीय किसान नीति, 2007 पैरा संख्या और संक्षेप में नीतिगत प्रावधान और प्राथमिक जिम्मेवारी (पीआर) अथवा प्राथमिक समन्वयन (पीसी) वाले मंत्रालय/विभाग	कार्य योजना	
		पहले से कार्यान्वित अथवा कार्यान्वयनाधीन स्कीम/कार्यक्रम/कार्य	की जाने वाली आगे की कार्रवाई/किए जाने वाले प्रयास तथा कार्रवाई हेतु एजेन्सी/समन्वयक
5.	**पैरा 4.4– परिसम्पत्ति सुधार– पशुधन** • किसानों के समक्ष आने वाली प्रमुख बाधाओं प्रजनन, चारे, स्वास्थ्य देखभाल और उनके उत्पादों के लिए पारिश्रमिक मूल्यों का समाधान करना आवश्यक है। • पशु चिकित्सकों और कृषि विज्ञान स्नातकों द्वारा संचालित कृषि क्लिनिकों को प्रोत्साहित किया जाए। • ऑर्गेनिक खादों और जैव–उर्वरकों के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के अलावा फसल–पशुधन मिश्रित कृषि प्रणाली को प्रोत्साहित किया जाएगा। • पशुधन बीमे की पुनर्संरचना की जाए और इन्हें सभी किसानों तक पहुंच लायक बनाया जाए। • प्रवेश के सभी बन्दरगाहों पर आयातित पक्षियों हेतु संगरोध (क्वारेंटाइन) और परीक्षण तथा टीकाकरण सुविधाएं स्थापित और सुदृढ़ की जाए। • बाजार में बेचे जाने से पूर्व आयातित कुक्कुट पालन टीकों की जांच किया जाना अनिवार्य बनाया जाए। • कुक्कुट पालन की पहचान एक कृषि कार्यकलाप के रूप में की जाए और सामूहिक अथवा लघु कुक्कुट पालन परिसम्पतिधारकों को बढ़ावा दिए जाने के लिए बैकयार्ड कुक्कुट पालक किसानों को यथोचित सहायता दी जाए। **(डीओएचडी एंड एफ)**	• पशुधन के संकरण और प्रजनन क्षमता को बढ़ाने के लिए राज्यों हेतु उत्तम जीव प्लाजमा के उत्पादन और वितरण के लिए पशुपालन और डेयरी विभाग (डीओएएचडी) 18 केन्द्रीय पशुधन संगठनों और सम्बद्ध संस्थाओं का संचालन कर रहा है। सात केन्द्रीय पशु प्रजनन फार्म राज्यों को वितरण के लिए पशुओं का देशज और विदेशी प्रजाति और महत्वपूर्ण भैंस संकरों के उच्च किस्म के बछड़ों का उत्पादन कर रहे हैं। • राष्ट्रीय पशु एवं भैंस संकरण परियोजना डीओएएचडी के माध्यम से दो चरणों में दस वर्षों से अधिक अवधि से लगभग 1200 करोड़ रूपये के आवंटन से कार्यान्वित कर रहा है। इस परियोजना में महत्वपूर्ण स्वदेशी संकर प्रजातियों के वंश उन्नयन तथा विकास और संरक्षण देने की परिकल्पना की गई है। • दो केन्द्र प्रायोजित स्कीम अर्थात "केन्द्रीय चारा विकास संगठन" और "चारा विकास के लिए राज्यों को सहायता" इस समय कार्यान्वयनाधीन है। • "राज्य कुक्कुट/बत्तख फार्म को सहायता" नामक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम वर्ष 1999–2000 में राज्य कुक्कुट फार्म को एकमुश्त सहायता देने के उद्देश्य से शुरू की गई थी।	• पशुधन बीमा पर चालू कार्यक्रम एक प्रायोगिक आधार पर कार्यान्वित किया गया है। यह सभी किसानों तक पहुंचे, इसके लिए इस स्कीम का विस्तार किया जाना आवश्यक है। **(कार्रवाईः डीओएएचडी एंड एफ)** • विभिन्न कृषि–जलवायु क्षेत्रों के लिए उपयुक्त फसल–पशुधन मिश्रित कृषि प्रणाली हेतु ऋण मुहैया कराया जाना चाहिए। इसे किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से विस्तार दिया जा सकता है। इस संबंध में नाबार्ड बैंकों को उपयुक्त दिशा निर्देश जारी कर सकता है। **(कार्रवाईः डीएसी/एमओएफ/नाबार्ड)** • राज्य और राष्ट्रीय स्तरों पर मौजूदा पशुधन रोग निगरानी प्रणाली को सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है। **(कार्रवाईः डीओएएचडी एंड एफ)** • पशुधन मुद्दों और फसल–पशुधन मिश्रित कृषि प्रणालियों तथा कृषि अपशिष्ट से पशुधन चारे को समृद्ध बनाने और अन्य संबंधित मुद्दों में डीओएएचडी, डीएसी और डीएआरई/आईसीएआर द्वारा प्रशिक्षण और दक्षता का विकास किया जाएगा। **(कार्रवाईः डीओएएचडी एंड एफडीएसी/डीएआरई)**

क्र. सं.	राष्ट्रीय किसान नीति, 2007 पैरा संख्या और संक्षेप में नीतिगत प्रावधान और प्राथमिक जिम्मेवारी (पीआर) अथवा प्राथमिक समन्वयन (पीसी) वाले मंत्रालय/विभाग	कार्य योजना	
		पहले से कार्यान्वित अथवा कार्यान्वयनाधीन स्कीम/कार्यक्रम/कार्य	की जाने वाली आगे की कार्रवाई/किए जाने वाले प्रयास तथा कार्रवाई हेतु एजेन्सी/समन्वयक
		• एक और केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम "पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण" पशुधन और कुक्कुट के आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण रोगों के विरूद्ध प्रतिरक्षा किए जा रहे मुख्य कार्यकलापों के साथ भी कार्यान्वित किया जा रहा है। "राष्ट्रीय पशु प्लेग उन्मूलन परियोजना" भी शुरू की गई है। • रूग्नता और मृत्यु दर में कमी लाने के क्रम में राज्यों द्वारा चलता–फिरता पशु चिकित्सा औषधालयों सहित पोलिक्लिनिक/पशुचिकित्सा अस्पतालों/औषधालयों के माध्यम से बेहतर स्वास्थ्य देखभाल मुहैया कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। राज्यों में रोगों का शीघ्र और भरोसेमंद निदान के लिए 250 रोग नैदानिक प्रयोगशालाओं द्वारा सहायता प्राप्त 26,540 ऐसी एजेन्सियों का एक नेटवर्क कार्य कर रहा है। देश में 29 पशु चिकित्सा टीका उत्पादन ईकाईयों में टीकों की अपेक्षित मात्रा उत्पादित की जाती है। • भूसा और चारा पेड़ का संवर्धन का प्रोत्साहन मौजूदा केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम "स्कीम विकास" के अंतर्गत आता है। • देश के बाहर से आने वाले रोगों के प्रवेश को रोकने और पशु चिकित्सा संबंधी दवाओं और सूत्रीकरण के मानकों के अनुरक्षण हेतु भी प्रयास किए जाते हैं।	• यह सुनिश्चित किया जाए कि पशु चिकित्सा स्नातकों द्वारा कृषि–क्लिनिक स्थापित किए जाएं जिससे कि 5 वर्षों की अवधि के भीतर कोई भी पशु चिकित्सक स्नातक बेरोजगार न रहे। उनका उपयोग किसानों के प्रशिक्षण और पशु स्वास्थ्य के लिए सेवाओं के अलावा किसानों की गुणवत्ता विस्तार सेवा उपलब्ध कराने में किया जा सकेगा। उनका प्रशिक्षण किसानों की दक्षता विकास के लिए प्रशिक्षकों के रूप में भी किया जा सकेगा। **(कार्रवाईः डीएसी/डीओएएचडीएंडएफ)** • डीओएएचडी एवं एफ आगे की कार्रवाई के लिए जैसा उपयुक्त समझे निम्नलिखित सुझाव पर विचार कर सकता हैः– • किसानों के दुग्ध वितरण स्थल पर ही दुग्ध के नमूनों का विश्लेषण करने के लिए पर्याप्त गुणवत्ता उपाय अवसंरचना हो; • एनपीसीबीबी के अध्यादेश के अंतर्गत चारा विकास को शामिल किया जाए। • अकार्बनिक खाद के उत्पादन को बढ़ावा देना; • हैचारी विनियमन अधिनियम लाना; • पक्षियों के माध्यम से आने वाले बुखार के उन्मूलन/नियंत्रण के लिए विशेष इकाई की स्थापना करना; • पक्षियों के माध्यम से आने वाली बीमारियों की

क्र. सं.	राष्ट्रीय किसान नीति, 2007 पैरा संख्या और संक्षेप में नीतिगत प्रावधान और प्राथमिक जिम्मेवारी (पीआर) अथवा प्राथमिक समन्वयन (पीसी) वाले मंत्रालय/विभाग	कार्य योजना	
		पहले से कार्यान्वित अथवा कार्यान्वयनाधीन स्कीम/कार्यक्रम/कार्य	की जाने वाली आगे की कार्रवाई/किए जाने वाले प्रयास तथा कार्रवाई हेतु एजेन्सी/समन्वयक
		• वृहत प्रबंधन केन्द्र प्रायोजित सकीम "पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण" के अंतर्गत केन्द्र सरकार रोग नियंत्रण कार्यकलापों का कार्यान्वयन कर रही है। • पक्षियों के फ्लू के संबंध में केन्द्र सरकार ने इस उत्पात पर नियंत्रण रखले और उसे काबू में रखने के लिए तत्काल कार्रवाई शुरू की है। नियंत्रण और काबू में रखने संबधी उपायों में रणनीतिक कार्रवाईयों की एक कड़ी है जिसे पशुपालन एवं डेयरी विभाग और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की कार्य योजनाओं के अनुपालन में किया जाना है। • बेरोजगार पशु चिकित्सा स्नातकों को निजी पशु चिकित्सा क्लिनिकों और चारा तथा दवाओं के लिए खुदरा उत्पाद वाले क्लिनिकों की स्थापना के लिए सहायता दी जाती है। कृषि एवं सहकारिता विभाग भी कृषि से जुड़े हुए स्नातकों जिसमें पशु चिकित्सा स्नातक भी शामिल हैं, के लिए कृषि–क्लिनिक और कृषि–व्यवसाय स्कीम कार्यान्वित कर रहा है। • कृषि एवं सहकारिता विभाग विस्तार सुधार स्कीम के अंतर्गत स्वरोजगार मोड में विस्तार एवं अन्य सेवा प्रदान करने को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि–क्लिनिक और कृषि–व्यवसाय केन्द्रों की	निगरानी पर पीआरआई और किसानों को जागरूकता प्रशिक्षण; • पशुधन उत्पादों को बाजार की सुविधा; • विकासोन्मुखी कार्यक्रमों पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए एनडीडीबीके कार्यों का पुनः उन्मुखीकरण; • पशुधन और पशुधनउत्पादों के निर्यात पर रोक की समीक्षा; • पक्षियों और पशुओं के टीकाकरण की प्रतिरक्षा स्थिति का आकलन करने के लिए बुनियादी सुविधाओं का विकास; • पशुधन उत्पाद, दुग्ध, मांस और अंडे के लिए समर्पित एमएसपी का प्रावधान; • एनपीसीबीबी के अंतर्गत बछड़े के जन्म के आधार पर निजी कृत्रिम निसेचन के लिए एक आकर्षक पारिश्रमिक शुरू किया जाए।

क्र. सं.	राष्ट्रीय किसान नीति, 2007 पैरा संख्या और संक्षेप में नीतिगत प्रावधान और प्राथमिक जिम्मेवारी (पीआर) अथवा प्राथमिक समन्वयन (पीसी) वाले मंत्रालय/विभाग	कार्य योजना	
		पहले से कार्यान्वित अथवा कार्यान्वयनाधीन स्कीम/कार्यक्रम/कार्य	की जाने वाली आगे की कार्रवाई/किए जाने वाले प्रयास तथा कार्रवाई हेतु एजेन्सी/समन्वयक
		स्थापना की सुविधा भी मुहैया कराता है। कृषि–व्यवसाय विकास पर प्रशिक्षण की पूरी लागत की सहायता दी जाती है। • पशुधन बीमाः एक केन्द्र प्रायोजित स्कीम "पशुधन बीमा स्कीम" 120 करोड़ रूपये के परिव्यय से प्रायोगिक आधार पर कार्यान्वित किया गया है। इसका दोहरा उद्देश्य किसानों ओर पशुपालकों के पशुओं की मृत्यु के कारण उनके पशुओं का किसी दुर्घटनावश क्षति के लिए सुरक्षा तंत्र और दूसरा उन्नत पशुओं के पालन को लोकप्रिय बनाने के लिए पशुधन बीमा के लाभ का प्रदर्शन करना है। इस स्कीम को वर्ष 2007–08 के दौरान उसी रूप में जारी रखा जा रहा है। इसकी प्रायोगिक अवधि के दौरान पशुधन बीमा स्कीम के लाभ और प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए ग्रामीण प्रबंधन संस्थान को एक स्वतंत्र अध्ययन का काम दिया गया है। इस अध्ययन के निष्कर्षों तथा सिफारिशों के आधार पर देशभर में इस स्कीम का कार्यान्वयन और वर्ष 2008–09 के दौरान और उसके पश्चात अधिक प्रजातियों के पशुधन को शामिल करने पर विचार किया जाएगा। • कुक्कुट पालन विकास स्कीम के अंतर्गत ग्यारहवीं योजना के दौरान 150 करोड़ रूपये के अल्पकालिक आबंटन से प्रस्तावित कार्यकलापों में	

क्र. सं.	राष्ट्रीय किसान नीति, 2007 पैरा संख्या और संक्षेप में नीतिगत प्रावधान और प्राथमिक जिम्मेवारी (पीआर) अथवा प्राथमिक समन्वयन (पीसी) वाले मंत्रालय/विभाग	कार्य योजना	
		पहले से कार्यान्वित अथवा कार्यान्वयनाधीन स्कीम/कार्यक्रम/कार्य	की जाने वाली आगे की कार्रवाई/किए जाने वाले प्रयास तथा कार्रवाई हेतु एजेन्सी/समन्वयक
		से एक कुक्कुट सम्पदा स्थापित करना है। • पशुधन और इसके उत्पादों का आयात करके देश में पशु–रोगों के प्रवेश को रोकने का मुख्य उद्देश्य पशु संगरोध और प्रमाणन सेवा का कार्यान्वयन किया जाना है। चार संगरोध केन्द्र दिल्ली, चेन्नई, मुम्बई और कोलकाता में पहले ही कार्य कर रहे हैं तथा दो और स्टेशन बंगलौर और हैदराबाद में स्थापित किए जा रहे हैं। • महत्वपूर्ण टीकों के सुरक्षित और प्रभावकारी होने की जांच के संबंध में दवा महानियंत्रक द्वारा इसका विनियमन किया जाता है और भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान (आईवीआरआई) ऐसे टीकों की जांच कर रहा है। इसके अतिरिक्त केन्द्र सरकार ने भी बागपत में राष्ट्रीय पशुचिकित्सा बायोलोजिकल उत्पाद गुणवत्ता नियंत्रण केन्द्र की स्थापना की है जो शीघ्र ही कार्य करना आरम्भ करेगा।	
6.	**पैरा 4.5 परिसम्पति सुधार–मात्स्यिकी** • वैज्ञानिक रूप से मत्स्य पालन, एकत्रण और प्रसंस्करण को प्रोत्साहित करते हुए मछुआरा परिवारों की आय में सुधार लाना। • जलकृषि के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में भूमिहीन श्रमिक किसानों को ग्रामीण तालाब और अन्य जल निकाय	• पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा निम्नलिखित चालू स्कीमें कार्यान्वित की जा रही हैं– (क) अंतर्देशीय मात्स्यिकी एवं जल कृषि विकास; (ख) समुद्री मात्स्यिकी, अवसंरचना एवं एकत्रण पश्चात कार्य; (ग) मछुआरों के कल्याण कार्यक्रम; (घ) मात्स्यिकी प्रशिक्षण और विस्तारः (ड) मात्स्यिकी	• "सभी के लिए मछली" विषय पर जिला स्तर और ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण संस्थान खोले जाने चाहिए। इस प्रयोजन के लिए एटीएमए प्रमुख्य एजेन्सी हो सकता है। कृषि विकास केन्द्रों, प्रगतिशील मछली पालकों, गैर सरकारी संगठनों और अन्य सक्षम संस्थानों को ऐसे प्रशिक्षण के अलावा उन्हें समर्थ

क्र. सं.	राष्ट्रीय किसान नीति, 2007 पैरा संख्या और संक्षेप में नीतिगत प्रावधान और प्राथमिक जिम्मेवारी (पीआर) अथवा प्राथमिक समन्वयन (पीसी) वाले मंत्रालय/विभाग	कार्य योजना	
		पहले से कार्यान्वित अथवा कार्यान्वयनाधीन स्कीम/कार्यक्रम/कार्य	की जाने वाली आगे की कार्रवाई/किए जाने वाले प्रयास तथा कार्रवाई हेतु एजेन्सी/समन्वयक
	सुलभ कराने के लिए जल क्षेत्र सुधार की आवश्यकता है। • व्यवसायिक प्रबंधन और संकेद्रित ध्यान देने के लिए मात्स्यिकी और जल–कृषि से संबंधित प्रमुख कार्यकलापों के लिए एनएफडीबी हो। • मछुआरा परिवारों और मछुआरा महिलाओं के लिए प्रशिक्षण के अलावा "सभी के लिए मछली" प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण केन्द्रों की स्थापना। • लघु निकर्षण का प्रावधान। • विकेन्द्रीकृत मत्स्य पालन और मात्स्यिकी क्षेत्र के सहायतार्थ केन्द्रीकृत सेवाएं। • तालाबों और जलाशयों में आवश्यक स्थान उपलब्ध कराकर अंतर्देशीय जल कृषि को बढ़ावा देना। • कृत्रिम प्रवाल भित्ति को बढ़ावा देना। • तटवर्ती मत्स्य पालकों और कृषक परिवारों का जीवन और आजीविका सुरक्षित रखने के लिए बायोकवच का निर्माण करना। • विशेष आर्थिक क्षेत्रों (ईईजेड) का प्रबंधन और आर्थिक प्रयोग।	संस्थानों को सहायता। • मछली पकड़ने वाले लोगों को प्रशिक्षण देने के लिए मात्स्यिकी प्रशिक्षण एवं विस्तार एक स्कीम के रूप में कार्यान्वित किया जाता है जिससे कि मात्स्यिकी विस्तार कार्यक्रम करने में उनकी सहायता की जा सके। इस स्कीम में मछुआरा जातियों को उनकी दक्षता बढ़ाने में सहायता करने की भी सुविधा प्रदान की जाती है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना करने/उन्नयन के लिए भी सहायता दी जाती है। • हाल ही में राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड का गठन किया गया है जिसका मुख्य उद्देश्य है– मात्स्यिकी और जल कृषि तथा व्यवसायिक प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करना; मत्स्य पालन, प्रसंस्करण, भंडारण, परिवहन और वितरण में सुधार करना; अधिक से अधिक रोजगार सृजन करना और मात्स्यिकी क्षेत्र में महिलाओं को प्रशिक्षण देना और उन्हें सशक्त बनाने के लिए प्रमुख कार्य करना है। • राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण स्कीम मछुआरा परिवारों के प्रशिक्षण और विस्तार का ध्यान रखता है। • 32 करोड़ रूपये के आबंटन से "समुद्री मात्स्यिकी, अवसंरचना और एकत्रण पश्चात कार्य का विकास" स्कीम के अंतर्गत छोटे निकर्षण का	बनाने के लिए उनकी क्षमता निर्माण हेतु सहायता दी जानी चाहिए जिसे राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद जैसी उपयुक्त संस्थागत तंत्र के माध्यम से प्रमाणित/मान्यता प्राप्त किया जाए। **(कार्रवाईः डीओएएचडीएंडएफ)** • सिंचित आयकटों और अन्य संभावित क्षेत्रों में जलमग्न क्षेत्रों को ढ़कने के लिए राज्यों द्वारा एफएफडीए की सहायता से कार्य योजना तैयार की जानी चाहिए। इस संबंध में राज्यों को उपयुक्त दिशानिर्देश जारी किए जाएं। **(कार्रवाईः डीओएएचडीएंडएफ)** • एक व्यापक मॉडल मात्स्यिकी अधिनियम तैयार किया जाए और गहरे समुद्र के साथ–साथ भूमि के संसाधनों का पूरा–पूरा उपयोग करने के लिए राज्यों को परिचालित कर दिया जाए। इसमें खारा जल अथवा मीठा जल कृषि मात्स्यिकी, प्रजनक और अवयस्क मछली पकड़ने, जूट नेटिंग, टिम्बर सीजनिंग और जल निकायों के प्रदूषण पर प्रतिबंध, इलेक्ट्रिक फिशिंग पर प्रतिबंध और अधिक समय तक मछली पकड़ने, साझा सम्पति वाले, जल निकायों से बहुत अधिक मात्रा में मछली पकड़ने पर प्रतिबंध, कम उत्पादकता वाली कृषि भूमि जैसे

क्र. सं.	राष्ट्रीय किसान नीति, 2007 पैरा संख्या और संक्षेप में नीतिगत प्रावधान और प्राथमिक जिम्मेवारी (पीआर) अथवा प्राथमिक समन्वयन (पीसी) वाले मंत्रालय/विभाग	कार्य योजना	
		पहले से कार्यान्वित अथवा कार्यान्वयनाधीन स्कीम/कार्यक्रम/कार्य	की जाने वाली आगे की कार्रवाई/किए जाने वाले प्रयास तथा कार्रवाई हेतु एजेन्सी/समन्वयक
		प्रावधान किया गया है। • मछली पालक विकास एजेंसी और राष्ट्रीय मछुआरा संघ एवं सहकारी समिति लि. विकेन्द्रीकृत रूप से मात्स्यिकी पकड़ और मत्स्य पालन और तालाबों और जलाशयों में आवश्यक स्थान देकर अंतर्देशीय जलकृषि के लिए भी सहायता का ध्यान रखता है। • विशेष आर्थिक क्षेत्रों का प्रबंधन और आर्थिक प्रयोग एनएफडीबी के अध्यादेश के अंतर्गत आता है। इससे समुद्री मछुआरों को सहायता मिलेगी।	जलभराव वाली/क्षारीय भूमि को एक्वाकल्चर निकायों इत्यादि में बदलने के लिए फ्रेमवर्क से संबंधित अंतर–राज्यीय मामलों को शामिल किया जाए। **(कार्रवाई: डीओएएचडीएंडएफ)**
7.	**पैरा 4.6– संपत्ति सुधार–जैव संसाधन** • जैव संसाधनों को संरक्षित करने तथा बढ़ाने एवं लाभों को समान रूप से शेयर करने के साथ उनके सतत उपयोग को संरक्षित करने के प्रयास किए जाएंगे। • पादप किस्म संरक्षण और कृषक अधिकार अधिनियम, 2001 और जैव अधिकार अधिनियम, 2002 के कार्यान्वयन को सुदृढ़ किया जाएगा और विस्तृत दिशानिर्देश इस प्रकार तैयार किए जाएंगे जिससे कृषक और कृषक समुदाय के अधिकार को मान्यता दी जा सके। • किसानों के योगदान को मान्यता देने और उन्हें पारितोषिक देने के लिए राष्ट्रीय जीन और जैव	• नीतिगत प्रावधान में यथा–उल्लिखित दो मुख्य विधानों को पहले से क्रियान्वित किया जा रहा है। • कृषि एवं सहकारिता विभाग ने पादप किस्म संरक्षण और कृषक अधिकार अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए नवम्बर, 2005 पादप किस्म और अधिकार प्राधिकरण की भी स्थापना की थी। • मुख्य अनाजों दलहन, सब्जियों, तिलहन और फल–फसलों की जेनेटिक इंजीनियरिंग, ट्रांसजेनिक पर आईसीएआर नेटवर्क के माध्यम से चल रही है जिसमें 21 संस्थाएं, 14 फसलें और शस्य विज्ञानीय प्रजातियां जैसे जैविक दवाओं के प्रति प्रतिरोध और अजैविक दवाओं के प्रति	• जैव संसाधन संरक्षण की महत्ता को शामिल करने के लिए मॉस मीडियों और कृषि विस्तार तंत्र के जरिए अधिनियमों के बारे में जागरूकता का सृजन किया जाए। **(कार्रवाई: डीएसी और एमओईएफ)** • राष्ट्रीय जीन और जैव विविधता कोष की स्थापना की जाए और किसानों जिन्हें जैव विविधता का संरक्षक समझा जाता है, को मान्यता देने और पुरस्कृत करने के लिए उसका उपयोग किया जाए। **(कार्रवाई: डेयर/आईसीएआर)**

क्र. सं.	राष्ट्रीय किसान नीति, 2007 पैरा संख्या और संक्षेप में नीतिगत प्रावधान और प्राथमिक जिम्मेवारी (पीआर) अथवा प्राथमिक समन्वयन (पीसी) वाले मंत्रालय/विभाग	कार्य योजना	
		पहले से कार्यान्वित अथवा कार्यान्वयनाधीन स्कीम/कार्यक्रम/कार्य	की जाने वाली आगे की कार्रवाई/किए जाने वाले प्रयास तथा कार्रवाई हेतु एजेन्सी/समन्वयक
	विविधता कोष का उपयोग किया जाएगा। • जैव संसाधनों के संरक्षण और विकास के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाएंगेः– • (क) जैव विविधता रजिस्टरों के माध्यम से पारम्परिक जानकारी का प्रलेखन तथा स्व–स्थाने फार्म संरक्षण परम्परा को पुनः सक्रिय करने के लिए जनजातीय और ग्रामीण लोगों को मदद करना, • (ख) भू–प्रजातियों की उत्पादकता में सुधार करने के लिए सहभागी प्रजनन प्रक्रियाएं तथा किसानों के साथ सहभागी प्रजनन प्रोग्राम में पूर्व प्रजनन की भूमिका निभाने के लिए सहभागी संस्थाओं में कार्यरत जेनेटिक इंजीनियर, कृमि और रोग संक्रमण से छोटे किसानों को बचाने में मदद करने के लिए पूर्व–प्रजनन और सहभागी प्रजनन को एक साथ मिलाया जाए, • (ग) विशिष्ट क्षेत्रों में जेनेटिक और विधायी पहलुओं पर साक्षरता अभियान शुरू करना, • (घ) जेनेटिक संसाधन संरक्षण पर जानकारी देने के लिए ग्रामीण स्कूलों और कालेजों में जीनोम क्लब को बढ़ावा दिया जाएगा। **(डेयर, आईसीएआर और डीएसी)**	सह्यता शामिल है। 11वीं योजना के दौरान कृषि जैविक प्रौद्योगिकी पर एक नई संस्था प्रस्तावित है। • एमओईएफ द्वारा "राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण" की स्थापना एक स्वायत्त सांविधिक प्राधिकरण के रूप में किया गया है। जीव विज्ञानी विविधता अधिनियम, 2002 के अधीन "जीव विज्ञानी विविधता हेरीटैज स्थलों की स्थापना हेतु दिशानिर्देश तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है। • परम्परागत जानकारी का प्रलेखन एनएटीपी के अधीन डेयर/आईसीएआर द्वारा संकलित किया जा रहा है।	• पादप किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण द्वारा परम्परागत जानकारी का प्रलेखन सुनिश्चित किया जाए। परम्परागत जानकारी के प्रलेखन में आईसीएआर संस्थाओं और अन्य गैर–सरकारी संगठनों को शामिल करने तथा सामुदायिक जैव विविधता रजिस्टर तैयार करने के लिए कार्रवाई करने की जरूरत है। **(कार्रवाईः डीएसी/डेयर)** • पर्यावरणीय चिन्ताओं तथा बायो–मॉस, जैविक और अजैविक उर्वरकों के संतुलित और मिश्रित उपयोग तथा कृषि रसायनों के नियंत्रित उपयोग के बारे में किसानों को संवेदनशील बनाने के लिए सक्रिय उपाय किए जाएं। **(कार्रवाईः डीएसी)** • ग्रामीण और शहरी कचरे के उपयोग और कृषि और नगरपालिका जैविका अवशेषों, जिनसे कम्पोस्ट तैयार किया जा सकता है, के पुनःचक्रण को प्राथमिकता दी जाए। **(कार्रवाईः डेयर)** • आईसीएआर/कृषि विज्ञान केन्द्रों द्वारा प्रशिक्षण दिया जा सकता है। **(कार्रवाईः डेयर)**

क्र. सं.	राष्ट्रीय किसान नीति, 2007 पैरा संख्या और संक्षेप में नीतिगत प्रावधान और प्राथमिक जिम्मेवारी (पीआर) अथवा प्राथमिक समन्वयन (पीसी) वाले मंत्रालय/विभाग	कार्य योजना	
		पहले से कार्यान्वित अथवा कार्यान्वयनाधीन स्कीम/कार्यक्रम/कार्य	की जाने वाली आगे की कार्रवाई/किए जाने वाले प्रयास तथा कार्रवाई हेतु एजेन्सी/समन्वयक
			• आरकेवीवाई की सहायता से प्रारंभ में प्रत्येक राज्य में एक मॉडल जीनोम क्लब की स्थापना की जाए। • कृषि एवं सहकारिता विभाग के अधीन एक संस्थान को परम्परागत जानकारी के संरक्षण, स्वदेशी और स्थानीय समुदाय के नवाचार और पद्धतियों तथा सतत कृषि विकास हेतु उनके इस्तेमाल की जिम्मेवारी दी जाए। **(कार्रवाईः डीएसी)**
8.	**पैरा 4.7: पशु जेनेटिक संसाधन** • पुरस्कारों और प्रोत्साहनों की एक पद्धति विकसित की जाएगी ताकि लोगों को जैव–विविधता अधिनियम के अंतर्गत अपनी प्रजातियों को संरक्षित रखने के लिए समर्थ और प्रेरित किया जाए। • पशुधन पालकों को अपने प्रजनन भण्डार और प्रजनन प्रथाओं के उपयोग और विकास को जारी रखने के अधिकारों को स्वीकार और उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा। सरकार इन अधिकारों को मान्यता प्रदान करेगी, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में पशुधन पालकों के अंशदान को स्वीकार करेगी और तदनुसार अपनी नीतियों व विधिक रूपरेखाओं को अनुकूल बनाएगी जिससे कि उनका संरक्षण हो सके और पशु संसाधनों पर नियंत्रण करने के लिए बौद्धिक संपदा	• आईसीएआर ने देश में पशु जैनेटिक संसाधनों के वर्गीकरण और सर्वेक्षण पर पहले से एक महत्वपूर्ण परियोजना शुरू कर दी है। फिलहाल यह परियोजना गो–पशु भैंस, बकरी और भेड़ प्राति को कवर करते हुए सात विभिन्न स्थानों पर चल रही है। ग्यारहवीं योजना में 19 यूनिटें प्रस्तावित हैं। कार्यक्रम की सहायता करने के लिए तीन मुख्य प्रयोगशालाएं–जर्म प्लाज्म के मालिकुलर वर्गीकरण में सहायता कर रही है। पशु जैनेटिक संसाधनों पर रिपोर्ट तैयार कर ली गई और एफएओ को भेज दी गई है जो एफएओ के विश्व पशु जैनेटिक संसाधनों का भाग है। • खासकर रोगों पर पशुपालकों द्वारा अनुप्रयुक्त कुछ देशीय ज्ञान का एनएटीपी के अधीन शुरू की गई आईटीके परियोजना के जरिए प्रलेखन कर	• प्राथमिकता के आधार पर पुरस्कारों और प्रोत्साहनों की प्रणाली शुरू की जाए। चल रहे अनुसंधान कार्यकलापों के सुदृढ़ीकरण हेतु डेयर को जीव विविधता कोष उपलब्ध कराया गया। **(कार्रवाईः डेयर/आईसीएआर, एमआईईएफ)** • पशु विज्ञान स्नातकों, स्वावंलबी समूह और प्रगतिशील पशुपालकों को बढ़ावा दिया जाए। संवर्गी पशुओं के अनुरक्षण के लिए सहायता दी जाए। **(कार्रवाईः डेयर/आईसीएआर, एमआईईएफ)** • नस्ल की क्वालिटी हेतु गोपशुओं के कृत्रिम गर्भधारण के लिए संवर्गीय साड़ों का मूल्यांकन करना और अच्छीह क्वालिटी के प्रजनन साड़ों के रैंकिंग और चयन को बढ़ावा दिया जाए।

क्र. सं.	राष्ट्रीय किसान नीति, 2007 पैरा संख्या और संक्षेप में नीतिगत प्रावधान और प्राथमिक जिम्मेवारी (पीआर) अथवा प्राथमिक समन्वयन (पीसी) वाले मंत्रालय/विभाग	कार्य योजना	
		पहले से कार्यान्वित अथवा कार्यान्वयनाधीन स्कीम/कार्यक्रम/कार्य	की जाने वाली आगे की कार्रवाई/किए जाने वाले प्रयास तथा कार्रवाई हेतु एजेन्सी/समन्वयक
	प्रणाली के उपयोग के प्रयासों को नाकाम किया जा सकें। • चरवाहा समुदायों के पशु अनुरक्षण और प्रजनन के बारे में देशज ज्ञान को प्रलेखबद्ध करना, • देशज पशुओं की नस्लों और प्रजातियों के समुदाय आधारित संरक्षण और विकास को प्रोत्साहित किया जाएगा, • जर्म प्लाज्म की जांच करने के लिए रोग से सुरक्षा संबंधी सुविधाएं जुटाई जाएंगी और रोग प्रतिरोधी किस्मों के चयन को बढ़ावा दिया जाएगा। • पशु विज्ञान स्नातकों, स्व–सहायता समूहों (एसएचजी) तथा प्रगतिशील पशु कृषकों को ऐसी प्रजाति के पशुओं के अनुरक्षण के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा **(प्राथमिक समन्वयन डेयर/आईसीएआर और डीओएएचडी और एफ)**	लिया गया है और अधिक ज्ञान और उसे वैध करने के लिए प्रलेखन पर पूरे देश में जोर दिया जाना जरूरी है। संरक्षित पशुधन रोगों में विशेष जीवविज्ञानीय अैर आर्थिक प्रजातियों का प्रलेखन किया गया है। तथापि इसे रोग प्रतिरोधि गुणवत्ता हेतु जर्म प्लाज्म की संरक्षा करने के साथ सतत प्रक्रिया होनी चाहिए। • देश के पशु जेनेटिक संसाधनों की पहचान तथा उसकी रक्षा करने के लिए प्रजातियों की जेनेटिक सूची तैयार की गई है। ज्ञात 140 प्रजातियों में से 84 की आनुवंशिक रूप से सूची तैयार कर ली गई। • सरकार स्वदेशी गो–पशु नस्लों के विकास और संरक्षण पर ध्यान केन्द्रित करते हुए "राष्ट्रीय गो–पशु और भैंस प्रजनन परियोजना" क्रियान्वित की जा रही है। इस स्कीम के अधीन सांड उत्पादन कार्यक्रम/क्षेत्र निष्पादन कर रही है। रिकार्डिंग कार्यक्रम के अधीन लाए जाने वाले प्रति पशुओं हेतु 1000 रूपए तक का प्रोत्साहन उपलब्ध है। प्रोत्साहन उन किसानों को दिया जाता है जो केन्द्रीय पशु पंजीकरण स्कीम के अधीन स्वदेशी नस्ल के सर्वोत्तम पशु रखते हैं। • एनपीसीपीबी के अधीन स्वदेशी नस्ल के सर्वोत्तम जर्म प्लाज्म रखने वाले किसानों/स्वावलंबी	**(कार्रवाईः डेयर/आईसीएआर/डीओएचडी एण्ड एफ और एमआईएफ)** • जीव विविधता संरक्षण हेतु आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए पशुधन और पशुधन उत्पादकता बढ़ाने के लिए राज्य स्तर/राष्ट्रीय स्तर पर पशुधन प्रजनन नीति तैयार की गई। **(कार्रवाईः डेयर, आईसीएअर, डीओएएचडी एण्ड एफ और एमओईएफ)**

क्र. सं.	राष्ट्रीय किसान नीति, 2007 पैरा संख्या और संक्षेप में नीतिगत प्रावधान और प्राथमिक जिम्मेवारी (पीआर) अथवा प्राथमिक समन्वयन (पीसी) वाले मंत्रालय/विभाग	कार्य योजना	
		पहले से कार्यान्वित अथवा कार्यान्वयनाधीन स्कीम/कार्यक्रम/कार्य	की जाने वाली आगे की कार्रवाई/किए जाने वाले प्रयास तथा कार्रवाई हेतु एजेन्सी/समन्वयक
		समूहों/गौ–शालाओं का प्रोत्साहन द्वारा बढ़ावा दिया जाता है। सर्वोत्तम जर्म प्लाज्म रखने वाले किसानों के लिए प्रोत्साहन का प्रावधान सीएचआरएस के अधीन उपलब्ध है। एनपीसीपीवी के अधीन संतति परीक्षण कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए राज्यों को निधियां निर्मुक्त की जाती हैं। सांड उत्पादन कार्यक्रम भी कार्यान्वयनाधीन है और कृत्रिम निशेचन हेतु वीर्य केन्द्रों पर उपलब्ध सभी सांडों को ज्ञात आंनुवशिक क्षमता सांडों से प्रतिस्थापित किया जाएगा।	
9.	**पैरा 5.1– सहायक सेवाएं–विज्ञान और तकनीकी** • नई प्रौद्योगिकी सुस्ती पर विजय प्राप्त करने के लिए नई प्रौद्योगिकी आवश्यकता है जो भूमि और जल की प्रति यूनिट उत्पादकता बढ़ाने में मदद कर सके। • फ्रंटियर प्रौद्योगिकियां जैसे बायो–टेकनोलॉजी, सूचना और सूचना प्रौद्योगिकी, पुनःनवीकरण ऊर्जा प्रौद्योगिकियां, अंतरीक्ष अनुप्रयोग और नैनो प्रौद्योगिकी, संधारणीय आधार पर उत्पादकता सुधार के लिए सक्षम "सदाबहार क्रांति" शुरू करने के लिए अवसर प्रदान करते हैं।	• विगत समय में, आईटी, सुदूर संवेदन, जीआईएस, जीपीएस आदि के विकास में त्वरित प्रगति हुई है। जो उनके कुशल मानिटरन और प्रबंधन हेतु बहुत बड़े क्षेत्र में कृषि संसाधन अर्थात् मृदा, भूमि, जल और फसलों से संबंधित सूचना एकत्रित करने में लागत प्रभावी तंत्र के रूप में काम करती है। • सुदूर संवेदन आंकड़ों का इस्तेमाल फसल मानिटरिंग, फसल क्षेत्रफल और उपज अनुमान, फसल उत्पादन पूर्वानुमान, फसल कृमि और रोग प्रबंधन, वन आच्छादन के प्रकार की पहचान, वन अग्नि जोखिमों को पता लगाने, वन रोपण हेतु	• जैसा कि पांचवी पंचवर्षीय योजना "दस्तावेज में परिकल्पित है ग्यारहवीं योजना में प्रतिवर्ष 4 प्रतिशत तक कृषि विकास करने की कार्यनीति के लिए अन्य बातों के साथ–साथ किसानों तक प्रौद्योगिकी लाने से संबंधित कार्रवाई की आवश्यकता है। तत्काल कार्य बिन्दु हैं– कार्यनीतिक अनुसंधान को कृषि अनुसंधान में प्राथमिकता दी जाए–अनुसंधानः प्राथमिकता विभिन्न कृषि जलवायु स्थिति के उपयुक्त फसल प्रणाली तैयार करने तथा सूखा और कृमि प्रतिरोधी उपचारों के विकास के जरिए वर्षासिंचित क्षेत्रों में उपज संभावना बढ़ाने की ओर होनी चाहिए;–आईसीएआर को तदनुसार पुनः

क्र. सं.	राष्ट्रीय किसान नीति, 2007 पैरा संख्या और संक्षेप में नीतिगत प्रावधान और प्राथमिक जिम्मेवारी (पीआर) अथवा प्राथमिक समन्वयन (पीसी) वाले मंत्रालय/विभाग	कार्य योजना	
		पहले से कार्यान्वित अथवा कार्यान्वयनाधीन स्कीम/कार्यक्रम/कार्य	की जाने वाली आगे की कार्रवाई/किए जाने वाले प्रयास तथा कार्रवाई हेतु एजेन्सी/समन्वयक
	• राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान पद्धति की छत्रछाया के तहत सामाजिक रूप से संगत कृषि अनुसंधान हेतु सार्वजनिक निवेश में वृद्धि की जानी चाहिए, जिसमें बड़ी संख्या में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के संस्थान, राज्य कृषि विश्वविद्यालय, अखिल भारत समन्वित अनुसंधान परियोजनाएं और राष्ट्रीय ब्यूरो सम्मिलित हैं। गैर–सरकारी संस्थान (एनजीओ) तथा निजी क्षेत्र के अनुसंधान एवं विकास संस्थानों को भी एनएआरएस में शामिल किया जाएगा। एनएआरएस का पुनर्गठन किया जाएगा ताकि लघु एवं सीमांत किसानों की समस्याओं को प्रभावी रूप से हल किया जा सके। • समुदाय प्रबंधित बीज ग्रामों और बीज प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण केन्द्रों की आवश्यकता है, जिनमें महिलाएं, विशेष रूप से जनजातीय समुदाय में बीज और बीज प्रबंधन के अपने पारंपरिक ज्ञान के कारण, महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाती हैं। • वैज्ञानिक जानकारी और जैव–प्रौद्योगिकी व अन्य नई प्रौद्योगिकी से जुड़े जोखिमों और लाभों के बारे में भ्रम और आशंकाओं को दूर करने के उद्देश्य से, प्रत्येक पंचायत से चुने हुए किसानों को फार्म विज्ञान प्रबंधक के रूप में प्रशिक्षित किए जाने का प्रावधान किया जा सकता है ताकि वे अपने–अपने गांवों में फार्म विज्ञान प्रबंधकों के रूप में कार्य कर सकें।	संभावित सीलों का पता लगाने, वन–बायो मॉस के मूल्यांकन और आवास उपयुक्तता विश्लेषण और प्रबंधन में किया जाता है। इसमें बाढ़ और सूखा मानिटरन विपदा प्रबंधन बायो–स्फियर और जीव विविधता संरक्षण भी शामिल है। • नैनो–प्रौद्योगिकी में उपयुक्त नैनो उत्पादों और बायो सेन्सर के विकास के जरिए मृदा–जल, पोषक तत्व, कृमिनाशी, के संबंध में संसाधन विकास क्षमता वृद्धि की संभावना है। • कृषि में उत्पादकता और गुणवत्ता बढ़ाने में फ्रंटियर प्रौद्योगिकी के महत्व को पहचानते हुए इन विषयों पर उच्च कृषि शिक्षण में जोर दिया गया है। अब स्नातक कार्यक्रमों में इन मदों पर पाठ्यक्रम पहले ही शामिल किए गए हैं। मास्टर और डॉक्टरोल कार्यक्रम की पुनर्संरचना चल रही है जो इन सभी फ्रंटियर प्रौद्योगिकियों पर उचित जोर देगी। • डीओबीटी रेशेदार खाद्य फसलों को बायो फोटिफिकेशन सहित जैव और अजैव दबाओं के प्रतिरोधी/संहिष्णु किस्मों को तैयार करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम चला रहा है। डीओबीटी खासकर जनजातीय समूहों में बीज और बीज प्रबंधन के उनके परंपरागत ज्ञान के कारण मुख्य भूमिका अदा करने के लिए कार्यक्रम तैयार	संरचित करने तथा इसकी जिम्मेदारी बढ़ाने की आवश्यकता है– राज्य कृषि विश्वविद्यालयों को अधिक जिम्मेवार बनाने तथा स्थान विशिष्ट प्रौद्योगिकी को विकसित परिष्कृत करने के लिए सुदृढ़ीकरण करना–उनकी अध्यापन क्षमता को सुदृढीकरण बनाने की आवश्यकता है। **(कार्रवाही: डेयर/आईसीएआर, डीओबीटी, एमओईएस, सीएसआईआर, एसएयू)** • कृषि में जैव–प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग पर कार्यबल की सिफारिश और इस संबंध में परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए कृषि में गैर–प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग को बढ़ावा दिया गया है। जलवायु परिवर्तनों के अनुकूल किस्म विकसित करने वाली फसलों को तैयार करने के डीओबीटी कार्यक्रम एक बार जब ऐसी किस्में विकसित कर ली जाती है तब डीएसी/डेयर ऐसी किस्मों के खेतों पर प्रदर्शन के लिए उपयुक्त कार्रवाई करें। पोषाहारीय फोर्टीफिकेशन हेतु जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग हेतु अनुसंधान कार्यक्रम। **(कार्रवाई: डीओबीटी/डीएसी/डेयर)** • नई किस्मों विकास एवं उत्पादन हेतु एनएआरएस, बीज संरक्षण/उत्पादन एजेंसियों तथा गैर–सरकारी क्षेत्र को एक ही संघ के तहत लाया जाए।

क्र. सं.	राष्ट्रीय किसान नीति, 2007 पैरा संख्या और संक्षेप में नीतिगत प्रावधान और प्राथमिक जिम्मेवारी (पीआर) अथवा प्राथमिक समन्वयन (पीसी) वाले मंत्रालय/विभाग	कार्य योजना	
		पहले से कार्यान्वित अथवा कार्यान्वयनाधीन स्कीम/कार्यक्रम/कार्य	की जाने वाली आगे की कार्रवाई/किए जाने वाले प्रयास तथा कार्रवाई हेतु एजेन्सी/समन्वयक
	• पुनः संयोजित डीएनए प्रौद्योगिकी अथवा जेनेटिक इंजीनियरी के सुरक्षित और जिम्मेदारीपूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए एक राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी विनियामक प्राधिकरण स्थापित किया जाएगा। • विभिन्न किस्म की फसलों की जरूरत के अनुसार पैदावार में वृद्धि की जाएगी जैसे कि संसाधित किए जाने की दृष्टि से अच्छी गुणवत्ता वाले फल और सब्जियां। • किसानों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए और आर्गेनिक खेती में वैज्ञानिक उत्पादन बढ़ाने के लिए उच्चस्तरीय बहु–विषयक प्रयास किया जाएगा। फसल–पशुधन–मत्स्य एकीकृत उत्पादन पद्धतियों के अंतर्गत आर्गेनिक खेती के सिद्धांतों और विधियों को अपनाने की गुंजाइश है। • सघन फसल वाले कृषि क्षेत्रों में पारिस्थितिकी, अर्थशास्त्र और रोजगार सृजन की दृष्टि से, फसल विविधीकरण लाभप्रद हो सकता है। तथापि, फसल विविधीकरण के सम्बन्ध में दिए जाने वाले किसी भी परामर्श के साथ–साथ ऐसे उपाय भी अवश्य बताए जाने चाहिए जिनसे वैकल्पिक फसलों के लिए प्रभावी बाजार सहायता सुनिश्चित की जा सके। फसल विविधीकरण के लिए योजना तैयार करते समय, विशेष रूप से खाद्य फसल से गैर–खाद्य	करेगा। • जहां तक कृषि शिक्षा और अनुसंधान आईसीटी का संबंध है आईसीएआर ई–कनेक्टिविटी, आन–लाईन पत्रिकाओं की उपयोगिता और आवश्यक अवसंरचनात्मक विकास को सहायता देने पर विचार कर रही है। डिग्री कार्यक्रमों में ई–पाठ्यक्रमों के विकास पर विचार किया गया है। पीएचडी थिसीस का एक डिजीटल पुस्तकालय स्थापित किया जा रहा है। कृषि में ई–रिकोर्सेस के लिए कंजोरटियम की स्थापना आईएआरआई, नई दिल्ली में की जा रही है। इन प्रावधानों से परिसर में और परिसर से बाहर के उपयोग, ज्ञान और पुस्तकालय प्रबंधन पहुंच को बढ़ावा मिलेगा। • डेयर/आईसीएआर का ग्यारहवां योजना परिव्यय दसवीं योजना की तुलना में दुगुना से भी अधिक है। मशेलकर समिति और स्वामीनाथन समिति की सिफारिशों का कृषि अनुसंधान प्रणाली को सक्रिय बनाने के लिए संज्ञान लिया गया है। • ग्यारहवीं योजना के दौरान अनुसंधान का केन्द्र बिन्दु ऐसा बनाया गया है कि वह पर्यावरणीय कारकों, जलवायु परिवर्तन और जैविक कृषि का ध्यान रख सकें। छोटे और सीमांत कृषि उत्पादन प्रणालियों को प्राथमिकता दी गई है। आईसीएआर ऐसी प्रौद्योगिकी के सृजन पर ध्यान केन्द्रित कर	**(कार्रवाईः डीएसी)** • इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए भारी संख्या में किसान खेतों से बचाये हुए बीजों का उपयोग करते हैं। अतः यह अपेक्षा की जाती है किसानों को बीज उत्पादन खासकर संकर बीजों के प्रसस्करण और भण्डारण प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षित किया जाए। राज्य कृषि विश्वविद्यालय और कृषि विज्ञान केन्द्रों द्वारा इस संबंध में प्रगतिशील किसानों को प्रशिक्षित किया जाए। **(कार्रवाईः डीएसी)** • अधिक संख्या में महिला किसानों/स्वावंलंबी समूहोंको शामिल करते हुए बीज ग्राम कार्यक्रमों का विस्तार किया जाए। **(कार्रवाईः डीएसी)** • देश में खाद्य सुरक्षा हेतु बायोटेक फसलों के विकास के लिए दीर्घकालीन अनुसंधान को प्राथमिकता दी जाए और चल रहे कार्यक्रमों को सुदृढ़ किया जाए। **(कार्रवाईः डेयर/आईसीएआर)** • कृषि एवं सहकारिता विभाग के स्कीमों जैसे बीज ग्राम और अन्य वर्तमान कार्यक्रम के अंतर्गत समुदाय

क्र. सं.	राष्ट्रीय किसान नीति, 2007 पैरा संख्या और संक्षेप में नीतिगत प्रावधान और प्राथमिक जिम्मेवारी (पीआर) अथवा प्राथमिक समन्वयन (पीसी) वाले मंत्रालय/विभाग	कार्य योजना	
		पहले से कार्यान्वित अथवा कार्यान्वयनाधीन स्कीम/कार्यक्रम/कार्य	की जाने वाली आगे की कार्रवाई/किए जाने वाले प्रयास तथा कार्रवाई हेतु एजेन्सी/समन्वयक
	फसल में जैसे बायो–ईंधन के उत्पादन के संबंध में राष्ट्र की खाद्य सुरक्षा को ध्यान में रखा जाएगा। • बौद्धिक संपदा अधिकार नियमों में अनुसंधान उत्पादों और संसाधन विहीन किसान परिवारों के मूल्य की प्रक्रिया के मामले में अधिकारों के अनिवार्य लाइसेंसिंग का प्रावधान किया जाएगा। • स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा के मामले में सामाजिक समावेशन मार्गदर्शी कारक होगा। • प्रौद्योगिकी सेवाओं और सार्वजनिक नीतियों के उचित समेकन के जरिए सिंधु–गंगा के मैदानी भागों को प्रमुख खाद्यान्न उत्पादकता क्षेत्र में बदलने और हरित क्रांति के मूल क्षेत्र में संरक्षण कृषि को प्राथमिकता दी जाएगी। **(पीआर/पीसीः डेयर/आईसीएआर, डीओबीडी, डीएसी, एमओईएस और सीएसआईआर)**	रही है ताकि महिला किसानों के उपयोग और महिलाओं की चिन्ता का समाधान किया जा सके। • आईसीएआर में देश के प्रत्येक ग्रामीण जिले में पहले ही कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना कर दी है। कृषि विज्ञान केन्द्रों के कार्यकलापों में शामिल है, विभिन्न कृषि प्रणालियों के अधीन प्रौद्योगिकी की स्थान विशिष्टता की पहचान करने के लिए खेतों पर परीक्षण के जरिए प्रौद्योगिकी मूल्यांकन और परिष्करण, किसानों के खेतों पर उन्नत कृषि प्रौद्योगिकी की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए फ्रंटलाईन प्रदर्शन, किसानों के ज्ञान और दक्षता को अद्यतन बनाने के लिए कृषक प्रशिक्षण, प्रौद्योगिकी विकास के फ्रंटलाईन क्षेत्र में उन्हें निर्मुक्त करने के लिए विस्तार कार्मिकों का प्रशिक्षण, कृषि विज्ञान केन्द्रों को सूचना के आदान–प्रदान तथा प्रौद्योगिकी उन्नयन को सरल बनाने के लिए ई–कनेक्टिविटी हेतु लक्षित किया गया है। यह सुविधा नई प्रौद्योगिकियों के बारे में किसानों को जल्द सूचना प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा। • बायो–प्रगति में हुई उन्नति का कृषि उत्पादन पर नाटकीय प्रभाव पड़ा। भारत में बीटी कॉटन एक उदाहरण है जिसके कारण कपास उत्पादन में भारी वृद्धि हुई है।	स्तर पर उन्नत बीजों के उत्पादन और इसके वितरण और विनिमय में तीव्रता लाने की आवश्यकता है। **(कार्रवाईः डीएसी)** • संबंधित राज्य सरकारों के परामर्श से पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में संरक्षित खेती की रूपरेखा तैयार की जानी चाहिए। प्राकृतिक संसाधनों की सीमाओं और मृदा उर्वरता और जल संरक्षण की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए संधारणीय कृषि पद्धतियों को उपयुक्त रूप से शामिल किया जाए। **(कार्रवाईः डीएसी)** • जहां विद्यमान भूमि और जल खाद्यान्नों के उत्पादन में उपयुक्त रूप से सहायता नहीं करते हैं ऐसे क्षेत्रों को पुष्पकृषि और पशुधन आदि के लिए चारा जैसा व्यवहार्य होगा, सहित बागवानी क्षेत्र में परिवर्तित किया जाए। राज्य सरकारों के परामर्श से विविध फसल हेतु ऐसी भूमि की पहचान की जाए। **(डीएसी, कपड़ा मंत्रालय और सीएसआईआर)** • प्रयासों को गति प्रदान करने के लिए जहां तक फसल विविधीकरण का संबंध है, उत्पाद की खरीद

क्र. सं.	राष्ट्रीय किसान नीति, 2007 पैरा संख्या और संक्षेप में नीतिगत प्रावधान और प्राथमिक जिम्मेवारी (पीआर) अथवा प्राथमिक समन्वयन (पीसी) वाले मंत्रालय/विभाग	कार्य योजना	
		पहले से कार्यान्वित अथवा कार्यान्वयनाधीन स्कीम/कार्यक्रम/कार्य	की जाने वाली आगे की कार्रवाई/किए जाने वाले प्रयास तथा कार्रवाई हेतु एजेन्सी/समन्वयक
		• सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने 5 स्तर अर्थात् राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर, प्रखण्ड स्तर, गांव स्तर और विभिन्न राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान विकास संस्थानों, संगठनों, नेटवर्क, शैक्षिक संस्थानों पर आईसीटी अवसंरचना पहल के लिए पहले से विभिन्न उपाय शुरू कर दिए हैं। • विभिन्न बीज विकास संगठनों में कार्यरत कार्मिकों को प्रशिक्षण देने तथा केन्द्रीय बीज परीक्षण के रूप में कार्य करने के लिए डीएसी द्वारा राष्ट्रीय बीज अनुसंधान और प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किया गया। • केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम अर्थात "गुंणवत्ता बीजों उत्पादन और वितरण हेतु अवसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास और सुदृढ़ीकरण की योजना" क्रियान्वयनाधीन है। • बीज ग्राम कार्यक्रम भी क्रियान्वित किया गया है। विभिन्न राज्यों में 13,213 ऐसे बीज ग्रामों को संगठित किया गया। • सीएसएस ने स्कीम के तीन विशिष्ट घटकों अर्थात बीज ग्राम स्कीम, बीजों से संबंधित गुणवत्ता नियंत्रक प्रबंधों और कृषि में जैव–प्रौद्योगिकी का उपयोग–जन जागरूकता अभियान के तहत महिला किसानों हेतु विशिष्ट लक्ष्य प्रदान किया। • डीओबीटी आनुवंशिक रूप से संशोधित आर्गेनिज्म,	का आवश्वासन न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करना, कटाई पश्चात मूल्य वर्धन, अवसरों का सृजन जैसे नीतिगत पहल शुरू किए जाएं तथापि, विविधीकरण की योजना बनाते समय खाद्य सुरक्षा की चिंताओं को ध्यान में रखा जाए। **(कार्रवाईः डीएसी)** • देश के चावल उत्पादक क्षेत्रों में अधिक मूल्यों वाले संकर चावल के उत्पादन का उत्पादन पता लगाने की संभावना शुरू की जाए। **(कार्रवाईः डीएसी)** • कृषि और बागवानी फसलों, पशुधन प्रजाति और जल कृषि की स्थान विशिष्ट और आर्थिक रूप से व्यवहार्य उन्नत किस्मों पर जोर देते हुए संधारणीय ढंग से उत्पादकता बढ़ाने के लिए कृषि जलवायु क्षेत्रों पर आधारित क्षेत्र विशिष्ट और परिणाम उन्मुख अनुसंधान कार्यनीति, जर्म प्लाज्म और अन्य जैव विविध संसाधनों के संरक्षण और उचित उपयोग सुनिश्चित किया गया। **(कार्रवाईः डेयर/आईसीएआर)** • लगातार आधार पर देश के विभिन्न क्षेत्रों हेतु सभी भावी अनुसंधान कार्यसूची विकसित करने

क्र. सं.	राष्ट्रीय किसान नीति, 2007 पैरा संख्या और संक्षेप में नीतिगत प्रावधान और प्राथमिक जिम्मेवारी (पीआर) अथवा प्राथमिक समन्वयन (पीसी) वाले मंत्रालय/विभाग	कार्य योजना	
		पहले से कार्यान्वित अथवा कार्यान्वयनाधीन स्कीम/कार्यक्रम/कार्य	की जाने वाली आगे की कार्रवाई/किए जाने वाले प्रयास तथा कार्रवाई हेतु एजेन्सी/समन्वयक
		इंजीनियरड, उत्पादों और प्रक्रिया हेतु एकल खिड़की मंजूरी तंत्र प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय जैव–प्रौद्योगिकी विनियामक प्राधिकरण की स्थापना कर रहा है। डीओबीटी इस संबंध में फिलहाल नया विधान तैयार कर रहा है। • डीओबीटी के पास उन्नत प्राथमिकता वाली फसलों अर्थात आलू, ओखरा, प्याज, बैंगन और टमाटर के विकास पर चालू कार्यक्रम है। • गुणवत्ताप्रद फलों और बीजों के प्रसंस्करण और उपयोग सहित फसल किस्मों का आवश्यकता आधारित प्रजनन आईसीएआर द्वारा रिसर्च एजेण्डा में शामिल किया गया है। • डीओबीटी ने जैव–उर्वरकों और जैव कृमिनाशियों हेतु पैकिज विकसित करने के लिए तथा किसानों को खेत में उनके प्रदर्शन हेतु कई आरएण्डडी परियोजनाओं में मदद की है। इसके अलावा यह विभाग पौधरोपण फसलों तथा विभिन्न फसलों और फसल प्रणाली में जैव उर्वरकों के उपयोग हेतु माइक्रो आर्गेनिज्म संघों के विकास पर दो नेटवर्क परियोजना तैयार कर रहा है। • डीओबीटी जैव–कृमिनाशियों के लागत प्रभावी और वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य बड़े पैमाने पर उत्पादन और विकास पर ध्यान केन्द्रित कर रहा है। • फिलहाल आईसीएआर के पास जैव कृषि पर दो	आईसीएआर बहुविषयक कार्यबल का एक नेटवर्क। **(कार्रवाईः डेयर)** • एसएयू/केवीके द्वारा प्राथमिकता आधार विस्तार कार्मिकों के क्षमता निर्माण और दक्षता उन्नयन के जरिए मानव संसाधन का विकास। **(कार्रवाईः डेयर/डीएसी)**

क्र. सं.	राष्ट्रीय किसान नीति, 2007 पैरा संख्या और संक्षेप में नीतिगत प्रावधान और प्राथमिक जिम्मेवारी (पीआर) अथवा प्राथमिक समन्वयन (पीसी) वाले मंत्रालय/विभाग	कार्य योजना	
		पहले से कार्यान्वित अथवा कार्यान्वयनाधीन स्कीम/कार्यक्रम/कार्य	की जाने वाली आगे की कार्रवाई/किए जाने वाले प्रयास तथा कार्रवाई हेतु एजेन्सी/समन्वयक
		नेटवर्क परियोजनाएं हैं जो विभिन्न कृषि पारिस्थितकीय क्षेत्र के 13 स्थानों में चल रही है तथा देश की मुख्य फसलन प्रणाली में उत्पादक आदानों के विविधिकृत उपयोग पर अनुसंधान कार्यकलाप चलाए जा रहे हैं। • फसल विविधीकरणः गहन रूप से व विस्तृत रूप से कृष्य एकल फसल क्षेत्रों में बांस मिशन द्वारा बांस आधारित कृषि वानिकी पद्धतियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। • फसल विविधीकरणः राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का उद्देश्य उन जिलों में जहां अधिक क्षमता है परन्तु फिलहाल उत्पादकता का स्तर अपेक्षाकृत कम है में संधारणीय आधार पर चावल और दलहन का उत्पादन ओर उत्पादकता बढ़ाना है। • फसल विविधीकरणः फसलन प्रणाली अनुसंधान और शुष्क भुमि कृषि पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजनाओं के जरिए अनुसंधान को बढ़ावा दिया जा रहा है। विभिन्न राज्यों के लिए कुछ पारिस्थितिक रूप से संधारणीय और कुशल फसलन प्रतिमान का सुझाव पहले ही दे दिया गया है। • जहां तक अधिक संपदा अधिकारों का संबंध हैं पेटेण्ट अधिनियम, 1970 और पीपीवीएफआर आधिनियम, 2001 में क्रमशः खोज और पादप किस्मों के मामले में अनिवार्य लाइसेंसिंग का	

क्र. सं.	राष्ट्रीय किसान नीति, 2007 पैरा संख्या और संक्षेप में नीतिगत प्रावधान और प्राथमिक जिम्मेवारी (पीआर) अथवा प्राथमिक समन्वयन (पीसी) वाले मंत्रालय/विभाग	कार्य योजना	
		पहले से कार्यान्वित अथवा कार्यान्वयनाधीन स्कीम/कार्यक्रम/कार्य	की जाने वाली आगे की कार्रवाई/किए जाने वाले प्रयास तथा कार्रवाई हेतु एजेन्सी/समन्वयक
		विस्तृत प्रावधान है। यह पर्याप्त मात्रा और उचित मूल्य पर अपने क्षेत्रों/कृषि प्रणाली के उपयुक्त उत्पाद और प्रक्रिया तक किसानों की पहुंच बनाने में मदद करेंगे। आईसीएआर ने अपने आईटी प्रबंधन और दिशानिर्देशों के जरिए इसे पर्याप्त रूप से स्पष्ट किया है कि भारतीय किसानों की विशेष आवश्यकता को पूरी करने के लिए राष्ट्रीय और सार्वजनिक हित में सार्वजनिक क्षेत्र में अपनी मालिकाना प्रौद्योगिकी रख सकते हैं। • संसाधन संरक्षण प्रौद्योगिकियां जैसे जीरो–टिलेज, रैसड् बैड प्लांटिंग, सुव्यवस्थित कृषि, लेसर लेवलिंग, स्थान विशिष्ट पोषक तत्व प्रबंधन फिलहाल विभिन्न उत्पादक प्रणालियां शामिल कर रहे हैं ताकि आदान उपयोग कुशलता, उत्पादकता और मृदा स्थिति सुधार में वृद्धि हो। ये प्रौद्योगिकियां लागत प्रभावी पारिस्थितकीय अनुकूल और बहुत हद तक जल पोषक तत्व और ऊर्जा की आवश्यकता बचाती हें।	
10.	**पैरा 5.2 सहायक सेवायें** **कृषि जैव सुरक्षा** • फसल, पशुपालन, मात्स्यिकी, वानिकी तथा कृषि की दृष्टि से संगत सूक्ष्म जीवों सहित समेकित राष्ट्रीय कृषि जैव–सुरक्षा प्रणाली की स्थापना की जायेगी।	• कृषि जैव सुरक्षा में फसल, पौधे और वृक्ष तथा फार्म व जलीय पशु शामिल हैं। इस विषय में प्रजाति आनुवंशिकीय संसाधनों का संरक्षण, संगरोध व स्वास्थ्य की देखभाल, कीट व पैथोजेंस से संरक्षण, जैविक खादों का उपयोग तथा	• फसल, पशुधन, मात्स्यिकी आदि को कवर करते हुये राष्ट्रीय कृषि जैव–सुरक्षा प्रणाली के प्रबोधन व क्रियान्वयन के लिए एक स्वायत्त प्राधिकरण की स्थापना हेतु कार्यवाही की जानी चाहिये। प्रस्तावित प्राधिकरण को संस्थागत तथा तकनीकी सहायता

क्र. सं.	राष्ट्रीय किसान नीति, 2007 पैरा संख्या और संक्षेप में नीतिगत प्रावधान और प्राथमिक जिम्मेवारी (पीआर) अथवा प्राथमिक समन्वयन (पीसी) वाले मंत्रालय/विभाग	कार्य योजना	
		पहले से कार्यान्वित अथवा कार्यान्वयनाधीन स्कीम/कार्यक्रम/कार्य	की जाने वाली आगे की कार्रवाई/किए जाने वाले प्रयास तथा कार्रवाई हेतु एजेन्सी/समन्वयक
	• एनएबीएस के उद्देश्य निम्नलिखित हैं– (क) फसलों, फार्म पशुओं, मत्स्य तथा वानिकी की उत्पादकता तथा सुरक्षा के संरक्षण के लिये निरूपित प्रभावी एवं समेकित निगरानी, सतर्कता, रोकथाम एवं नियंत्रण विधि; (ख) विनियमन विधियों, शिक्षा, उन्नत स्वच्छता उपाय तथा सामाजिक सक्रियता सहित समेकित जैव–सुरक्षा पैकेज लागू करना। (ग) कीटों, पैथोजेंस तथा खर–पतवारों की आक्रामक विदेशी प्रजातियों तथा आनुवंशिकीय दृष्टि से आशोधित जीवों से प्रमुख सस्य–पारिस्थिकीय तथा फार्मिंग प्रणाली अंचलों को बचाने के लिए प्रभावी संगरोध सुविधाओं से संगठित समेकित राष्ट्रीय कृषि जैव–सुरक्षा कार्यक्रम। **(डीएसी, डीओएएचडी एण्ड एफ एण्ड डेयर)**	जैव–उर्वरक, उन्नत स्वच्छता उपाय आदि सहित वनस्पति जन्तु जगत का संरक्षण एवं सुरक्षा शामिल है। नीति के तहत कृषि जैव–सुरक्षा को समग्र रूप से शामिल करते हुये एनएबीएस की स्थापना का प्रावधान है। **कृषि जैव–सुरक्षा के मामले में पहले से ही की गई कार्यवाहियां** • कृषि जैव–सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा तथा व्यापार सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पौध संरक्षण, संगरोध एवं संचयन निदेशालय, केन्द्रीय समेकित कीट प्रबंध केन्द्र, पौध संगरोध केन्द्रों आदि के जरिये पौध संरक्षण के क्षेत्र में बहुत सी स्कीमें क्रियान्वित की जा रही हैं। कीट जोखिम विश्लेषण के लिए मानक, एसपीएस उपायों के प्रमाणन के लिए दिशा–निर्देश तथा पौध संगरोध आदेश, 2003 कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा किये गये कुछ सक्रिय उपाय हैं। • क्रियान्वित की गई स्कीमें–भारत में कीट प्रबंध प्रणाली का सुदृढ़ीकरण एवं आधुनिकीकरण, भारत में संगरोध सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण एवं आधुनिकीकरण; तथा राष्ट्रीय स्तर पर कीटनाशी अवशेषों की मानीटिरंग। • इन स्कीमों में पौध संरक्षण के प्रमुख अभिवृद्धि क्षेत्र	प्रदान करने के लिए आईसीएआर की एक सक्षम संस्था को नामित किया जाये। **(कार्यवाही कृषि एवं सहकारिता डेयर/आईसीएआर/डीओएएचडी एण्ड एफ)** • स्थल मार्ग की सीमा पर पशु संगरोध सुविधाओं को मजबूत बनाया जाये। आईसीएआर ने सूचित किया कि संगरोध केन्द्रों में सामग्री की मूलभूत जांच करने के लिए भी पर्याप्त सुविधायें नहीं हैं। इसे उचित तरीके से सुदृढ़ तथा आधुनिक बनाया जाये। **(कार्यवाही डीओएएचडी एण्ड एफ)** • आईसीएआर ने सूचित किया कि मौजूदा पशुधन आयात अधिनियम में संशोधन प्राथमिकता के आधार पर किये जाने की आवश्यकता है ताकि विदेशी रोगों के प्रवेश से बचा जा सके तथा ओआईई के विनियमों के अनुसार संक्रमणों/रोगों के फैलाव पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित हो सके। **(कार्यवाही डीओएएचडी एण्ड एफ)** • एविएशन इन्फ्लूएजा के फैलने के बाद पशु रोगों की प्रभावी जांच एवं नियंत्रण के लिए भौगोलिक आवश्यकताओं पर विचार करते हुये महत्वपूर्ण स्थलों पर और अधिक सक्षम प्रयोगशालायें होनी चाहिये।

क्र. सं.	राष्ट्रीय किसान नीति, 2007 पैरा संख्या और संक्षेप में नीतिगत प्रावधान और प्राथमिक जिम्मेवारी (पीआर) अथवा प्राथमिक समन्वयन (पीसी) वाले मंत्रालय/विभाग	कार्य योजना	
		पहले से कार्यान्वित अथवा कार्यान्वयनाधीन स्कीम/कार्यक्रम/कार्य	की जाने वाली आगे की कार्रवाई/किए जाने वाले प्रयास तथा कार्रवाई हेतु एजेन्सी/समन्वयक
		शामिल हैं–समेकित कीट प्रबंध को प्रोत्साहन, विदेशी कीटों, रोगों, खरपतवारों के प्रवेश पर रोक लगाने के लिए संगरोध उपायों तथा अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण, कीट–मुक्त कृषि उत्पादों/जिंसों के निर्यात को कारगर बनाना, नई उच्च उपज देने वाली फसलों की पादप सामग्री का प्रयोग, पौध संरक्षण कुशलता में मानव संसाधन विकास तथा कीटनाशी अवशेष के स्तरों की मानीटिरंग। • ग्याहरवीं योजना के दौरान कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा पौध संरक्षण, समेकित कीट प्रबंध, पौध संगरोध आदि पर बहुत सी नई योजनायें चलाने का प्रस्ताव है। • पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने भूमि एवं जलीय जन्तुओं की जैव सुरक्षा जिसमें उनका संरक्षण, नस्ल, स्वास्थ्य तथा संगरोध शामिल है, सुनिश्चित करने के लिये केन्द्रीय पशुधन संगठन तथा इनकी संस्थाओं, केन्द्रीय पशु प्रजनन फार्म, राष्ट्रीय मवेशी व भैंस प्रजनन परियोजना, राष्ट्रीय पशु एवं कक्कुट सुधार परियोजना, पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण, राष्ट्रीय रेंडरपेस्ट उन्मूलन परियोजना, पालीक्लिनिक/पशु चिकित्सालय तथा डिस्पेंसरियों के नेटवर्क, पशुधन बीमा, पशु संगरोध एवं प्रमाण सेवा, राष्ट्रीय पशु चिकित्सा, जैविक उत्पाद गुणवत्ता नियंत्रण केन्द्र तथा मात्स्यिकी	ऐसे घातक रोगों के फैलाव पर रोक लगाने के लिए अपेक्षित रोग निगरानी सहित अन्य सुविधायें/उपाय प्राथमिकता के अधार पर करने होंगे। **(कार्यवाही डीओएचडी एण्ड एफ)** • वर्द्धित मत्स्य संवर्द्धन तथा विविधीकरण को ध्यान में रखते हुये यह सम्भव है कि खाद्य मत्स्य तथा सजावटी मत्स्य उत्पादन, दोनों के लिये विदेशी मत्स्य तथा कवच मत्स्य प्रजातियों के प्रयोग की मांग में वृद्धि होगी। अतः क्षेत्र में जलीय जन्तुओं के प्रामाणिक संचलन तथा जोखिम आकलन के लिये जैव–सुरक्षा प्रणाली विकिसत करने की आवश्यकता है। जबकि विदेशी प्रजातियों के प्रयोग के लिये दिशा'–निर्देश तैयार कर लिये गये हैं, कम से कम प्रवेश के महत्वपूर्ण स्थलों पर संगरोध प्रणाली सथापित किये जाने की आवश्यकता है। **(कार्यवाही डीएसी/डेयर)** • जैव सुरक्षा के लिये मानव संसाधन विकास तथा क्षमता निर्माण महत्वपूर्ण है। इस उद्देश्य के लिये डैक तथा आईसीएआर के तहत मौजूदा प्रशिक्षण संस्थाओं को मजबूत बनाया जाये। **(कार्यवाही डीएसी/डेयर/डीओएएचडी एन्ड एफ)**

क्र. सं.	राष्ट्रीय किसान नीति, 2007 पैरा संख्या और संक्षेप में नीतिगत प्रावधान और प्राथमिक जिम्मेवारी (पीआर) अथवा प्राथमिक समन्वयन (पीसी) वाले मंत्रालय/विभाग	कार्य योजना	
		पहले से कार्यान्वित अथवा कार्यान्वयनाधीन स्कीम/कार्यक्रम/कार्य	की जाने वाली आगे की कार्रवाई/किए जाने वाले प्रयास तथा कार्रवाई हेतु एजेन्सी/समन्वयक
		आदि के मामले में राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड आदि के माध्यम से बहुत सी स्कीमों/कार्यक्रमों को क्रियान्वित किया है। • आईसीएआर देश में कृषि जैव–सुधार के मामले से अवगत है। राष्ट्रीय पादप आनुवंशिकीय संसाधन ब्यूरो अनुसंधान सामग्री तथा जर्मप्लाज्मा के आयात में संक्रामक जीवों तथा उनकी विदेशी प्रजातियों की निगरानी करने के लिये उत्तरदायी है। • भारतीय कृषि के लिये व्यापक आपदा का कारण बनने वाली संक्रामक प्रजातियों के खतरों के प्रति सचेत होते हुये आईसीएआर द्वारा आपदाओं के घटित होने की स्थिति में सामना करने के लिये इन क्षेत्रों में उचित अनुसंधान पहले से ही किये जा रहे हैं।	• जानकारी के आदान प्रदान तथा कीट व पशुधन रोगों की निगरानी में सुधार/का सुदृढ़ीकरण होना चाहिये। **(कार्यवाही डीएसी)** • आईपीएम/आईएनएम प्रणालियों को लोकप्रिय बनाने तथा जैव कीटनाशकों और प्राक्रतिक कीटनाशकों आदि में कृषि–क्लिनिकों को जोड़ा जाये। **(कार्यवाही डीएसी)** • बुवाई–पूर्व बीजों के उपचार के अभियान को और अधिक बढ़ावा दिया जाये। **(कार्यवाही डीएसी)**
11.	**पैरा–5.3–सहायक सेवायें कृषि मौसम विज्ञान** अल्प, मध्यावधि और दीर्घावधि मौसम के पूर्वानुमान में राष्ट्रीय क्षमता काफी अधिक है। महत्वपूर्ण बात सामान्य जानकारी को फसल पद्धतियों और जल की उपलब्धता पर आधारित स्थान विशिष्ट भू–उपयोग सलाह में बदलने की है। किसानों को कम से कम समय के अंतराल में समुचित भूमि उपयोग संबंधी सुझाव देने के लिए प्रशिक्षित पंचायत स्तर के कर्मियों द्वारा	• कृषि एवं सहकारिता विभाग ने अंतरिक्ष, सस्य मौसम विज्ञान तथा भूमि आधारित प्रक्षेणों का प्रयोग करते हुये कृषि परिणाम संबंधी परियोजना शुरू की है। इसके तहत राष्ट्रीय तथा राज्य स्तरों पर प्रमुख फसलों के उत्पादन के बहुत से शीघ्र अंतः मौसम पूर्वानुमान करने के लिये उन्नत प्रौद्योगिकियों के प्रयोग की परिकल्पना की गई है। • भारतीय मौसम विभाग तीन स्तरों पर एग्रोमेट	• फैसल परियोजना यथाशीघ्र क्रियान्वित की जायेगी। **(कार्यवाही डी.ए.सी)** • भारतीय मौसम विभाग द्वारा तहसील स्तर पर मौसम संबंधी पूर्वानुमान तैयार किया जायेगा ताकि यह किसानों के लिये और अधिक उपयोगी हो सके। **(कार्यवाही एमओईएस/डीएसी)**

क्र. सं.	राष्ट्रीय किसान नीति, 2007 पैरा संख्या और संक्षेप में नीतिगत प्रावधान और प्राथमिक जिम्मेवारी (पीआर) अथवा प्राथमिक समन्वयन (पीसी) वाले मंत्रालय/विभाग	कार्य योजना	
		पहले से कार्यान्वित अथवा कार्यान्वयनाधीन स्कीम/कार्यक्रम/कार्य	की जाने वाली आगे की कार्रवाई/किए जाने वाले प्रयास तथा कार्रवाई हेतु एजेन्सी/समन्वयक
	समय–समय पर भारतीय एग्रोमेट परामर्शदात्री सेवा केन्द्र, पूणे द्वारा जारी कृषि–मौसम विज्ञानीय सलाह का उपयोग किया जाएगा। समुद्री मात्स्यिकी के मामले में लहरों की ऊंचाईयों और मत्स्य के झुंड पाए जाने के स्थान के संबंध में उपलब्ध आंकड़ों को मछुआरों को सम्प्रेषित किया जाएगा। इस संबंध में नवीनतम प्रौद्योगिकियों जैसे इंटरनेट एफएम/एचएएम रेडियो जैसी सेवा का प्रयोग मछुआरों के लिए बहुत सहायक होगा। **(डीएसी तथा एमओईएम)**	परामर्श बुलेटिन जारी करता है– सस्य जलवायुवीय अंचल के स्तर पर राज्य कृषि विश्वविद्यालयों या भा.कृ.अ.परि. की संस्थाओं में स्थित एग्रोमेट क्षेत्रीय यूनिटों द्वारा बुलेटिन जारी किये जाते हैं। राज्य स्तर पर आईएमडी के एग्रोमेट परामर्श केन्द्रों द्वारा तथा राष्ट्रीय स्तर पर आईएमडी के एग्रोमेट प्रभाग द्वारा जारी किये जाते हैं। • भारतीय मौसम विभाग ने 1.6.2008 से जिला–स्तरीय मात्रात्मक मौसम पूर्वानुमान 5 दिनों के लिये जारी करना शुरू कर दिया गया है। • भारतीय मौसम विभाग ने तीन स्तरों पर जिला एग्रोमेट परामर्श सेवा तथा परामर्श पुस्तिका जारी करना भी शुरू किया और इसे राज्यों तथा आईसीएआर की संस्थाओं के जरिये जिला स्तर पर परिचालित किया है।	
12.	**पैरा 5.4 सहायक सेवायें–जलवायु परिवर्तन** जलवायु परिवर्तन के प्रति सुभेद्यता को कम करने के लिए सक्रिय उपाय किए जायेंगे। अनुकरणीय मॉडलों के आधार पर प्रत्येक प्रमुख कृषि–जलवायु क्षेत्र के संबंध में आकस्मिकता योजनाएं और भूमि तथा जल वैकल्पिक उपयोग की नीतियां तैयार की जायेंगी। सूखा	• प्रतिकूल जलवायुवीय दशाओं पर पशुधन अनुसंधान क्रियान्वित करना कठिन है। किन्तु बहुत सी स्वदेशी पशुधन नस्लों में ऐसे गुण विद्यमान हैं।	सुखा, बाढ़ तथा वर्षा में कमी आदि जैसी प्रतिकूल स्थितियों के प्रबंधन में पंचायतों के इच्छुक तथा चयनित प्रतिनिधियों तथा किसानों को प्रशिक्षण देने पर विचार किया जाये। **(कार्यवाही– डीएसी/डेयर)**

क्र. सं.	राष्ट्रीय किसान नीति, 2007 पैरा संख्या और संक्षेप में नीतिगत प्रावधान और प्राथमिक जिम्मेवारी (पीआर) अथवा प्राथमिक समन्वयन (पीसी) वाले मंत्रालय/विभाग	कार्य योजना	
		पहले से कार्यान्वित अथवा कार्यान्वयनाधीन स्कीम/कार्यक्रम/कार्य	की जाने वाली आगे की कार्रवाई/किए जाने वाले प्रयास तथा कार्रवाई हेतु एजेन्सी/समन्वयक
	और बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में अनुभवी किसानों को सूखे, बाढ़ और अनियमित मानसून के प्रबंधन की कला में "जलवायु प्रबंधकों" के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा। **(डेयर/डीएसी)**		
13.	**पैरा 5.5 आदान और सेवाएं** **(क) बीज** • उत्तम कोटि के बीज और रोगमुक्त रोपण सामग्री फसल उत्पादकता और सुरक्षा के लिए अनिवार्य हैं। • नई उपजातियों के मामले में मूल फाउंडेशन बीज आधारभूत स्तर के बीज उत्पादकों और उनके समूहों को मुहैया कराए जाएंगे। • परस्पर रूप से लाभप्रद कृषक बीज कंपनी में भागीदारी को बढ़ावा प्रौद्योगिकी और व्यापार तथा सभी व्यावहारिक पाठ्यक्रमों में मुख्य व्यापार के सिद्धांतों पर पाठ्यक्रम बनाने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा। • एक राष्ट्रीय बीज ग्रिड स्थापित किया जाएगा जिससे संपूर्ण देश में विभिन्न क्षेत्रों की विशिष्ट अपेक्षा के अनुसार बीजों की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। • **(डीएसी)**	• आईसीएआर "कृषि फसलों में बीज उत्पादन तथा मात्स्यकी" नामक परियोजना कियान्वित कर रहा है। इस परियोजना को राज्य कृषि विश्वविद्यालयों /सीएयू/आईसीएआर की संस्थाओं आदि के 85 केन्द्रों/नोडों पर क्रियान्वित किया जा रहा है। इसके उद्देश्य उन्नत बीज उत्पादन के लिये क्षमता विकसित करना, विभिन्न फसलों की बीज गुणवत्ता में वृद्धि करना तथा फसलों, बागवानी फसलों तथा प्रशिक्षकों तथा बीज उत्पादकों को प्रशिक्षण देना है। • विभिन्न बीज विकास संगठनों में कार्यरत कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने तथा केन्द्रीय बीज परीक्षण प्रयोगशाला के रूप में कार्य करने के लिये राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र, वाराणसी को प्रचालित किया जा रहा है। • पादप किस्म संरक्षण एवं कृषक अधिकार अधिनियम 2001 का अधिनियम किया गया। पीपीवी एण्ड एफआर प्राधिकरण की भी स्थापना की गई।	• राज्य सरकारों के विचारार्थ अनुबंध खेती के लिये मॉडल नियम को ध्यान में रखते हुए किसान–बीज कम्पनी सहभागिता संबंधी मॉडल दिशा–निर्देशों का निरूपण तथा परिचालन किया जाना चाहिये। **(कार्यवाही–डीएसी)** • विशेष रूप से प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों को बीज की आपूर्ति समय पर सुनिश्चित करने के लिये एक राष्ट्रीय बीज ग्रिड की स्थापना की जाये। **(कार्यवाही–डीएसी)** • संकरों के उपयोग तथा संकरों के तहत क्षेत्र विस्तार में पर्याप्त वृद्धि की जाये तथा इसे चालू स्कीमों के तहत उच्च प्राथमिकता दी जाये। **(कार्यवाही–डीएसी)** • 11वीं योजना के लिये कार्यनीति के तहत गुणवत्ता बीजों की पर्याप्त एवं समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। बीज

क्र. सं.	राष्ट्रीय किसान नीति, 2007 पैरा संख्या और संक्षेप में नीतिगत प्रावधान और प्राथमिक जिम्मेवारी (पीआर) अथवा प्राथमिक समन्वयन (पीसी) वाले मंत्रालय/विभाग	कार्य योजना	
		पहले से कार्यान्वित अथवा कार्यान्वयनाधीन स्कीम/कार्यक्रम/कार्य	की जाने वाली आगे की कार्रवाई/किए जाने वाले प्रयास तथा कार्रवाई हेतु एजेन्सी/समन्वयक
		• कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम, गुणवत्ताप्रद बीजों के उत्पादन एवं वितरण के लिये अवसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास एवं सुदृढ़ीकरण, क्रियान्वित की गई है। • बीज ग्राम कार्यक्रम संचालित किया गया।	बहुलीकरण तथा वितरण प्रणाली में निजी व्यापार की भागीदारी तथा सार्वजनिक क्षेत्र की बीज एजेंसियों को मजबूत बनाकर बीज उत्पादन एवं वितरण प्रणाली को सुधारा जाये। राज्यों को बीजों के लिये परीक्षण सुविधाओं का विस्तार करके बीजों की गुणवत्ता की जांच करने के साथ–साथ अपनी प्रणाली को भी मजबूत बनाना होगा। राज्यों को उचित दिशा–निर्देश जारी किये जायें। **(कार्यवाही–डीएसी)**
14.	**पैरा 5.5 आपूर्ति एवं सेवाएं** **(ख) मिट्टी उर्वरता** • खेत की उत्पादकता को बढ़ाने की कुंजी मृदा स्वास्थ्य में संवर्धन हैं। प्रत्येक किसान परिवार को एक मृदा स्वास्थ्य पासबुक सुनिश्चत तौर पर जारी की जाएगी, जिसमें तदनुरूपी परामर्शों के साथ–साथ उनके खेतों की मिट्टी के संबंध में भौतिक, रसायन और माइक्रोबायोलाजी के बारे में समेकित जानकारी दी जाएगी। • मिट्टी में विशिष्ट सूक्ष्म पोषक तत्व की कमियों का पता लगाने के लिये और अधिक प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। • मिट्टी में फसल के अवशिष्टों को शामिल करके	• डीएसी के पनधारा प्रबंधन कार्यक्रम जैसे एनडब्ल्यूडीपीआरए, आरवीपी एण्ड एफपीआर, डब्ल्यू डीपीएससीए, के तहत प्रत्येक लाभानुभोगी के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किये जाते हैं। • उक्त कार्यक्रमों के तहत नाइट्रोजन स्थिरीकरण में वृद्धि के लिए सस्य वानिकी, फसल प्रणालियों तथा मृदा में जैविक सामग्री में वृद्धि के लिये भी बल दिया जाता है। • क्षारीय मृदा के सुधार के लिये एमएमए के तहत वित्तपोषित क्षारीय मृदा का सुधार संबंधी केन्द्रीय कार्यक्रम मौजूद है। • कृषि एवं सहकारिता विभाग उर्वरकों के संतुलित एवं समेकित उपयोग से संबंधित एक स्कीम क्रियान्वित कर रहा है जो वर्तमान में एमएमए के	• उन जिलों में जहां पर्याप्त मृदा परीक्षण सुविधायें पहले से ही मौजूद होंगी, मृदा परीक्षण सलाह सहित मृदा स्थिति पासबुक सबसे पहले जारी किया जाये। मृदा परीक्षण परिणामों के अनुसार जिला स्तर पर मृदा मानचित्र तैयार किया जाये और नियमित रूप से अद्यतन बनाया जाये। **(कार्यवाही डीएसी)** • तुलनात्मक रूप से कम उत्पादक कृषि भूमि में सस्य वानिकी को बढ़ावा देने के लिये राष्ट्रीय स्तर पर एजेंसियां अभिनामित की जाये तथा इस मामले में राज्यों को उचित दिशा–निर्देश दिये जायें। **(कार्यवाही डीएसी)**

क्र. सं.	राष्ट्रीय किसान नीति, 2007 पैरा संख्या और संक्षेप में नीतिगत प्रावधान और प्राथमिक जिम्मेवारी (पीआर) अथवा प्राथमिक समन्वयन (पीसी) वाले मंत्रालय/विभाग	कार्य योजना	
		पहले से कार्यान्वित अथवा कार्यान्वयनाधीन स्कीम/कार्यक्रम/कार्य	की जाने वाली आगे की कार्रवाई/किए जाने वाले प्रयास तथा कार्रवाई हेतु एजेन्सी/समन्वयक
	मृदा जैव (आर्गेनिक) पदार्थ में वृद्धि की जाएगी। • बंजर भूमि के पुनरूद्धार तथा उसकी जैविकीय क्षमता सुधारने के संबंध में उचित तकनीकी सलाह उपलब्ध कराई जाएगी। • उर्वरकों के संतुलित प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए उर्वरक मूल्य निर्धारण नीतियों की पुनरीक्षा की जाएगी। • पोषक तत्व के कुशल चक्रण, नाइट्रोजन निर्धारण, जैविक सामग्री वर्धन और निकास प्रणाली में सुधार लाने के लिये उत्पादन और विपणन तंत्र व्यवस्थित किए जाएंगे। **(डीएसी)**	तहत है। कृषि एवं सहकारिता विभाग ने नई मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं आदि की स्थापना के जरिये जैविक खादों/हरी खादों तथा सूक्ष्म पोषक तत्वों के उपयोग को बढ़ावा देकर, अम्लीय, क्षारीय मृदा में उनकी उर्वरता में सुधार लाने के लिये मृदा सुधारकों का उपयोग करते हुये तथा केन्द्रीय व राज्य उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं को मजबूत बनाते हुये मृदा परीक्षण सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण जैसी कठिनाईयों और सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों को शामिल करते हुये समग्र तरीके से उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देने के लिये एक नई केन्द्रीय क्षेत्रीय स्कीम, उर्वरकों के संतुलित उपयोग के संबर्द्धन से संबंधित राष्ट्रीय परियोजना शुरू करने का प्रस्ताव है। • उर्वरकों के सतत उपयोग, संगत सब्सीडी तथा अन्य मूल्यन मुद्दों के संबंध में विचार करने के लिये भारत सरकार द्वारा कृषि मंत्री के अधीन मंत्रियों के एक समूह का गठन किया गया है।	• जहां तक सम्भव हो, मृदा परीक्षण तथा आदान परीक्षण सुविधाओं से संपन्न होने के लिए कृषि–क्लिनिकों तथा कृषि सेवा केंन्द्रों को सहायता दी जाये। **(कार्यवाही डीएसी)** • सभी कृषि विकास केन्द्रों को मृदा परीक्षण सुविधायें दी जायें। **(कार्यवाही डेयर/डीएसी)** • मृदा परीक्षण विस्तार तथा फार्मिंग पर आधारित पोषकीय जरूरतों पर सलाह तथा मृदा परीक्षण की विश्वसनीय प्रणाली के जरिये मृदा स्वास्थ्य जागरूकता को बढ़ावा दिया जाये। **(कार्यवाही डेक)** • संरक्षित/कोटेड उर्वरकों के उत्पादन व उपयोग तथा निषेचन के लिये उपयोगी उर्वरकों के निर्माण एवं उपयोग तथा जैव उर्वरकों को बढ़ावा दिया जाये। **(कार्यवाही डीओएफ)** • सब्सीडी क्षेत्र के अंतर्गत सब्सीडी प्राप्त पोषक तत्व के रूप में सल्फर को शामिल करने पर विचार किया जाये। **(कार्यवाही डीओएफ)**

क्र. सं.	राष्ट्रीय किसान नीति, 2007 पैरा संख्या और संक्षेप में नीतिगत प्रावधान और प्राथमिक जिम्मेवारी (पीआर) अथवा प्राथमिक समन्वयन (पीसी) वाले मंत्रालय/विभाग	कार्य योजना	
		पहले से कार्यान्वित अथवा कार्यान्वयनाधीन स्कीम/कार्यक्रम/कार्य	की जाने वाली आगे की कार्रवाई/किए जाने वाले प्रयास तथा कार्रवाई हेतु एजेन्सी/समन्वयक
			• सभी सब्सीडी प्राप्त उर्वरकों के लिये समान माल भाड़ा सब्सीडी पर विचार किया जाये। **(कार्यवाही डीओएफ)** • उर्वरकों के पोषक तत्व आधारित मूल्यन तथा मृदा स्वास्थ्य को बनाये रखने के लिये संतुलित पोषक तत्वों के साथ उर्वरकों को बढ़ावा देने पर विचार किया जाये। **(कार्यवाही डीओएफ)** • जैव उर्वरक सहित नये उत्पादों को सब्सीडी क्षेत्र में शामिल किया जाना चाहिए। **(कार्यवाही डीओएफ)** • सब्सीडी को आदान मूल्य से जोड़कर एसएसपी के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। **(कार्यवाही डीओएफ)** • प्रखण्ड स्तर तक उर्वरक आधारित मानिटिरिंग प्रणाली के जरिए उर्वरकों की नियोजित ढुलाई की मानिटिरिंग सुनिश्चित की जानी चाहिए। **(कार्यवाही डीओएफ)**

क्र. सं.	राष्ट्रीय किसान नीति, 2007 पैरा संख्या और संक्षेप में नीतिगत प्रावधान और प्राथमिक जिम्मेवारी (पीआर) अथवा प्राथमिक समन्वयन (पीसी) वाले मंत्रालय/विभाग	कार्य योजना	
		पहले से कार्यान्वित अथवा कार्यान्वयनाधीन स्कीम/कार्यक्रम/कार्य	की जाने वाली आगे की कार्रवाई/किए जाने वाले प्रयास तथा कार्रवाई हेतु एजेन्सी/समन्वयक
15.	**पैरा 5.5 आदान व सेवायें** **(ग) कीटनाशी** • पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित तथा प्रभावी कीटनाशकों का विकास, प्रयोग तथा वितरण को प्राथमिकता दी जायेगी। • आईपीएम प्रणाली में रासायनिक कीटनाशकों के उपयोग को शामिल करने की आवश्यकता है। • उचित गुणवत्ता नियंत्रण, सुरक्षा मूल्यांकन तथा अन्य विनियम प्रणालियों को मजबूत बनाया जायेगा। • नकली और घटिया कीटनाशकों की बिक्री पर रोक लगायी जायेगी तथा जैव कीटनाशकों को बढ़ावा दिया जायेगा। **(डीएसी)**	कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा वर्तमान में कियान्वित स्कीमें "भारत में कीट प्रबंध प्रणाली का सुदृढ़ीकरण एवं आधुनिकीकरण" तथा "राष्ट्रीय स्तर पर कीटनाशी अवशेषों की मानीटरिंग" है। इन स्कीमों के प्रमुख अभिवृद्धि क्षेत्र समेकित कीट प्रबंध को बढ़ावा देना, सतत् फसल उत्पादन के लिये सुरक्षित एवं गुणवत्ताप्रद कीटनाशकों की उपलब्धता सुनिश्चित करना तथा कीटनाशक परीक्षण अवसंरचना के सृजन को बढ़ावा देना है।	• राज्यों द्वारा गुणवत्ता/सुरक्षा की मानीटरिंग करने के लिये यादृच्छिक रूप से चयनित मंडियों में कृषि उत्पादों में कीट अवशेषों के विश्लेषण की व्यवस्था की जायेगी। **(कार्यवाही–कृषि एवं सहकारिता विभाग)** • राज्यों को कीटनाशक गुणवत्ता अवसंरचना तथा एमएमए और आरकेवीवाई के तहत उनको दिये गये कोष के लिये योजना को शामिल करने की सलाह दी जायेगी। **(कार्यवाही डीएसी)**
16.	**पैरा 5.5 आदान और सेवाएं** **(घ) उपकरण** • सही समय पर फसल होने और खरपतवार का प्रबंधन करने व फसलोत्तर कार्य में सुधार करने के लिए किसानों को क्षेत्र और फसल विशिष्ट मशीनों और यन्त्रों की जरूरत होती है। • महिला किसानों को विशेष रूप से अपने अनुकूल यंत्रों की जरूरत होती है।	• कृषि और सहकारिता विभाग ने कटाई पश्चात् प्रबंधन सहित कृषि यंत्रीकरण के सभी पहलुओं को कवर करते हुए भा.कृ.अ.प. के माध्यम से प्रत्येक कृषि जलवायुवीय अंचक्त/राज्य के लिए दीर्घावधिक यंत्रीकरण नीति को तैयार करने से संबंधित अध्ययन आयोजित कराया है। सभी राज्यों को उनके संबंधित कृषि जलवायुवीय जोन के लिए अभिज्ञात नीतियों के कार्यान्वयन के लिए अंतिम रिपोर्ट पहले से ही भेज दी गई है।	• महिला अनुकूल उपकरणों/औजारों के विकास के लिए उठाए गए कदमों की समीक्षा की जानी चाहिए और इन उपकरणों का विकास एवं वृहत उपयोग सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों को दिशा निर्देश जारी किए जाने चाहिए । **(कर्रवाईः डीएसी)** • केवीके और कृषि क्लिनिकों/सेवा केन्द्रों में प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण के माध्यमों से रोटाबेटरों जैसे उपकरणों

क्र. सं.	राष्ट्रीय किसान नीति, 2007 पैरा संख्या और संक्षेप में नीतिगत प्रावधान और प्राथमिक जिम्मेवारी (पीआर) अथवा प्राथमिक समन्वयन (पीसी) वाले मंत्रालय/विभाग	कार्य योजना	
		पहले से कार्यान्वित अथवा कार्यान्वयनाधीन स्कीम/कार्यक्रम/कार्य	की जाने वाली आगे की कार्रवाई/किए जाने वाले प्रयास तथा कार्रवाई हेतु एजेन्सी/समन्वयक
	• कृषि स्नातकों, कृषि–उद्यमियों और प्रगामी किसानों को प्रोत्साहित किया जाएगा कि वे यंत्र, औजार, मशीनरी, ट्रैक्टर व अन्य बड़े फार्म यंत्र शुल्क–किराए के आधार पर उपलब्ध कराएं।	• कृषि और सहकारिता विभाग "प्रशिक्षण, परीक्षण और प्रदर्शन के माध्यम से कृषि यंत्रीकरण का सुदृढ़ीकरण और संवर्धन" केन्द्रीय क्षेत्रीय स्कीम का भी कार्यान्वयन कर रहा है। • कृषि यंत्रीकरण के संवर्धन के लिए कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान (एफएमटीटीआई) विभिन्न सीनों पर पहले से ही स्थापित किए गए हैं। ये संस्थान पर पहले से ही स्थापित किए गए हैं। ये संस्थान कृषि यंत्रीकरण के लिए मानव संसाधन का विकास करने, गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए कृषि उपकरणों की निष्पादन विशेषताओं का विश्लेषण करने के कार्य में लगे हैं। इसके अलावा, ये संस्थान कृषि मशनरी के प्रबंधन और चयन, प्रचालन, मरम्मत/रखरखाव और प्रबंधन में विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित कर रहे हैं। • कृषि उत्पादन पद्धति में उन्नत एवं नई प्रौद्योगिकी को शुरू करने के उद्देश्य से नव–विकसित कृषि उपकरणों का प्रदर्शन किया जा रहा है। • सस्ती दरों पर विभिन्न कृषि उपकरणों और मशीनों को उपलब्ध कराने के लिए सब्सीडी के रूप में सहायता एमएमए के अंतर्गत कृषि उपकरणों की खरीद के लिए सभी किसानों के लिए उपलब्ध है।	को लोकप्रिय बनाया जाना चाहिये। **(कार्रवाईः डीएससी)**

क्र. सं.	राष्ट्रीय किसान नीति, 2007 पैरा संख्या और संक्षेप में नीतिगत प्रावधान और प्राथमिक जिम्मेवारी (पीआर) अथवा प्राथमिक समन्वयन (पीसी) वाले मंत्रालय/विभाग	कार्य योजना	
		पहले से कार्यान्वित अथवा कार्यान्वयनाधीन स्कीम/कार्यक्रम/कार्य	की जाने वाली आगे की कार्रवाई/किए जाने वाले प्रयास तथा कार्रवाई हेतु एजेन्सी/समन्वयक
		• भा.कृ.अ.प. के अन्तर्गत अनुसंधान एवं विकास संगठनों द्वारा कृषक महिलाओं के लिए नई उपयुक्त हस्त उपकरणों एवं कई कृषि उपकरणों को विकसित कर लिया गया है। • राज्यों को कहा गया है कि सरकारी सहायता के माध्यम से महिला अनुकूल उपकरणों/औजारों के वितरण के लिए अपने आवंटन का 5–10 प्रतिशत निश्चित करें। • लघु एवं सीमांत किसानों के लक्ष्य समूह के लिए जो वहन नहीं कर सकते उनके लिए राज्य कार्य योजनाओं के माध्यम से एमएमए के अंतर्गत कृषि मशीनरी बैंकों के संस्थापन का प्रस्ताव किया गया है। • कृषि एवं सहकारिता विभाग एसएचजी को भी एमएमए के अंतर्गत उनको सब्सिडी उपलब्ध कराते हुए किराए पर लेने की प्रथा (कस्टम हायर) के लिए कृषि उपकरणों का कृषि कार्य करने के लिए समर्थन दे रहा है।	
17.	**पैरा 5.5 आदान और सेवाएं** **(ड) टीके और सीरो–नैदानिक** • महत्वपूर्ण पशु रोगों के संबंध में इस समय उपलब्ध सुविधाओं में मुख्य कमियों को दूर करना होगा।	• डीओबीटी ने पशु चिकित्सा टीकों और नैवानिकों के विकास के लिए कई आर एंड डी परियोजनाओं को शुरू किया है। • 10 वीं योजना के दौरान किए गए प्रयासों से एन्थ्रेक्स के टीके के लिए प्रौद्योगिकियों का	• पशुधन के लिए टीकों की उत्पादन सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए कार्रवाई शुरू कर ली जाए। **(कार्रवाईः डेयर)** • टीका उत्पादन की अवसंरचना में सुधार करने के

क्र. सं.	राष्ट्रीय किसान नीति, 2007 पैरा संख्या और संक्षेप में नीतिगत प्रावधान और प्राथमिक जिम्मेवारी (पीआर) अथवा प्राथमिक समन्वयन (पीसी) वाले मंत्रालय/विभाग	कार्य योजना	
		पहले से कार्यान्वित अथवा कार्यान्वयनाधीन स्कीम/कार्यक्रम/कार्य	की जाने वाली आगे की कार्रवाई/किए जाने वाले प्रयास तथा कार्रवाई हेतु एजेन्सी/समन्वयक
	• टीका विकास के क्षेत्र में जैव–प्रौद्योगिकी अनुसंधान में तेजी लाए जाए जाने की जरूरत है। **(डेयर/डीओएएचडी एन्ड एफ)**	विकास हुआ और उन्हें निजी उद्योगों को अंतरित कर दिया गया। प्रयोग अभी भी जारी है। • वर्तमान में पशु टीकों पर बल मूल जैवीय अनुसंधान से उत्पाद विकास में परिवर्तित कर दिया गया है। आर एंड डी परियोजनाओं से संबंधित पशु स्वास्थ्य के उत्पाद और प्रक्रियाओं के विकास के प्राथमिकताओं को तैयार कर लिया गया है। विशिष्ट क्षेत्रों में विभिन्न पशु एवं पौध रोगों के लिए नए एवं उन्नत टीकों का विकास शामिल है। • टीका विकास के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान आईवीआरआई में पहले से ही किया जा रहा है। पशुधन और कुक्कुट पालन के 10 प्रमुख रोगों के घटित होने तथा टीका आवश्यकताओं की पूर्व चेतावनी के लिए एनएडीआरईएस नामक साफ्टवेयर भी विकसित कर लिया गया है।	लिए कदम उठा लिए जाने चाहिए। **(कार्रवाईः डीओएएच एंड एफ)**
18.	**पैरा 5.5 आदान और सेवाएं** **(च) मत्स्य बीज और खाद्य** • अच्छी गुणवत्ता वाले और वहनीय मूल्यों पर रोग मुक्त मत्स्य बीज और चारा उपलब्ध कराना। मछुआरों और उनके समूहों को प्रशिक्षित किया जाना	• इसे एनएफडीबी के अधिदेश के अंतर्गत पहले से ही कवर कर लिया गया है। • भा0कृ0अ0प0 द्वारा मछली के अच्छी गुणवत्ता वाले बीज का उत्पादन करने के लिए विशेष परियोजना शुरू की गई है। प्रगामी प्रगतिशील मछुआरों और उनके समूहों का प्रशिक्षण	• पशुधन क्षेत्र में वांछित विकास का समन्वय करने के लिए परा पशु चिकित्सकों को चालू वितरण तंत्रों में प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है। राज्यों को उपयुक्त रूप से परामर्श दिया जाए। **(कार्रवाईः डेयर/भा0कृ0अ0प0 के परामर्श से डीओएएचडी एंड एफ)**

क्र. सं.	राष्ट्रीय किसान नीति, 2007 पैरा संख्या और संक्षेप में नीतिगत प्रावधान और प्राथमिक जिम्मेवारी (पीआर) अथवा प्राथमिक समन्वयन (पीसी) वाले मंत्रालय/विभाग	कार्य योजना	
		पहले से कार्यान्वित अथवा कार्यान्वयनाधीन स्कीम/कार्यक्रम/कार्य	की जाने वाली आगे की कार्रवाई/किए जाने वाले प्रयास तथा कार्रवाई हेतु एजेन्सी/समन्वयक
	चाहिए। **(डीओएएचडी एंड एफ)**	परियोजना का अंतरवर्ती घटक है। • मछली के लिए संबंधित चारे का विकास करने के लिए भी अनुसंधान किया जा रहा है। • इन मुद्दों को डीओएएचडी की केन्द्रीय क्षेत्रीय स्कीम "अंतर्देशीय मात्स्यिकी एवं जल कृषि विकास" के अंतर्गत भी कवर किया जाता है।	
19.	**पैरा 5.5 आदान और सेवाएं** **(छ) पशु के लिए चारा** • सेलूलोसिक अपशिष्टों को उत्तम पशु खाद्य के रूप में बदलने, पोषण समद्ध चारा, पौधों के रोपण और प्रौद्योगिकियों के प्रसार के लिए पारंपरिक तथा गैर पारंपरिक दोनों ही तरीकों को प्रोत्साहित किया जाएगा। **(डीओएएचडी एंड एफ)**	• योजना आयोग ने 2005 से "सेलुलोसिक अपशिष्टों और पुआल के संवर्धन" के घटक को छोड़ दिया है। • भा0कृ0अ0प0 द्वारा विभिन्न चारा फसलों में पोषक तत्वों की जैव उपलब्धता का मूल्यांकन किया है । कृषि जलवायुवीय जोनवार खनिज मानचित्रण भी पूरा कर लिया गया है और इससे उत्पादन वर्धन और पोषण संबंधी अनियमितताओं को दूर करने के लिए दोनों कमी वाले खनिजों का संपूरण करने में सहायता मिली है।	• पशुधन के लिए गुणवत्ता वाली चारा सामग्री के लिए कृष्य अपशिष्टों को बढ़ाने के लिए कार्यक्रम/स्कीमों का संवर्धन और सुदृढ़ीकरण किया जाना चाहिए । राज्य सरकारें डीएसी/डीओएएचडी की आरकेवीवाई जैसी विद्यमान स्कीमों का उपयोग कर सकती है । इस संबंध में राज्यों को उचित दिशा निर्देश जारी किए जा सकते हैं। **(कार्रवाईः डीएसी/डीओएएचडी एंड एफ)**
20.	**पैरा 5.5 आदान और सेवाएं** **(ज) अन्य आवश्यक सहायक सेवाएं** • देशज प्रजातियों और संकर प्रजातियों के संबंध में जेनेटिक मूल्यांकन पद्धतियों को स्थापित किया जाना हैं। • कृत्रिम गर्भाधन के जरिए प्रजाति का उन्नयन	• दोहद के अंतर्गत राष्ट्रीय पशु एवं भैंस प्रजनन परियोजना • किसानों के संसाधनों के अनुकूल संकरण के लिए राज्यों से अनुरोध किया गया था कि प्रजनन योजनाएं तैयार करें। • एआई/प्रजनन सेवाओं को उनकी देहलीज पर ही देने के लिए प्रशिक्षण व्यवसायिकों, पशु–	• स्वदेशी पशुधन प्रजातियों के आनुवांशिक मूल्यांकन के लिए नई सुविधाओं का सृजन किया जाना चाहिए और विद्यमान सुविधाओं को सुदृढ़ किया जाना चाहिए। **(कार्रवाईः पशुपालन, डेयरी एवं मात्स्यिकी विभाग)**

क्र. सं.	राष्ट्रीय किसान नीति, 2007 पैरा संख्या और संक्षेप में नीतिगत प्रावधान और प्राथमिक जिम्मेवारी (पीआर) अथवा प्राथमिक समन्वयन (पीसी) वाले मंत्रालय/विभाग	कार्य योजना	
		पहले से कार्यान्वित अथवा कार्यान्वयनाधीन स्कीम/कार्यक्रम/कार्य	की जाने वाली आगे की कार्रवाई/किए जाने वाले प्रयास तथा कार्रवाई हेतु एजेन्सी/समन्वयक
	• संकर प्रजनन, जो किसानों के संसाधनों के लिए उपयुक्त हो • उन्नत प्रसंस्करण व वपणन • परा–पशु चिकित्सकों के एक संवर्ग को प्रशिक्षित किया जायेगा ताकि किसानों के लिये सहायक सेवा केन्द्रों की स्थापना की जा सके और उनका इलाज करने तथा अन्य पशु चिकित्सा सेवाओं में मदद मिले। **(कार्रवाईः डी ओ ए एच डी एंड एफ)**	चिकित्सकों, विद्यमान ए आई कर्मियों और निजी ए आई श्रमिकों को प्रेरित करने के लिए प्रावधान किए गए हैं। • इस साधन को पशु एवं भैंस के लिए लागू करने के लिए सहवर्ती उपाय करने के साथ–साथ तीव्रतर आनुवांशिक सुधार करने के लिए मार्कर सायता प्राप्त चयन के क्षेत्र में मानव संसाधन की योजना बना ली गई है। • महत्वपूर्ण भैंस प्रजातियों का उन्नयन शुरू कर लिया गया है। • विभिन्न दुग्ध, मीट, अण्डे और ऊन उत्पादों का प्रसंस्करण, मूल्यवर्धन और पैकिंग कर ली गई है और कुछ क्षेत्र में प्रौद्योगिकियां उद्योगों को दे दी गई हैं। • एस पी एस उपायों/स्वच्छ मीट, दुग्ध और अण्डे उत्पादन संबंधी कार्य को शुरू कर लिया गया है।	
21.	**पैरा 5.5 आदान और सेवाएं** **(झ) महिलाओं की अधिकारिता के लिए सहायक सेवायें** • फार्मों पर काम करने वाली महिलाओं को उचित सहायक सेवाओं जैसे शिशु गृह और बाल देख–रेख केन्द्रों, पोषण, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण आदि की जरूरत है। • ऐसे कियाकलापों के वित्तपोषण के लिए पंचायती	• एन आरईजीए महिला किसानों के लिए विशेष प्रावधानों के लिए प्रावधान करता है जिसमें महिला श्रमिकों के साथ 6 वर्ष से नीचे की आयु के बच्चों की देखभाल करने के लिए और निःशुल्क चिकित्सकीय उपचार के लिए तथा महिला श्रमिक अथवा उसके बच्चे की मृत्यु जैसी कुछ आकस्मिकताओं में अनुग्रह सहायता अनुदान का भुगतान कराने के लिए एक महिला की तैनाती	• एनआरईजीए, आईसीडीएस जैसे कार्यक्रमों के अंतर्गत शिशु देखभाल केन्द्र उपलब्ध कराने के लिए प्रावधान किए जाने चाहिए जिसमें, शिशु सदन, महिला किसानों के पोषण एवं स्वास्थ्य देखभाल और महिलाओं को प्रशिक्षण देने जैसे अन्य महिला केन्द्रिक अपेक्षाएं भी शामिल हैं, पर विचार किया जाना चाहिए। **(कार्रवाईः एमओआरडी/एमओडब्ल्यूसीडी)**

क्र. सं.	राष्ट्रीय किसान नीति, 2007 पैरा संख्या और संक्षेप में नीतिगत प्रावधान और प्राथमिक जिम्मेवारी (पीआर) अथवा प्राथमिक समन्वयन (पीसी) वाले मंत्रालय/विभाग	कार्य योजना	
		पहले से कार्यान्वित अथवा कार्यान्वयनाधीन स्कीम/कार्यक्रम/कार्य	की जाने वाली आगे की कार्रवाई/किए जाने वाले प्रयास तथा कार्रवाई हेतु एजेन्सी/समन्वयक
	राज मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय और कृषि मंत्रालय की मौजूदा स्कीमों में वृद्धि और इस्तेमाल किया जाएगा और यदि अपेक्षित हुआ तो नई सकीमें शुरू की जाएगी। **(कार्रवाईः डीएसीडीओआरडी, एमओपीआर)**	का प्रावधान भी शामिल किया गया है। • महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा समेकित बाल विकास स्कीम को कार्यान्वित किया जा रहा है, जिसमें बच्चों की अच्छी देखभाल के लिए मूल सेवाओं की समाभिरूपता के माध्यम से शिशु विकास को बढ़ावा दिया जाता है।	• डी ए सी, डी ओ ए एच डी एण्ड एफ और डेयर के अंतर्गत सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में पर्याप्त संख्या में महिला किसानों का प्रशिक्षण सुनिश्चत किया जाए। **(कार्रवाईः डीएसी/डीओएएचडीएण्ड एफ/डेयर)**
22.	**पैरा– 5.6 ऋण एवं बीमा** • ग्रामीण बैंकिग प्रणाली की कार्यकुशलता और पहुंच (आउटरीच) में सुधार करना। • किसानों को उचित ब्याज दर पर पर्याप्त मात्रा में और सरलता से ऋण मिलना। • वित्तीय अंतर्वेशना • किसान क्रेडट कार्ड स्कीम के तहत किसानों के व्यापक कवरेज किये जाएंगे। • माइक्रो ऋण और माइक्रो बीमा को बढ़ावा दिया जायेगा। • नाबार्ड को किसानों को ऋण उपलब्धता और ऋण क्षमता के बीच तथा दक्ष ऋण वितरण पद्धति के लिए समाभिरूपता को सुकर बनाना **(डीएसी/एफओएफ/नाबार्ड)**	• ग्रामीण जनसंख्या को सरलता से ऋण उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रीयकृत/वाणिजियक बैंक की शाखाओं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंकों, सहकारी ऋण समितियों और नाबार्ड के सम्पूर्ण नेटवर्क को फैलाना। • किसान अब प्रति वर्ष 7 प्रतिशत ब्याज दर पर 3 लाख रूपए तक अल्पावधिक ऋण प्राप्त करते हें। • कई कदम उठाए जा चुके हैं जिससे कि कृषि क्षेत्र को समय पर और पर्याप्त ऋण सुनिश्चत हो सके। • 2008–09 के बजट में 60,000 करोड़ रूपये की सीमा तक कुल ऋण अधित्याग स्कीम घोषित की गई है। • व्यास समिति की कई सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया और कार्यान्वयन के लिए बैंकों को संप्रेषित कर दिया गया। • कृषि क्लिनिकों और कृषि व्यापार के लिए 5 लाख	• राज्य स्तर पर ऋण वितरण की समस्या का विश्लेषण करते हुए और यदि कोई, गत्यारोध हो तो उन्हें हटाने के लिए उचित दिशानिर्देश जारी करते हुए वित्त मंत्रालय, नाबार्ड और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कार्रवाई की जानी चाहिए तथा ऋण के दक्ष और बेहतर वितरण को सुनिश्चित करने के लिए विद्यमान तंत्र में सुधार करें। **(कार्रवाईः एमओएफ/आरबीआई/नाबार्ड)** • किसान क्रेडिट कार्ड में मृदा संबर्द्धन/भूमि विकास अथवा सूक्ष्म सिंचाई/सिंचाई विकास करने के लिए और गैर कृषि रोजगार अवसरों का सृजन करते हुए उद्यमों की स्थापना के लिए भी किसान की दीर्घावधिक निवेश आवश्यकताओं को पूरा करने का घटक होना चाहिए। **(काप्रवाईः डीएसी/एमओएफ)**

क्र. सं.	राष्ट्रीय किसान नीति, 2007 पैरा संख्या और संक्षेप में नीतिगत प्रावधान और प्राथमिक जिम्मेवारी (पीआर) अथवा प्राथमिक समन्वयन (पीसी) वाले मंत्रालय/विभाग	कार्य योजना	
		पहले से कार्यान्वित अथवा कार्यान्वयनाधीन स्कीम/कार्यक्रम/कार्य	की जाने वाली आगे की कार्रवाई/किए जाने वाले प्रयास तथा कार्रवाई हेतु एजेन्सी/समन्वयक
	• किसानों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए ऋण एवं बीमा साक्षरता • ऋण परामर्श केन्द्रों की स्थापना किया जाना • महिला किसानों के लिए केसीसी • समस्त पैरा 5.6 के लिए पीआर/पीसी डैक, एमओएफ और नाबार्ड, राज्य	रूपए तक और कृषि के लिए 50000 रूपए तक ऋण बिना किसी ऋणाधार के उपलब्ध कराए जाते हैं। • बैंकों को परामर्श दिया जाता है कि या तो शून्य अथवा अति न्यून न्यूनतम बकायों और प्रभारों के साथ मूल बैंकिंग "सरल खते" (नौ फ्रिल) उपलब्ध कराए और खाता धरकों को लघु ओवर ड्राफ्ट की सुविधा भी उपलब्ध कराएं। • किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम को कृषि एवं सम्बद्ध कार्यकलापों और खपत आवश्यकताओं के लिए उचित घटक के लिए आवधिक ऋण और कार्यशील पूंजी को कवर करते हुए शुरू किया गया था। केसीसी के अंतिम रूपान्तरण में फसल ऋण और सामान्य खपत को भी शामिल करने का प्रावधान है इसके अलावा, समग्र ग्रामीण जनसंख्या के लिए 25,000 रूपए तक का ऋण उपलब्ध कराने के लिए एक सामान्य क्रेडिट कार्ड पद्धति को शुरू किया गया था। • श्रण प्रबाह 2003–04 के 86981 करोड़ रूपए से बढ़कर 2006–07 (31.3.2007 के अनुसार) में 203297 करोड़ रूपए तक हो गया। वर्ष 2007–08 के लिए 225000 करोड़ रूपए का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। • किसानों की सांस्थानिक श्रण की प्राप्ति में सुधार	• किसानों को ऋण उपलब्ध कराने में बैंकों के निष्पादन को मूल्यांकन करते समय कवर किए गए कई किसानों/खातों का भी मानदण्ड होना चाहिये। **(कार्रवाईः डीएसी/एमओएफ)** • ऋण के बोझ से दबे किसानों को राहत देने के लिए उद्यमों की असफलता के उचित मामलों पर ध्यान देने के लिए उद्यमों की असफलता के उचित मामलों पर ध्यान देने के लिए कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों के लिए प्रभावी ऋण गारण्टी बीमा स्कीम को यथा स्थान रखा जाए । **(कारवाईः डीएसी/एमओएफ)** • समग्र रीति से किसानों की ऋण आवश्यकताओं का मूल्यांकन करने के लिए और ऋणग्रस्त किसानों का सलाह और परामर्श देने के लिए प्रत्येक खंड और बैंक में ऋण परामर्शी केन्द्र स्थापित किए जाएं। जिला और खंड पंचायतें ऋण परामर्शदाता केन्द्रों की कार्य प्रणाली निरीक्षण/प्रबोधन कर सकती है। **(कार्रवाईः एमओएफ/नाबार्ड)** • एटीएमए स्कीम में भी ऋण एवं बीमा पहलुओं पर प्रशिक्षण को समाविष्ट किया जा सकता है। ऐसे परामर्श केन्द्र प्रत्येक शाखा स्तर पर स्थापित किए जाएं। **(कार्रवाईः डीएसी)**

क्र. सं.	राष्ट्रीय किसान नीति, 2007 पैरा संख्या और संक्षेप में नीतिगत प्रावधान और प्राथमिक जिम्मेवारी (पीआर) अथवा प्राथमिक समन्वयन (पीसी) वाले मंत्रालय/विभाग	कार्य योजना	
		पहले से कार्यान्वित अथवा कार्यान्वयनाधीन स्कीम/कार्यक्रम/कार्य	की जाने वाली आगे की कार्रवाई/किए जाने वाले प्रयास तथा कार्रवाई हेतु एजेन्सी/समन्वयक
		करने के लिए सरकार ने अल्पावधि सहकारी श्रण संरचना के पुनरूद्धार के लिए पैकेज अनुमोदित किया है जिसका अनुमानित व्यय लगभग 13596 करोड़ रूपए है। • कृषि श्रण पैकेज के अंतर्गत बकायों की पुनः संरचना/पुनः निर्धारण करना। • 31 जिलों में पुनर्वास पैकेज के अंतर्गत श्रण के लाभ। • नाबार्ड द्वारा क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण की सुविधा। • कार्य बल द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर अन्य पणधारियों और राज्य सरकारों की सर्वसम्मति के आधार पर सरकार ने अल्पावधिक ग्रामीण सहकारी श्रण संरचना के पुनर्गठन के पैकेज को अनुमोदित कर दिया है जिसमें 13506 करोड़ रूपए की वित्तीय सहायता शामिल है। • एनएआईएस के पहले से ही कार्यान्वित कर दिया गया है। आशोधित एनएआईएस सरकार के पास विचाराधीन है। मौसम आधारित सफल बीमा स्कीम शीर्ष आधार पर कार्यान्वयाधीन है। • आरबीआई ने पहले ही एसएलबीसी संचालकों को प्रायोगिक आधार पर वित्तीय साक्षरता एवं ऋण परामर्श केन्द्रों की स्थापना करने के अनुदेश दिए थे। प्राप्त अनुभव के आधार पर, राज्यों ने अग्रणी	• महिला किसानों और महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए केसीसी के विशिष्ट लक्ष्य वित्त मंत्रालय द्वारा दिए जाएं। **(कार्रवाईः वित्त मंत्रालय)** • नाबार्ड, पीआरआई, एनजीओ और चुनिंदा निजी क्षेत्र यूनिटों के लिए सीधे ऋण देने और एग्री–क्लिनिक, उद्यमों और संविदा खेती जैसी माडल स्कीमों को लोकप्रिय बनाने पर विचार कर सकता है। इस प्रयोजन के लिए आरआईडीएफ का उपयोग किया जा सकता है। नाबार्ड कृषि और ग्रामीण विकास कार्य कलापों में उत्पादकता बढ़ाने के लिए सेक्टरवार सकारात्मक योजनाओं को बढ़ाएं। **(कार्रवाईः एमओएफ, नाबार्ड)** • नाबार्ड द्वारा जनता के अपेक्षाकृत अधिक गरीब तबकों के लिए ऋण प्रवाह मानीटर करने के लिए 2 लाख रू0 की मौजूदा छोटी ऋणी सीमा से थोड़ा कम सीमा तक ऋण के साथ लघु ऋणी खातों की नई श्रेणियां आरंभ करें। **(कार्रवाईः एमओएम/नाबार्ड)** • केसीसी के तहत ऋण सीमा बढ़ाते हुए, अध्ययन ऋण प्रदान करते हुए, कौशल विकास प्रशिक्षण देते

क्र. सं.	राष्ट्रीय किसान नीति, 2007 पैरा संख्या और संक्षेप में नीतिगत प्रावधान और प्राथमिक जिम्मेवारी (पीआर) अथवा प्राथमिक समन्वयन (पीसी) वाले मंत्रालय/विभाग	कार्य योजना	
		पहले से कार्यान्वित अथवा कार्यान्वयनाधीन स्कीम/कार्यक्रम/कार्य	की जाने वाली आगे की कार्रवाई/किए जाने वाले प्रयास तथा कार्रवाई हेतु एजेन्सी/समन्वयक
		बैंकों से इस प्रकार के केन्द्रों की स्थापना करने के लिए कहा जाएगा। • आरबीआई के अनुसार, केसीसी बिना किसी लिंग भेदभाव के सभी पात्र किसानों को जारी किए जाते हैं।	हुए या अन्य उपयुक्त तंत्रों द्वारा किसानों द्वारा बैंक ऋणों के नियमित पुर्नभुगतान के लिए पुरस्कार सृजित करने चाहिए। **(कार्रवाईः एमओएफ)** • महिला सदस्यों सहित निर्वाचित पंचायत सदस्यों को कृषि और संबद्ध क्षेत्रों तथा गैर–कृषि सेक्टरों में ऋण योग्य परियोजनाओं की पहचान, आरंभ और कार्यान्वयन किस प्रकार किया जाए, का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। **(कार्रवाईः डीएसी/एमओपीआर)** • बैंक कार्यशालाओं, संगोष्ठियों, समुदाय बैठकों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों के जरिए उधारियों को शिक्षित और सशक्त करने तथा एसएचजी को बढ़ावा और प्रोत्साहन देने के लिए संकारात्मक उपाय करें ताकि उत्पादकता को पर्याप्त रूप से बढ़ाया जा सके। **(कार्रवाईः एमओएफ/नाबार्ड)** • सहकारी बैंकों सहित नाबार्ड और बैंकों के लिए निष्पादन मानदण्डों में अनेक सफल कृषि पॉली क्लिनिकों और सूचना केन्द्रों/स्थापित और सृजित कृषि उद्यम शामिल होने चाहिए। **(कार्रवाईः एमओएफ/नाबार्ड)**

क्र. सं.	राष्ट्रीय किसान नीति, 2007 पैरा संख्या और संक्षेप में नीतिगत प्रावधान और प्राथमिक जिम्मेवारी (पीआर) अथवा प्राथमिक समन्वयन (पीसी) वाले मंत्रालय/विभाग	कार्य योजना	
		पहले से कार्यान्वित अथवा कार्यान्वयनाधीन स्कीम/कार्यक्रम/कार्य	की जाने वाली आगे की कार्रवाई/किए जाने वाले प्रयास तथा कार्रवाई हेतु एजेन्सी/समन्वयक
23.	**पैरा 5.7 सहकारी संस्थाएं** • सहकारी समितियों को आर्थिक उद्यमों के रूप में कार्य करना चाहिए न कि राज्य के विस्तारित अंग के रूप में कार्य करना चाहिए। उन्हें उद्यमशील दृष्टिकोण, उपयुक्त उद्यम केन्द्र के माध्यम से प्रतिस्पर्धा स्थिति प्राप्त करनी चाहिए और निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयों के साथ नीतिगत संबंध बनाना चाहिए। उपयुक्त तंत्र बनाना चाहिए जिनके जरिए किसान बाजार माध्यमों पर अधिक नियंत्रण प्राप्त कर सकें तथा सहकारी समितियों तथा स्वयं सहायता समूहों के जरिए लाभ के बेहतर अवसर प्राप्त कर सकें। • नीतिगत और कानूनी ढांचे की समीक्षा करनी होगी जिसके अंतर्गत सहकारी समितियां कार्य कर रही हैं जिससे कि विधि की व्यवस्था के अनुसार वे अपने कामकाज व्यवसायिक ढंग से चलाने और स्वायत्ता प्राप्त करने के लिए समर्थनकारी परिवेश का सृजन कर सकें। सहकारी समितियों के प्रबंधन को व्यवसायी रूप से सक्षम बनाने की जरूरत है जिसमें चुने गए सदस्यों और प्रबंधकों के कार्य का स्पष्ट रूप से सीमांकन किया जाए। लेखा परीक्षा तथा लेखा पद्धतियों में भी सुधार किया जाएगा और उसे पारदर्शी बनाया जाएगा जिससे कि सहकारी	• कार्यबल द्वारा की गई सिफारिशों पर राज्य सरकारों और अन्य निवेशकों के साथ हुई सहमति के आधार पर, सरकार ने 13,506 करोड़ रू0 की वित्तीय सहायता से अल्पावधि ग्रामीण सहकारी ऋण संरचना को पुनर्जीवित करने के लिए पैकेज अनुमोदित किया है। • डीएसी सहकारी शिक्षा और प्रशिक्षण, एनसीडीसी के जरिए सहकारी विकास कार्यक्रम, एकीकृत सहकारी विकास परियोजनाएं, राष्ट्रीय स्तर सहकारी संघों इत्यादि को सुदृढ़ करते हुए जैसी विभिन्न स्कीमों और कार्यक्रमों को सहकारिता को बढ़ावा देने के लिए क्रियान्वित कर रहा है। • सहकारी संस्थाओं को पुनर्जीवित करने के लिए, संविधान (संशोधन 106) विधेयक 2006 को लोक सभा में सहकारी समितियों की कार्य प्रणाली को स्वायत्त, प्रजातांत्रिक और व्यवसायिक प्रकृति प्रदान करने की मांग करते हुए प्रस्तुत किया था।	• सहकारी संस्थाओं को पुनर्जीवित करने के लिए संविधान के संशोधन संबंधी प्रस्ताव को शीघ्र निपटाया जाए। **(कार्रवाईः डीएसी)** • अल्पावधिक और मध्यावधिक सहकारी ऋण संरचना संबंधी वैद्यनाथन समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन की समीक्षा की जाए और सहकारी संस्थाओं के पुनरूद्धार के विलम्ब के लिए उत्तरदायी इस प्रक्रिया के सरलीकरण के लिए उपाय किए जाएं। **(कार्रवाईः एमओएफ/डीएसी/नाबार्ड)** • सभी राज्यों को वैद्यनाथन समिति की सिफारिशों के शीघ्र क्रियान्वयन के लिए कार्य करना अनिवार्य है। अपेक्षित वचनबद्धताओं को पूरा करने के लिए मानीटरिंग समय सीमा निर्धारित की जाए। **(कार्रवाईः डीएसी)** • विपणन, मूल्यवर्धन और अन्य आगामी सहसंबद्धता कार्यकलापों के लिए निजी और सार्वजनिक सेक्टर संगठनों के साथ रणनीतिक गठबंधन करने के लिए एसएचजी की कृषि सहकारियों/संघों के लिए माडल दिशा–निर्देश जारी किए जाने चाहिएं। **(कार्रवाईः डीएसी)**

क्र. सं.	राष्ट्रीय किसान नीति, 2007 पैरा संख्या और संक्षेप में नीतिगत प्रावधान और प्राथमिक जिम्मेवारी (पीआर) अथवा प्राथमिक समन्वयन (पीसी) वाले मंत्रालय/विभाग	कार्य योजना	
		पहले से कार्यान्वित अथवा कार्यान्वयनाधीन स्कीम/कार्यक्रम/कार्य	की जाने वाली आगे की कार्रवाई/किए जाने वाले प्रयास तथा कार्रवाई हेतु एजेन्सी/समन्वयक
	समितियों के सभी सदस्यों को अधिक विश्वास दिलाया जा सके। **(डीएसी)**		• उत्पादकता और क्षमता बढ़ाने के लिए सहकारियों के निर्वाचित सदस्यों के लिए प्रशिक्षण काग्रक्रम संचालित किया जाए। **(कार्रवाईः डीएसी)**
24.	**पैरा 5.8 विस्तार, प्रशिक्षण और ज्ञान सहसंयोजकता** • वैज्ञानिक जानकारी और फील्ड स्तरीय कार्य के बीच अंतर हाल के वर्षों में काफी अधिक हो गया है। ज्ञान के इस अभाव को तेजी से दूर किया जाएगा जिससे फार्म उत्पादकता और लाभप्रदता में वृद्धि हो सके। • कृषि विज्ञान केन्द्र फसलोत्तर प्रौद्योगिकी, कृषि प्रसंस्करण व प्राथमिक उत्पादों के मूल्यवर्धन के क्षेत्र में प्रशिक्षण देंगे व प्रयोगशाला से खेत तक प्रदर्शनों का आयोजन करेंगे ताकि गांवों में दक्ष नौकरियां प्रदान की जा सकें। • विस्तार प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए राज्य सरकारों को सहायता दी जाएगी तथा इसके लिए विद्यमान विस्तार कार्मिकों के पुनः प्रशिक्षण व उन औजारों से पुनः सज्जित करने के अलावा, उत्कृष्ट/प्रगतिशील किसानों के खेतों में फार्म स्कूलों की स्थापना करके किसान से किसान तक जानकारी को प्रोत्साहित किया जाएगा। कृषि विज्ञान	• जिला स्तर पर एटमा के रूप में प्रौद्योगिकी प्रसार संबंधी नई संस्थागत व्यवस्था को बढ़ावा देते हुए विस्तार तंत्र को पुनर्जीवित करने में राज्यों के समर्थन के उद्देश्य से एक सीएसएस "विस्तार सुधारों संबंधी राज्य विस्तार कार्यक्रम के लिए समर्थन" आरंभ किया गया है। • विस्तार सुधार स्कीम में किसानों के लाभ के लिए किसान संगठनों के आयोजन के लिए वित्तीय सहायता, किसानों के खेतों पर प्रशिक्षण और प्रदर्शनों के लिए, प्रदर्शन प्रयोग इत्यादि पर किसान से किसान प्रसार जैसे अनेक प्रावधान हैं। • अब अन्य बातों के साथ–साथ, विस्तार सुधार स्कीम में उत्कृष्ट किसानों के खेतों में फार्म स्कूल, किसान से किसान विस्तार समर्थन, नव प्रवर्त्तन विस्तार कार्यकलापों को क्रियान्वित करने के लिए राज्य और जिला स्तरों पर वित्तपोषण विंडों, किसान पुरस्कार और केवीके इत्यादि द्वारा स्थापित किए जाने वाले सामुदायिक रेडियो स्टेशन इत्यादि कुछ नए प्रावधान भी शामिल किए	• फार्म स्कूल एग्री क्लिनिकों तथा एग्री बिजनिस केन्द्रों तथा केवीके/एटमा के साथ सह संबंध के साथ राज्यों को उपयुक्त दिशा–निर्देशों और लक्ष्य जारी करके प्रोत्साहित किया जाए। **(कार्रवाईः डीएसी)** • मैनेज द्वारा प्रशिक्षक प्रशिक्षण और अधिक व्यवस्थित रूप से आयोहित किया जाना चाहिए। इस संबंध में मैनेज के क्षेत्रीय केन्द्र भी निष्पादन सुधारपर विचार करें। **(कार्रवाईः डीएसी)** • कौशल आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के तहत शामिल किसानों की संख्या में पर्याप्त प्रगति की जानी चाहिए। **(कार्रवाईः डीएसी)** • प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के लिए तकनीकी रूप से सुदृढ़, आर्थिक रूप से प्रतिस्पर्धी, पर्यावरणीय रूप से अनिम्नीकृत और सामाजिक रूप से स्वीकार्य हल को

क्र. सं.	राष्ट्रीय किसान नीति, 2007 पैरा संख्या और संक्षेप में नीतिगत प्रावधान और प्राथमिक जिम्मेवारी (पीआर) अथवा प्राथमिक समन्वयन (पीसी) वाले मंत्रालय/विभाग	कार्य योजना	
		पहले से कार्यान्वित अथवा कार्यान्वयनाधीन स्कीम/कार्यक्रम/कार्य	की जाने वाली आगे की कार्रवाई/किए जाने वाले प्रयास तथा कार्रवाई हेतु एजेन्सी/समन्वयक
	केन्द्रों के साथ फार्म स्कूलों के संपर्क से फसल और पशुपालन, मात्स्यिकी और कृषि वानिकी के प्रौद्योगिकीय उन्नयन की प्रक्रिया में तेजी आएगी। • आधुनिक कृषि प्रणालियों की मदद से किसानों, संसाधकों, खुदरा विक्रेताओं और अन्य पणधारियों को साथ–साथ लाने के प्रयास किए जाएंगे। विशेषरूप से जिला स्तर पर और उसके नीचे विस्तार प्रयासों का समेकन सुनिश्चित किया जाएगा। • गांवों में नए ज्ञान चौपाल स्थापित करके आईसीटी की क्षमता का उपयोग किया जाएगा। इसके अतिरिक्त भारत सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सेवा केन्द्र और राज्य सरकारों तथा निजी पहल कार्यक्रमों द्वारा स्थापित केन्द्रों का समावेश विस्तृत और व्यापक विकास के लिए किया जाएगा। • आईसीटी आधारित ज्ञान पद्धति की संरचना में इस प्रकार अन्य के साथ–साथ ऐसे ग्राम केन्द्रों की स्थापना शामिल होगी। अंतिम मील और अंतिम व्यक्ति तक संयोज्यता को ब्राडबैन्ड इंटरनेट, सामुदायिक रेडियो अथवा इंटरनेट–मोबाइल फोन तालमेल के जरिए पूरा किया जाएगा। • छोटे एवं सीमांत जोत क्षेत्रों की कार्यकुशलता और व्यवहार्यता में सुधार करने के लिए किसानों को सही समय और स्थान से ही सूचना देकर अधिक संपर्क करना जरूरी है। जन संचार साधनों, विशेष रूप से	गए हैं। • एक विश्व श्रेणी कुशल श्रम शक्ति सृजित करने के मद्देनजर व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यान्वित किया गया है। समस्त देश में स्थित आईटीआई और आईटीसी के एक नेटवर्क के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का प्रस्ताव है। • शीघ्र ही व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास पर एक मिशन आरंभ किया जाएगा। जिसके फलस्वरूप, 1 करोड़ से अधिक विद्यार्थी व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करेंगे जोकि मौजूदा स्तर से चार गुणा अधिक हो जाएगी। • डेयर/आईसीएआर ने पहले ही देश में अनेक कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित कर दिए हैं। • नाबार्ड ने पहले ही आईआईडीएफ के समर्थन से राज्य सरकारों द्वारा स्थापित किए जाने वाले आईसीटी–समर्थ गांव ज्ञान केन्द्र आरंभ कर दिए थे। • राज्य सरकारों ने पहले ही सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के कार्यक्रमों के तहत आम सेवा केन्द्र स्थापित कर दिए हैं। डीआईटी ने भी सीएससी स्कीम के साथ वेकेसी के एकीकरण का प्रस्ताव दिया है। जो महत्वपूर्ण मूल्यवर्धन प्रदान करेगा और जिससे सरकार को किसान समुदाय के लिए एक संयुक्त मंच और डिलीवरी बिन्दु प्रदान करने	बढ़ावा देने के लिए राष्ट्र व्यापी सतत प्राकृतिक संसाधन निरीक्षण और सुरक्षा विस्तार (सनराइज) कार्यक्रम आरंभ किया जाए। इसको बढ़ावा देने के लिए एसएयू/मैनेज से संसाधन समर्थन के साथ उत्तर–विधात्मक दलों का गठन किया जाए। **(कार्रवाईः डीएसी/डीओआरडी)** • विस्तार मशीनरी को सामान्य सेवा केन्द्रों के साथ जोड़ने के लिए या गांव स्तर पर उपलब्ध पीसीओ बूथों सहित अन्य आईटी ढांचे संबंधी रूपरेखा विकसित की जानी चाहिए ताकि ये गांव स्तर पर गुणवत्ता सूचना और किसानों के लिए परामर्श प्रदान करके ज्ञान चौपालों के रूप में कार्य कर सकें। ज्ञान चौपालों के तहत सभी पंचायत मुख्यालय गांवों से आरंभ किया जा सकता है। राज्यों के परामर्श से ज्ञान चौपालों के लिए आवश्यक साफ्टवेयर संसाधन विकसित करने के लिए शीघ्र उपाय किए जाएं। **(कार्रवाईः डीएसी/डीओआईटी)**

क्र. सं.	राष्ट्रीय किसान नीति, 2007 पैरा संख्या और संक्षेप में नीतिगत प्रावधान और प्राथमिक जिम्मेवारी (पीआर) अथवा प्राथमिक समन्वयन (पीसी) वाले मंत्रालय/विभाग	कार्य योजना	
		पहले से कार्यान्वित अथवा कार्यान्वयनाधीन स्कीम/कार्यक्रम/कार्य	की जाने वाली आगे की कार्रवाई/किए जाने वाले प्रयास तथा कार्रवाई हेतु एजेन्सी/समन्वयक
	रेडियो, दूरदर्शन और स्थानीय भाषा के समाचार–पत्रों की इस संबंध में महत्वपूर्ण भूमिका होगी।	में सक्षम होगा। • इस समय आईसीटी ढांचा चार स्तरों पर उपलब्ध है अर्थात् राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर, ब्लाक स्तर और गांव स्तर। • दूर संचार विभाग ने अधिकांश गांवों को गांव पब्लिक टेलीफोन उपलब्ध कराए हैं। विभाग ग्रामीण क्षेत्रों में शीघ्र मोबाइल पहुंच के लिए स्कीमों पर भी कार्य कर रहा है। ब्राडलैंड संयोजकता कार्यक्रमों को भी आरंभ कर दिया गया है। • डीएसी ने कृषिगत प्रथाओं में, बागवानी, पशुपालन, मुर्गीपालन, मत्स्य पालन इत्यादि को आधुनिक और वैज्ञानिक तकनीकों के नवप्रर्वतन, ज्ञान और कौशल से संबंधित किसान समुदाय के जीवन स्तर में गुणात्मक परिवर्तन लाने के लिए ''कृषि विस्तार के लिए मास मीडिया समर्थन'' नामक एक सीएसएस आरंभ की है। • दूरदर्शन/एआईआर कृषि और संबद्ध क्षेत्रों से संबंधित अनेक कार्यक्रमों का प्रसारण करते हों। दिशा–निर्देश, विशेषज्ञ समर्थन और विषय–वस्तु सर्जन को पूर्ण निर्देशन प्रदान करने और कार्यक्रमों अनुसूचियों की समीक्षा के लिए समितियां गठित कर दी गई हैं। राज्य सरकारों ने भी तकनीकी समूहों का गठन कर दिया है जो	

क्र. सं.	राष्ट्रीय किसान नीति, 2007 पैरा संख्या और संक्षेप में नीतिगत प्रावधान और प्राथमिक जिम्मेवारी (पीआर) अथवा प्राथमिक समन्वयन (पीसी) वाले मंत्रालय/विभाग	कार्य योजना	
		पहले से कार्यान्वित अथवा कार्यान्वयनाधीन स्कीम/कार्यक्रम/कार्य	की जाने वाली आगे की कार्रवाई/किए जाने वाले प्रयास तथा कार्रवाई हेतु एजेन्सी/समन्वयक
		किसानों के लिए समय पर और आवश्यकता आधारित सूचना प्रदान करने के लिए शामिल किए जाने वाले तात्कालिक मसलों पर सूचना और सलाह प्रदान करते हैं। • दूरदर्शन ने भी ''लाइव क्राम सेमीनार'' आयोजित करने का एक नव प्रर्वत्तन प्रयास किया है जिसमें किसी एक मंच पर किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए किसान, राज्य सरकार के अधिकारी और सभी प्रमुख फसलों के विशेषज्ञ शामिल हैं। • सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने हाल ही में समुदाय रेडियो स्टेशनों पर संशोधित नीति अधिसूचित की है।	
25.	**पैरा 5.9 सामाजिक सुरक्षा** • आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, किसानों को, विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों और भूमिहीन कृषि श्रमिकों को, एक व्यापक राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा स्कीम के अंतर्गत शामिल करना जरूरी है। अतः सरकार एक उचित सामाजिक सुरक्षा स्कीम लागू करने के लिए आवश्यक उपाय करेगी। **(डीएसी, एमओएलई, बीओआरडी, डीओएलआर)**	• भूमिहीन कृषि श्रमिकों सहित असंगठित क्षेत्र में कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के मद्देनजर, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने संसद में ''असंगठित क्षेत्र सामाजिक सुरक्षा विधेयक, 2007 प्रस्तुत किया है। इसमें जीवन और अपंगता सुरक्षा, स्वास्थ्य और मातृत्व लाभ, वृद्ध अवस्था संरक्षण और अन्य लाभों से संबंधित मामलों पर उपयुक्त कल्याण स्कीमें तैयार करने संबंधी व्यवस्था है । • एनआरईजीए, जिसे सरकार द्वारा कार्यान्वित किया	• बैंकों और विस्तार मशीनरी द्वारा किसानों के बीच मौजूदा बीमा स्कीमों को लोकप्रिय बनाने की आवश्यकता है। **(कार्रवाईः एमओएफ/डीएसी)**

क्र. सं.	राष्ट्रीय किसान नीति, 2007 पैरा संख्या और संक्षेप में नीतिगत प्रावधान और प्राथमिक जिम्मेवारी (पीआर) अथवा प्राथमिक समन्वयन (पीसी) वाले मंत्रालय/विभाग	कार्य योजना	
		पहले से कार्यान्वित अथवा कार्यान्वयनाधीन स्कीम/कार्यक्रम/कार्य	की जाने वाली आगे की कार्रवाई/किए जाने वाले प्रयास तथा कार्रवाई हेतु एजेन्सी/समन्वयक
		गया है तथा जिसका लक्ष्य देश के चिन्हित जिलों में ग्रामीण परिवारों को प्रति परिवार प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिन के रोजगार की गारंटी प्रदान करते हुए आजीविका सुरक्षा बढ़ाना है। इस स्कीम को 1.4.2008 से देश के सभी जिलों में लागू कर दिया गया है। स्थायी परिसंपत्तियों के सर्जन और ग्रामीण गरीब के आजीविका संसाधन आधार को सुदृढ़ करना इस स्कीम का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। • "राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना" नामक गरीब के लिए एक स्वास्थ्य बीमा स्कीम का पहली बार बीपीएल परिवारों को शामिल करने के लिए शुभारंभ किया गया है, जिसमें 30,000 रू0 तक नकदी रहित सौदों को सुविधाजनक बनाने के लिए स्मार्ट कार्ड जारी करना परिकल्पित है ताकि कामगार को चिकित्सा उपचार के लिए किसी धनराशि का भुगतान नहीं करना पड़े। • ग्रामीण भूमिहीन परिवारों और कवर के लिए मृत्यु और विकलांगता बीमा प्रदान करने के लिए आम आदमी बीमा योजना को भी आरंभ किया गया है। • लाभार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय वृद्धा अवस्था पेंशन स्कीम भी आरंभ की गई है।	

क्र. सं.	राष्ट्रीय किसान नीति, 2007 पैरा संख्या और संक्षेप में नीतिगत प्रावधान और प्राथमिक जिम्मेवारी (पीआर) अथवा प्राथमिक समन्वयन (पीसी) वाले मंत्रालय/विभाग	कार्य योजना	
		पहले से कार्यान्वित अथवा कार्यान्वयनाधीन स्कीम/कार्यक्रम/कार्य	की जाने वाली आगे की कार्रवाई/किए जाने वाले प्रयास तथा कार्रवाई हेतु एजेन्सी/समन्वयक
26.	**पैरा 5.10 कृषि मूल्य, विपणन और व्यापार** • समस्त देश में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) तंत्र को प्रभावी रूप से कार्यान्वित किया जाएगा । **(डीओएफपीडी/डीएसी/डीओसी/एमओटी अपने–अपने संबंधित एमएसपी के लिए।)** • बाजार हस्तक्षेप स्कीम (एमआईएस) को आकस्मिकताओं की स्थिति में, विशेष रूप से वर्षापोषित क्षेत्रों में संवेदनशील फसलों के मामले में, शीघ्रता से अमल में लाने के लिए सुदृढ़ किया जाएगा। **(पीआरःडीएसी)** • समुदायिक खाद्यान्न बैंकों की स्थापना को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे अल्प प्रयुक्त फसलों के विपणन में मदद मिलेगी और इस प्रकार कृषि जैव विविधता के संरक्षण में आर्थिक विकास को बल मिलेगा **(पीआरःडीओएफ एंड पीडी)** • सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के नेटवर्क के जरिए पोषक मिलेट्स जैसे कि बाजरा, ज्वार और रागी व अन्य फसलों के भंडारण करने व बेचने के	• इस समय एमएसपी व्यवस्था के तहत 25 फसलें शामिल हैं। सरकार की कृषि जिस संबंधी मूल्य नीति उच्चतर निवेश और उत्पादन को प्रोत्साहित करने के मद्देनजर अपने उत्पादों के लिए उत्पादकों के लिए पारिश्रमिक मूल्य सुनिश्चित करने और दूसरी ओर उचित मूल्यों पर आपूर्ति उपलब्ध कराकर उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने का प्रयास है। • एमएसपी के अलावा, डैक, नेफेड के माध्यम से दलहन और तिलहन के लिए मूल्य समर्थन स्कीम (पीएसएस) भी कार्यान्वित कर रहा है। • डैक पहले ही कृषि बागवानी जिंसो जो सामान्यतः नाशवान प्रकृति की हैं और एमएसपी/पीएसएस के तहत शामिल नहीं है, के प्रापण के लिए बाजार हस्तक्षेप स्कीम का कार्यान्वयन कर रहा है। मिस को उस जिंस के उत्पादकों को बंपर फसलों की स्थिति में संकट बिक्री, जब बाजार में अधिकतम हो, तथा मूल्य आर्थिक स्तरों और उत्पादन की लागत से नीचे गिरने वाले हों, तथा मूल्य आर्थिक स्तरों और उत्पादन की लागत से नीचे गिरने वाले हों, से उत्पादकों की सुरक्षा करने के लिए कायान्वित किया गया है। • गांव खाद्यान्न बैंक स्कीम के तहत समुदाय खाद्यान्न बैंकों को डीओएफपीडी द्वारा बढ़ावा दिया	• सभी राज्यों में, विशेष रूप से जहां विकेन्द्रिकृत प्रापण पद्धति जारी है, 25 फसलों के लिए प्रभावी रूप से एमएसपी क्रियान्वयन को वरीयता दी जानी चाहिए। समय पर राजसहायता के वितरण तथा विकेन्द्रिकृत प्रापण हतोत्साहन के अन्य मसलों को प्रभावी रूप से सुलझाया जाए। राज्यों को लेखा परीक्षित खातों को समय पर प्रस्तुत करने के लिए दिशा–निर्देश जारी किए जाने चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एमएसपी भी प्रचालनों के लाभ बिना किसी विलंब के लक्षित लाभार्थियों तक पहुंचे। **(कार्रवाईः डीओएफपीडी/डीएसी/डीओसी/एमओटी अपने अपने एमएसपी के लिए)** • खाद्यान्नों और वाणिज्यिक फसलों पर अप्रत्यक्ष कर ढांचे की समीक्षा की जानी चाहिए। कृषि उत्पादन में आदानों के रूप में प्रयुक्त फार्म मशीनरी/उपकरण उर्वरक, जैव उर्वरक, जैव कीटनाशक इत्यादि पर उत्पाद शुल्क को घटाया जाना चाहिए। **(कार्रवाई :एमओएफ)** • डीएसी की मौजूदा स्कीमों के तहत स्थापित ग्रामीण गोदामों/भण्डारों में ग्रेडिंग और छटाई के लिए सुविधाएं होनी चाहिए। **(कार्रवाईः डीएसी)**

क्र. सं.	राष्ट्रीय किसान नीति, 2007 पैरा संख्या और संक्षेप में नीतिगत प्रावधान और प्राथमिक जिम्मेवारी (पीआर) अथवा प्राथमिक समन्वयन (पीसी) वाले मंत्रालय/विभाग	कार्य योजना	
		पहले से कार्यान्वित अथवा कार्यान्वयनाधीन स्कीम/कार्यक्रम/कार्य	की जाने वाली आगे की कार्रवाई/किए जाने वाले प्रयास तथा कार्रवाई हेतु एजेन्सी/समन्वयक
	जरिए खाद्य सुरक्षा समूह (बास्केट) का विस्तार किया जाएगा। **(पीआरःडीओएफ एंड पीडी)** • आंतरिक प्रतिबंधों में छूट देकर एकल राष्ट्रीय बाजार का विकास करने के प्रयास किए जाएंगे। किसानों की आय में वृद्धि में बाधक सभी नियंत्रणों और विनियमों की समीक्षा की जाएगी और उन्हें हटाया जाएगा। **(पीआरःडीएसी)** • उत्पादकता में सुधार एवं किसानों में उच्च गुणवत्ता जागरूकता लाने के लिए सार्वजनिक–निजी सहभागिता पद्धति में कृषि के लिए टर्मिनल मंडियों का विकास किया जाएगा। **(डीएससी)** • कृषि उत्पाद बाजार समितियों और राज्य कृषि विपणन बोर्डो के कार्यों को मात्र नियमन कार्यों से रूपांतरित किया जाएगा ताकि स्थानीय उत्पादों के लिए ग्रेडिंग, ब्रांडिंग एवं पैकेजिंग तथा बाजारों के विकास को बढ़ावा दिया जा सके। **(डीएसी)**	गया है। यह स्कीम 11 वीं योजना में भी जारी रखी गई है। 11 वीं योजना अवधि के दौरान 13,432 वीजीबी स्थापित करने के लिए 87 करोड़ रू0का परिव्यय रखा गया है। • डैक ग्रामीण भण्डारण, योजना का भी कार्यान्वयन कर रहा है। • डीओएफपीडी टीपीडीएस के तहत मोटे अनाजों का आबंटन कर रहा है। तथापि, बाजरा और मक्का जैसे मोटे अनाजों का भण्डारण 9 माह में एक वर्ष तक के लिए बहुत अल्प है अतः इन खाद्याान्नों का अपेक्षाकृत अधिक अवधि तक भण्डारण नहीं किया जा सकता है। • इस समय अधिसूचित क्षेत्रों में कृषि जिंसों के लिए बाजारों की स्थापना की प्रक्रिया आरंभ करने के लिए केवल राज्यों को अधिकार है। इस समय प्रतिबंध किसानों, व्यापार और उद्योगों के लिए हतोत्साहन के रूप में कार्य कर रहे हैं। • राज्यों को सलाह दी गई है कि एपीएमसी से संबंधित कानूनों को समुचित रूप से संशोधित करें जिससे कि निजी और सहकारी क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धी मण्डियों का विकास किया जा सके ताकि किसानों के खेतों से कृषि जिंसों की सीधी खरीद की अनुमति दी जा सके और फार्म उत्पादन तथा खुदरा श्रृंखला और खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के	• लक्षित क्षेत्रों में ग्रामीण खाद्यान्न बैंक स्कीम के और विस्तार तथा इस समय लक्षित नहीं क्षेत्रों में स्कीम के सूत्रपात पर शीघ्रता से विचार किया जाना चाहिए। स्कीम में उन मोटे अनाजों को शामिल किया जाए जहां स्थानीय समुदाय अपने उपयोग के लिए ऐसी निर्मुक्ति की मांग करता है। **(कार्रवाईः डीओएफपीडी)** • माडल एपीएमसी अधिनियम/नियमावली में यथा निर्धारित कृषि उत्पाद पर एक नियमित कर के रूप में बाजार शुल्क की वसूली की समीक्षा की जाए और यदि आवश्यक हो, तो राज्यों को किसानों द्वारा सेवाओं के उपयोग के आधार पर सेवा प्रभार को अनिवार्य लेबी के एवज में परिवर्तित करने को प्रोत्साहन दिया जाए। इसमें लम्बे अंतराल में एकल राष्ट्रीय मंडी का रास्ता सुनिश्चित होगा। **(कार्रवाईः डैक/एमओएफ)** • किसानों को ऐसी पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए जिसके परिणामस्वरूप बागवानी क्षेत्र में फसल कटाई पश्चात हानियां न्यूनतम होंगी। **(कार्रवाईः कृषि एवं सहकारिता विभाग)**

क्र. सं.	राष्ट्रीय किसान नीति, 2007 पैरा संख्या और संक्षेप में नीतिगत प्रावधान और प्राथमिक जिम्मेवारी (पीआर) अथवा प्राथमिक समन्वयन (पीसी) वाले मंत्रालय/विभाग	कार्य योजना	
		पहले से कार्यान्वित अथवा कार्यान्वयनाधीन स्कीम/कार्यक्रम/कार्य	की जाने वाली आगे की कार्रवाई/किए जाने वाले प्रयास तथा कार्रवाई हेतु एजेन्सी/समन्वयक
	• किसानों को भू–उपयोग निर्णयों और निवेशों के संबंध में मौसम विज्ञान, विपणन और प्रबंधन सूचना के आधार पर सही सलाह की जरूरत रहती है। फसलोपरांत हानियों को कम करने तथा ग्राम स्तर पर ही रोजगार और आय बढ़ाने के लिए कृषि संसाधन और मूल्यवर्धन के लिए बुनियादी सुविधाएं दी जाएगी। • किसानों के संगठनों व सहकारिताओं तथा लघु कृषक सम्पदाओं जैसे अन्य इकाईयों की स्थापना को प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि उनके साथ उचित बर्ताव हो और उन्हें अधिक से अधिक आर्थिक लाभ हो सके। • फसल संसाधन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए उत्पादक समूहों और सहकारी समितियों को प्रोत्साहित किया जायेगा। भण्डागार प्राप्तियों की परक्राम्यता में सुधार के लिए बाधाओं को भी दूर किया जाएगा। **(डीएसी)** • कृषि में व्यापार नीतियों का उद्देश्य कृषक परिवारों की जीविका की सुरक्षा करना और किसानों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाना होगा। इसके लिए किसानों की प्रभावी जीविका सुरक्षा प्रणाली लागू की जायेगी।	बीच प्रभावी सम्पर्क स्थापित किया जा सके। राज्यों को उनके द्वारा अपनाए जाने हेतु एक मॉडल एपीएमसी अधिनियम परिचालित किया गया है। • उपभोक्ता मामले विभाग ने पहले ही राज्यों को सुझाव दिया है कि वे अनिवार्य जिन्सों विशेषकर उचित दर की दुकानों हेतु अपेक्षित लाईसेंस, मिट्टी के तेल की खुदरा बिक्री तथा पैट्रोलियम उत्पादों को छोड़कर कृषि जिन्सों के संचलन, भण्डारण, व्यापार आदि पर से सभी अवरोधों को समाप्त कर दें। निर्बाध रूप से अंतरःराज्य व्यापार के लिए अन्य सभी लाईसेंसिग आदेशों, भण्डारण नियंत्रण आदेशों आदि को निरस्त करने का भी सुझाव दिया गया था। • पीपीपी मॉडल के अधीन टर्मिनल मण्डियों की स्थापना किए जाने को व्यवहार्य नहीं पाया गया । तथापि महत्वपूर्ण शहरी केन्द्रों में फलों, सब्जियों तथा अन्य शीघ्र खराब होने वाले उत्पादों के लिए आधुनिक टर्मिनल मण्डियों को बढ़ावा देने के लिए कृषि एवं सहकारिता विभाग ने कार्रवाई शुरू की है। ये मण्डियां आधुनिकतम बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराती है और इनमें टर्मिनल मण्डियों को बढ़ी संख्या में संचयन केन्द्रों से जोड़ते हुए ''हब–एण्ड स्पोक'' फार्मेट पर प्रचलित किया जाने	क्षमता निर्माण द्वारा समर्थित किसानों विशेष रूप से छोटे मार्जिनल और महिला किसानों के समूह बनाने को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिससे कि किसान चल रही स्कीमों/नीतियों के लाभ लेने में सक्षम हो सकें। विशेषकर बागवानी क्षेत्र में प्रसंस्करण व फसल कटाई पश्चात कार्यकलाप चलाने के लिए ब्लाक/जिला स्तर के संघों को प्रोत्साहित किया जाए। **(कार्रवाईः डीएसी)** कुछ एईजेड में कृषि क्लिनिक सेवाएं मुहैया कराई गई हैं। अपेडा कृषि एवं सहकारिता विभाग की चल रही स्कीमों का उपयोग करके अन्य एईजेड में कृषि क्लिनिकों और कृषि व्यवसाय केन्द्रों को प्रोत्साहित करने पर विचार कर सकता है। अपेडा द्वारा पीपीपी माडल पर एईजेड की विकास अवसंरचना का दोहन किया जाना चाहिए। **(कार्रवाईःअपेडा/डीओसी/डीएसी)** अपेडा और डीओसी द्वारा एईजेड का विस्तार तथा सुदृढ़ीकरण किया जाना चाहिए। **(कार्रवाईः अपेडा/डीओसी)** बाजरा, ज्वार, रागी आदि जैसे मोटे अनाजों जिन्हें मुख्य रूप से शुष्क भूमि क्षेत्रों में उगाया जाता है, को

क्र. सं.	राष्ट्रीय किसान नीति, 2007 पैरा संख्या और संक्षेप में नीतिगत प्रावधान और प्राथमिक जिम्मेवारी (पीआर) अथवा प्राथमिक समन्वयन (पीसी) वाले मंत्रालय/विभाग	कार्य योजना	
		पहले से कार्यान्वित अथवा कार्यान्वयनाधीन स्कीम/कार्यक्रम/कार्य	की जाने वाली आगे की कार्रवाई/किए जाने वाले प्रयास तथा कार्रवाई हेतु एजेन्सी/समन्वयक
	• समूचे देश में गुणवत्ता एवं व्यापार साक्षरता कार्यक्रम शुरू किए जायेंगे। • मूल्य जोखिम कम करने और स्टेक होल्डरों, विशेष रूप से किसानों को अपने आपको जोखिम से बचाने के लिए उचित उपाए किए जायेंगे। • विदेश कृषि व्यापार और मूल्य वर्धन के लिए उपलब्ध अवसरों के बारे में जानकारी का प्रसार करके प्रतिस्पर्धात्मक शर्तो पर निर्यात करने के लिए किसान एसोसिएशनों और एसएचजी की मदद की जायेगी। **(डीएसी)** • कृषि निर्यात क्षेत्रों को और मजबूत बनाया जाएगा ताकि ऐसे क्षेत्र बन सकें जहां किसानों का अपने उत्पाद के लिए यथासंभव सर्वाधिक कीमत प्राप्त होगी। **(डीएसी)** • किसानों को उनके उत्पाद के लिए लाभप्रद कीमतों से और उपभोक्ताओं को खाद्यान्नों के लिए उचित और वहनीय कीमतों के अनुसार न्याय सुनिश्चित करने के दोहरे लक्ष्य को (चूंकि किसान भी उपभोक्ता हैं) निम्नलिखित समेकित कार्यनीति के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा।	की परिकल्पना की गई है। जिन राज्यों ने निजी क्षेत्र में मण्डियों की स्थापना की अनुमति देने के लिए अपने एपीएमसी अधिनियम को संशोधित कर लिया है उन्हें स्कीम के प्रचालनात्मक दिशा निर्देश परिचालित कर दिए गए हैं। • मॉडल अधिनियम 2003 और मॉडल एपीएमसी, 2007 सभी राज्यों को पारिचालित कर दिए गए हैं जिनमें मण्डियों के व्यवसायिक प्रबंधन, ग्रेडिंग के संवर्धन, निजी मण्डियों की स्थापना, ठेका कृषि, किसानों से सीधी खरीद आदि की सलाह देते हुए एपीएमसी और राज्य कृषि विपणन बोर्डों की भूमिका में बड़े परिवर्तनों की परिकल्पना की गई है। राज्य अपने संबंधित एपीएमसी अधिनियमों के संशोधनों को अधिसूचित करने और उनके अधीन नियम तैयार करने के कार्य में लगे हुए हैं। यह आशा की जाती है कि घरेलू और साथ ही अंतराष्ट्रीय मंडियों मे प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए एपीएमसी की भूमिका में बदलाव आएगा। • गेहूं और धान की खरीदारी सहकारी सोसायिटयों के माध्यम से की जाती है। • डीओएफपीडी "अनाज बचाओ अभियान" स्कीम प्रचालित करता रहा है, तथापि, ईआरसी की सिफारिश पर स्कीम को को रोक दिया गया है। • वैज्ञानिक भण्डारण की अवधारणा को केन्द्रीय	पीडीएस में शामिल किया जाएगा यदि उनकी खरीद राज्य सरकारों द्वारा की जाती है और राज्यों/उपभोक्ताओं से उनकी मांग है। **(कार्रवाई:डीओएफपीडी)**

क्र. सं.	राष्ट्रीय किसान नीति, 2007 पैरा संख्या और संक्षेप में नीतिगत प्रावधान और प्राथमिक जिम्मेवारी (पीआर) अथवा प्राथमिक समन्वयन (पीसी) वाले मंत्रालय/विभाग	कार्य योजना	
		पहले से कार्यान्वित अथवा कार्यान्वयनाधीन स्कीम/कार्यक्रम/कार्य	की जाने वाली आगे की कार्रवाई/किए जाने वाले प्रयास तथा कार्रवाई हेतु एजेन्सी/समन्वयक
	1) एमएसपी संबंधी निर्णय लेते समय सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि दोनों ही किसानो (जो उपभोक्ताओं का एक बड़ा भाग भी है) एवं उपभोक्ताओं के साथ सही बर्ताव हो। पीडीएस के लिए आवश्यक खाद्यान्नों की सरकार बाजार मूल्य अथवा एमएसपी जो भी अधिक हो, पर अधिप्राप्ति करें। 2) खाद्य सुरक्षा टोकरी का शुष्क कृषि क्षेत्रों जैसे बाजरा, ज्वार, रागी एवं अन्य फसलों को शामिल करने के लिए विस्तार किया जाएगा और वर्षा सिंचित क्षेत्रों में एमएसपी का प्रभावशाली कार्यान्वयन शुष्क भूमि कृषि में उत्पादकता एवं आय में सुधार लाएगा। **(डीएसी, डीओएफ एंड पीडी)** एमएसपी व्यवस्था को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) के विचारार्थ विषयों और स्थिति की पुनरीक्षा की जाएगी। **(पूरे 5.10 पैरा के लिए: डीएसी)**	भण्डारण निगम की "कृषक विस्तार सेवा स्कीम" के अधिदेश के तहत पहले की कवर किया गया है। • 450 करोड़ रुपए के प्रस्तावित व्यय से ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान ग्रामीण गोदामों के निर्माण व नवीकरण हेतु कृषि एवं सहकारिता विभाग की एक पूंजी निवेश राजसहायता की एक केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम पहले ही परिकल्पित है। यह ईएफसी के पास लम्बित है। डीओएफपीडी ने भी इस स्कीम का समर्थन किया है। • भण्डारण रसीद को पूर्ण रूप से परक्राम्य लिखित बनाने के लिए एक भण्डारण (विकास एवं विनियमन) विधेयक 2007 को संसद ने पारित कर दिया है। किसान इन गोदामों में रखे गये अपने कृषि उत्पाद के लिए इन परक्राम्य गोदाम रसीदों के बदले बैंको से आसान ऋण प्राप्त करने में सक्षम होंगे। • एमओएफपीआई ने मेगा फूड पार्कों, समेकित शीत श्रृंखलाओं, मूल्य वर्धित केन्द्रों आदि की स्थापना की परिकल्पना करते हुए ग्यारहवीं योजना में अवसंरचना विकास की एक स्कीम का प्रस्ताव किया है। गुणवत्ताप्रद और स्वच्छ दुग्ध उत्पादन हेतु अवसंरचना सुदृढ़ीकरण के लिए डीओएएचडी की एक चल रही स्कीम है।	

क्र. सं.	राष्ट्रीय किसान नीति, 2007 पैरा संख्या और संक्षेप में नीतिगत प्रावधान और प्राथमिक जिम्मेवारी (पीआर) अथवा प्राथमिक समन्वयन (पीसी) वाले मंत्रालय/विभाग	कार्य योजना	
		पहले से कार्यान्वित अथवा कार्यान्वयनाधीन स्कीम/कार्यक्रम/कार्य	की जाने वाली आगे की कार्रवाई/किए जाने वाले प्रयास तथा कार्रवाई हेतु एजेन्सी/समन्वयक
		• विस्तार सुधार स्कीम के लिए कृषक संगठन/कृषक हित समूह जोकि एफसी फसल/जिन्स का उत्पादन कर रहे हैं, मुख्य ध्यान दिए जाने वाले क्षेत्र हैं। इन कृषक संगठनों/कृषक हित समूहों को अपनी क्षमता निर्माण करने के लिए वित्तीय सहायता व प्रोत्साहन, उनके कार्यकलापों को सहायता देने के लिए चक्रीय निधियों तथा बेहतर निष्पादन कर रहे समूहों के लिए पुरस्कार उपलब्ध हैं। • कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (अपेडा) एईजेड स्कीम कार्यान्वित कर रहा है। नाबार्ड वित्तीय एवं संवर्धनात्मक पहलें मुहैया कराता है। • वर्तमान में एमएसपी प्रणाली के अधीन 25 फसलों को कवर किया जाता है। कृषि जिन्सों हेतु सरकार की मूल्य नीति में उत्पादकों को उनके उत्पाद के लाभकारी मूल्य सुनिश्चित किए जाने की व्यवस्था है ताकि अधिक निवेश व उत्पादन को प्रोत्साहित किया जा सके और इसके साथ ही उचित मूल्यों पर आपूर्ति कराकर उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा की जा सके। • एमएसपी के अलावा, कृषि एवं सहकारिता विभाग नैफेड के माध्यम से दलहनों तथा तिलहनों के मूल्य समर्थन स्कीम (पीएसएस) का भी	

क्र. सं.	राष्ट्रीय किसान नीति, 2007 पैरा संख्या और संक्षेप में नीतिगत प्रावधान और प्राथमिक जिम्मेवारी (पीआर) अथवा प्राथमिक समन्वयन (पीसी) वाले मंत्रालय/विभाग	कार्य योजना	
		पहले से कार्यान्वित अथवा कार्यान्वयनाधीन स्कीम/कार्यक्रम/कार्य	की जाने वाली आगे की कार्रवाई/किए जाने वाले प्रयास तथा कार्रवाई हेतु एजेन्सी/समन्वयक
		कार्यान्वयन कर रहा है। • जहां तक शुष्क भूमि क्षेत्रों की बाजरा, ज्वार, रागी आदि फसलों को पीडीएस में शामिल किए जाने का संबंध है, टीपीडीएस के अधीन वितरण हेतु मोटे अनाजों का सीआईपी पहले ही निर्धारित कर दिया गया है और 5.3.2008 की स्थिति के अनुसार 1.91 लाख एमटी की खरीद की तुलना में टीपीडीएस के अधीन 1.6 लाख एमटी मोटे अनाज आवंटित कर दिये गये हैं। तथापि टीपीडीएस के अधीन मोटे अनाजों की स्वीकार्यता काफी कम है। इसके अलावा, खरीद करने वाले और उपभोग करने वाले राज्य अलग–अलग हैं जिसके फलस्वरूप संभार तंत्र की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। गेहूं और चावल के मुकाबले मोटे अनाजों की शेल्फ लाईफ भी कम होती है। • न्यूनतम समर्थन मूल्य के निर्धारण में प्रणाली विभाग संबंधी मुद्दों पर प्रो. वाई. के. अलघ की अध्यक्षता वाली विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी है। रिपोर्ट में अन्य बातों के अलावा, सीएसीपी की स्थिति और विचारार्थ मुद्दों पर सिफारिशें शामिल हैं। कृषि एवं सहकारिता विभाग शीघ्र ही इस मुददे को मंत्रिमंडल के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करने जा रहा है।	अलघ समिति की रिपोर्ट पर शीघ्र अनुवर्ती कार्रवाई की जाए। **(कार्रवाई: कृषि एवं सहकारिता विभाग)**

क्र. सं.	राष्ट्रीय किसान नीति, 2007 पैरा संख्या और संक्षेप में नीतिगत प्रावधान और प्राथमिक जिम्मेवारी (पीआर) अथवा प्राथमिक समन्वयन (पीसी) वाले मंत्रालय/विभाग	कार्य योजना	
		पहले से कार्यान्वित अथवा कार्यान्वयनाधीन स्कीम/कार्यक्रम/कार्य	की जाने वाली आगे की कार्रवाई/किए जाने वाले प्रयास तथा कार्रवाई हेतु एजेन्सी/समन्वयक
27.	**पैरा 5.11– प्रसंस्करण एवं मूल्य श्रृंखला के साथ समेकन** • कृषि उत्पादों को प्रसंस्करण तथा अन्य मूल्य श्रृंखला क्रियाकलापों के साथ समेकित करना आवश्यक है। फसलोंपरान्त प्रबंन्धन में सुधार, किसानों को बाजार से जोड़ने एवं मांग आधारित कृषि की प्रोत्साहित करने हेतु प्रभावी उपाय किए जाएंगे। **(पीआरः एमओएफपीआईएवं डीएसी)**	• एमओएफपीआई ने ग्यारहवीं योजना स्कीम नामतः अवसंचरना विकास प्रस्तावित की है जिसमें विशाल खाद्य पार्को, समेकित शीत श्रृंखलाओं, मूल्य वर्द्धित केन्द्रों, अनुकूल वितरण केन्द्रों इत्यादि की स्थापना की परिकल्पना की है। इस स्कीम का उद्धेश्य किसानों, प्रसंसकरणकर्ताओं और खुदरा विक्रेताओं को एक साथ लाने तथा कृषि उत्पादन को मण्डी से जोड़ने के लिए एक तंत्र मुहैया करना है ताकि मूल्यवर्धन को अधिकतम करना, अपशिष्ट को न्यूनतम करना, किसानों की आय में वृद्धि और ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसरों का सृजन सुनिश्चित किया जा सके।	• नाशवान कृषि उत्पादों में फसलोपरान्त हानियों को न्यूनतम करने के लिए देष में शीत भण्डारों एवं प्रसंस्करण सुविधाओं के आधुनिकीकरण की अत्यन्त आवश्यकता है। किसानो को स्वयं सहायता समूहों के परिसंघों द्वारा निजी क्षेत्र के साथ उचित संयोजन से इन अवसंरचनाओं के सृजन को प्रोत्साहित करना चाहिए और कृषि एवं सहकारिता विभाग की चालू स्कीमों के तहत इन्हें समर्थन देना चाहिए। इस उद्धेश्य के लिए उचित दिशा–निर्देश जारी किए जाएं। **(कार्रवाईः डीएसी)** • किसान उद्यमियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एवं कृषि व्यापार में सार्वजनिक एवं निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए एसएफएसी को क्रियाशील किया जाना चाहिए। **(कार्रवाईः डीएसी)** • आरकेवीवाई निधियों एवं एमओएफपीआई द्वारा राज्यों को दी गई 35,000 करोड़ रूपये की विशेष निधि में से निम्नलिखित अवसंरचनाओं के निर्माण को शुरू करने के लिए डीएसी राज्यों को सलाह दे। • गांवों में प्राथमिक प्रसंस्करण केन्द्र सह–शीत श्रृंखला (ख) संग्रहण केन्द्र सह शीत श्रृंखलाएं

क्र. सं.	राष्ट्रीय किसान नीति, 2007 पैरा संख्या और संक्षेप में नीतिगत प्रावधान और प्राथमिक जिम्मेवारी (पीआर) अथवा प्राथमिक समन्वयन (पीसी) वाले मंत्रालय/विभाग	कार्य योजना	
		पहले से कार्यान्वित अथवा कार्यान्वयनाधीन स्कीम/कार्यक्रम/कार्य	की जाने वाली आगे की कार्रवाई/किए जाने वाले प्रयास तथा कार्रवाई हेतु एजेन्सी/समन्वयक
			• उचित तापमान पर परिवहन संभार तंत्र (घ) फसलोपरान्त प्रबन्धन संभालने में क्षमता निर्माण **(कार्रवाईः डीएसी/ एमओएफपीआई)**
28.	**पैरा 5.12–पाठ्यक्रम में सुधार** • कृषि एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालयों का लक्ष्य प्रत्येक छात्र एंव उद्यमी होगा। इसके लिए व्यवसाय प्रबंधन सिद्धान्तों को प्रमुख अनुप्रयुक्त पाठयक्रमों के साथ एकीकृत करने की जरूरत होगी। इसके साथ ही कृषि विश्वविद्यालयों को भी अपनी पाठ्यचर्चा इस ढंग से पुनःतैयार करनी होगी कि खेती में महिलाओं और पुरूषों की सापेक्ष भूमिका को स्वीकारा जाए तथा उन्हें प्रौद्योगिकीय रूप से सशक्त बनाया जाए। पोषाहार, फसलोपरान्त प्रौद्योगिकी, गुणवत्ता व सुरक्षा मानकों पर ध्यान देने के लिए पाठ्यचर्या में बदलाव की आवश्यकता है। फार्म विश्वविद्यालयों में खाद्य सुरक्षा के कोडेक्स एलिमेन्टरियस मानकों और स्वच्छता व पादप स्वच्छता सहित गुणवत्ता संबंधी क्षमता निर्माण उद्यमिता पर बल दिया जायेगा। • कृषि स्नातकों को कृषि अभ्यासकर्ताओं के रूप में पंजीकरण एवं प्रत्यायन किया जाएगा। **(डेयर/आईसीएआर)**	• कृषि शिक्षा संबंधी समिति द्वारा मानकों, प्रतिमानकों, शैक्षिक विनियिमों एवं यूजी पाठयक्रम एवं पाठ्य विवरण पर प्रस्तुत की गई रिपोर्ट आईसीएआर द्वारा उच्चतर समरूपता, ग्राहता एवं गुणवत्ता तथा संबद्धता लाने के लिए सभी एसएयू में कार्यान्वयन के लिए स्वीकार कर ली गई है। कृषि व्यापार प्रबंधन उद्यमशीलता विकास, सम्प्रेषण दक्षता, कम्प्यूटर ज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, पर्यावरण विज्ञान, पोषकता, फसलोपरान्त प्रौद्योगिकी, गुणवत्ता एवं सुरक्षा मानकों पर पाठयक्रम इसमें शामिल किए गए हैं। अत्यन्त कुशल विशेषज्ञों के कैडर को विकसित करने की दृष्टि से सभी विषयों में अनुभवजन्य ज्ञान कार्यक्रमों की संस्तुति की गई है। कृषि में बदलते हुए राष्ट्रीय एवं वैश्विक परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए एक राष्ट्रीय कोर समूह स्नातकोत्तर एवं मानद कोर्सों के पाठयक्रम में संशोधन कर रहा है। • आईसीएआर शिक्षा एवं अनुसंधान के प्रमुख क्षेत्रों में श्रेष्ठता लाने के लिए कृषि विश्वविद्यालयों का समर्थन करती है। इस समय देश में सर्वोत्कृष्टता	• कृषि स्नातकों को पंजीकृत एवं प्रत्यायित करने के लिए एसएयू/केवीके/एटीएमए को सलाह देने हेतु डेयर उचित कार्रवाई करें। किसानों को गुणवत्ताप्रद सेवा प्रदान करने के लिए कृषि क्लिनिकों/कृषि व्यापार केन्द्र स्कीम के तहत इन पंजीकृत स्नातकों को प्राथमिकता के आधार पर शामिल किया जाए। **(कार्रवाईः डीएसी/डेयर)** • डब्ल्यूटीओ, कोडेक्स, एसपीएस इत्यादि के संदर्भ में कृषि से संबंधित मामले पाठयक्रम में शामिल किए जाए और इन पहलुओं पर प्राथमिकता के आधार पर प्राध्यापक वर्ग को प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। डब्ल्यूटीओ, कोडेक्स, एसपीएस मामलों में जागरूकता लाने के लिए और विशेष राज्यों के संदर्भ में डब्ल्यूटीओ से संबंधित मामलों एवं प्रभावों पर अनुसंधान शुरू करने के लिए प्रत्येक एसएयू में डब्ल्यूटीओ प्रकोष्ठ का गठन किया जाए। **(कार्रवाईः डेयर/ डीएसी)**

क्र. सं.	राष्ट्रीय किसान नीति, 2007 पैरा संख्या और संक्षेप में नीतिगत प्रावधान और प्राथमिक जिम्मेवारी (पीआर) अथवा प्राथमिक समन्वयन (पीसी) वाले मंत्रालय/विभाग	कार्य योजना	
		पहले से कार्यान्वित अथवा कार्यान्वयनाधीन स्कीम/कार्यक्रम/कार्य	की जाने वाली आगे की कार्रवाई/किए जाने वाले प्रयास तथा कार्रवाई हेतु एजेन्सी/समन्वयक
		के 28 प्रमुख क्षेत्र काम कर रहे हैं। • रोजगार एवं उच्च अध्ययन को सुविधाजनक बनाने के लिए आईसीएआर द्वारा कैरियर मार्गदर्शन एवं प्लेसमेंट प्रकोष्ठों की स्थापना की जा रही है।	
29.	• **पैरा 6–किसानों की विशेष श्रेणियां** **जनजातीय किसानः** जनजातीय क्षेत्रों में भू–अभिलेखों को अद्यतन करने, सहभागिता प्रक्रिया हेतु संस्थागत संरचना का सुदृढ़ीकरण, जनजातीय किसानों की संस्थागत ऋणों तक आसान पहुंच पारम्परिक फसलों एवं परिरक्षण हेतु ज्ञान का प्रलेखन एवं जनजातीय क्षेत्रों में आदान उपलब्ध कराने हेतु रियायती मापदण्ड के साथ उचित प्रौद्योगिकी एवं प्रसार सेवाओं के प्रावधान की कार्रवाई की जाएगी। **(डीएसी,एमओटीए)** **चरवाहेः** वन क्षेत्रों में पारम्परिक चारागाह अधिकारों एवं रहने के अधिकारों की बहाली, पारम्परिक चरवाहों/पशुपालकों की हकदारी के औपचारीकरण की व्यवस्था, पशुधन के लिए चारागाह और पेयजल स्रोतों को संरक्षण एवं बढ़ावा दिया जाएगा। बौद्धिक संपदा के संरक्षण हेतु देशज पशुधन एवं प्रजातियों का प्रलेखन एवं स्थानीय संसाधन प्रबंधन जिसमें ग्राम वन भी	• भू–अभिलेखों को अद्यतन एवं कम्पयूटरीकृत करने के लिए डीओएलआर स्कीम कार्यान्वित कर रहा है। • वन क्षेत्रों में जनजातियों की बस्तियों को नियंत्रित करने के लिए नया अधिनियमन पारित कर दिया गया है। • ऋण एवं प्रसार तक पहुंच के लिए जनजातीय क्षेत्रों में एसएचजी को प्रोत्साहित किया जा रहा है। • कुछ सीमा तक ये एनएचएम नारियल बोर्ड कार्यक्रमों के तहत कवर किए गए हैं। इसमें एमआईएस के द्वारा मूल्य उतार–चढ़ाव भी है। • राष्ट्रीय वन रोपण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड (एमओईएफ) दों स्कीमें नामतः राष्ट्रीय वन–रोपण कार्यक्रम एवं हरित भारत के लिए सहायता अनुदान कार्यान्वित कर रहा है, जो अवक्रमित वनों एवं निकटवर्ती क्षेत्रों के पुनर्निर्माण के उद्धेश्य के अलावा वृक्षों/ घास के रोपण द्वारा चारे (वृक्ष	• जनजातीय क्षेत्रों में आवश्यक प्रशिक्षण एवं अन्य आदानों के साथ विशेषकर कृषक महिलाओं के एसएचजी के गठन पर जोर डालना चाहिए। **(कार्रवाईः डीएसी)** • जनजातीय भूमि जोकि अधिकतर अनुपजाऊ एवं पहाड़ी है, की उत्पादकता को बढ़ने के लिए विकास शुरू किया जाए। इस उद्देश्य के लिए पनधारा पद्धति अपनाई जानी चाहिए। **(कार्रवाईः डीओएलआर/डीएसी)** • देश के 75 जिलों जहां 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जनजातीय जनसंख्या है, के लिए आदानों विशेषकर गुणवत्ताप्रद बीजों की आपूर्ति के लिए निर्धारित मानको में छूट देनी चाहिए। चूंकि जनजातीय जनसंख्या की उन्नत प्रौद्योगिकियों को ग्रहण करने की क्षमता बहुत कम है, उनके लिए प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों में सरल, उर्जा की बचत करने

क्र. सं.	राष्ट्रीय किसान नीति, 2007 पैरा संख्या और संक्षेप में नीतिगत प्रावधान और प्राथमिक जिम्मेवारी (पीआर) अथवा प्राथमिक समन्वयन (पीसी) वाले मंत्रालय/विभाग	कार्य योजना	
		पहले से कार्यान्वित अथवा कार्यान्वयनाधीन स्कीम/कार्यक्रम/कार्य	की जाने वाली आगे की कार्रवाई/किए जाने वाले प्रयास तथा कार्रवाई हेतु एजेन्सी/समन्वयक
	शामिल है, में चरवाहों को शामिल करने के कियाकलाप किए जाएंगे। • मूल्य उतार–चढ़ाव के हल एवं .... आयातित रोपण फसलों से जैव विविधता संरक्षण और परम्परागत स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्रों में पारम्परिक ज्ञान को मान्यता देने व पुरस्कृत करने तथा द्वीपसमूहों में बागवानी विकास, जीवन और आजीविकाओं को सुरक्षित करने के लिए मेनग्रोव व अन्य बायोशील्डों का सृजन। **(डीएसी और एमओईएफ)**	अथवा घास) की उपलब्धता को बढ़ा सकती है।	वाली, कठोर श्रम हटाने वाली, फसल उत्पादन एवं फसलोपरान्त प्रौद्योगिकियों पर ध्यान देना चाहिए। **(कार्रवाईः डीएआरई/डीएसी)** • जनजातीय क्षेत्रों में भू–अभिलेखों को उद्यतन एवं कम्प्यूटरीकृत करने के लक्ष्य को अधिक महत्पाकांक्षी होना चाहिए। **(कार्रवाईः डीओएलआर)** • जनजातियों क्षेत्रों में जिला/ब्लाक स्तरीय पनधारा विकास समितियों के साथ–साथ एसएचजी को प्रोत्साहित किया जाए। जहां तक संभव हो, पनधारा पद्धति के द्वारा विकास को प्राथमिकता दी जाए। **(कार्रवाईः डीएसी/एमओटीए/डीओएलआर)** • एमओईएफ कुछ वन क्षेत्रों में पारम्परिक चराई अधिकारों की पुनर्स्थापना के लिए कार्रवाई करे। **(कार्रवाईः एमओईएफ)** • जनजातीय क्षेत्रों, चारावाहों एवं द्वीपों में पारम्परिक ज्ञान का प्रलेखन किया जाए। **(कार्रवाईः डीएसी)**

क्र. सं.	राष्ट्रीय किसान नीति, 2007 पैरा संख्या और संक्षेप में नीतिगत प्रावधान और प्राथमिक जिम्मेवारी (पीआर) अथवा प्राथमिक समन्वयन (पीसी) वाले मंत्रालय/विभाग	कार्य योजना	
		पहले से कार्यान्वित अथवा कार्यान्वयनाधीन स्कीम/कार्यक्रम/कार्य	की जाने वाली आगे की कार्रवाई/किए जाने वाले प्रयास तथा कार्रवाई हेतु एजेन्सी/समन्वयक
			• आयात एवं आयात मूल्य में उतार–चढ़ाव को मानीटर करने के लिए संवेदी मद सूची में बागवानी उत्पादों के आयात को शामिल किया जाए। **(कार्रवाईः डीएसी)** • अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूहों में जैव–विविधता सुनिश्चित की जाएं एवं बागवानी विकास के साथ सुदृढ़ की जाए। **(कार्रवाईः डीएसी/डीएएचडीएंडएफ/एमओईएफ)** • विस्तार कार्यकलापों के माध्यम से वन क्षेत्रों में आर्गेनिक खेती सुनिश्चित करने के लिए चक्रीय चराई, वैज्ञानिक शाखा कर्तन एवं छटाई, तथा वन संरक्षण को बढ़ावा देने और विकास के जरिए चारा संसाधनों की संघारणीयता शुरू की जाए। **(कार्रवाईः डीएसी)**
30.	**पैरा 6.3–रोपण किसानों की अन्य श्रेणियां** • बाजार के उतार–चढ़ाव से बचने में रोपण फसलों के लिए मूल्य स्थिरीकरण निधि उनकी मदद करती है। **(डीओसी)**	• डीओसी रोपण फसलों जैसे कॉफी, चाय, रबड़ और तंबाकू के लिए मूल्य स्थिरीकरण निधि की व्यवस्था करता है। अप्रैल,2003 में शुरू की गई यह स्कीम मार्च ,2013 तक प्रचलन में रहेगी। • मसाला बोर्ड ने बड़ी इलायची के विशेष संदर्भ में एक स्कीम मसालों का निर्यातोन्मुख उत्पादन एवं फसलोपरान्त सुधार' लागू की।	• डीओसी द्वारा संचालित मूल्य स्थिरीकरण निधि गरम मसालों समेत सभी रोपण फसलों तक बढ़ा दी जाए। **(कार्रवाईः डीओसी/सीएसी)** • राष्ट्रीय वनरोपण कार्यक्रम के अवक्रमित वनों एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में तटीय शेल्टर पट्टी बनाने के

क्र. सं.	राष्ट्रीय किसान नीति, 2007 पैरा संख्या और संक्षेप में नीतिगत प्रावधान और प्राथमिक जिम्मेवारी (पीआर) अथवा प्राथमिक समन्वयन (पीसी) वाले मंत्रालय/विभाग	कार्य योजना	
		पहले से कार्यान्वित अथवा कार्यान्वयनाधीन स्कीम/कार्यक्रम/कार्य	की जाने वाली आगे की कार्रवाई/किए जाने वाले प्रयास तथा कार्रवाई हेतु एजेन्सी/समन्वयक
	• अन्य श्रेणियां – दीपसमूह किसान **(एमओईएफ)** • अन्य श्रेणियां – शहरी किसान **(डीएसी)**	• डीओसी ने रोपण फसल उत्पादकों को सामने आने वाली मूल्य के उतार–चढ़ाव की समस्या की जांच हेतु एक कार्यदल का गठन किया। जीओएम द्वारा सिफारिशें स्वीकार कर ली गई है एवं डीओसी द्वारा फसल बीमा स्कीम जिसमें कॉफी, रबड़ तंबाकू, मसाले एवं पुष्प कृषि कवर है, रोपण विकास बोंड जारी करना तथा नई किस्मों के पुनर्रोपण एवं उन्हें लागू करने के लिए पुष्पकृषि इकाईयों को राजसहायता के साथ–साथ सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए कार्रवाई की जा रही है। • राष्ट्रीय वनरोपण कार्यक्रम (एमओईएफ) में अवक्रमित वनों एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में तटीय शेल्टर पट्टी बनाने का प्रावधान है। • शहरी किसानों को एनबीएम के तहत बांस नर्सरियां शुरू करने एवं बांस रोपण के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है जो पोषक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए खाने योग्य अंकुर उपलब्ध कराए।	प्रावधानों को विशेष रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में लागू किया जाना चाहिए। **(कार्रवाईः एमओईएफ)**
31.	**पैरा 7 – खेती का विशेष श्रेणियां** • कृषि विज्ञान केन्द्रों को आर्गेनिक खेती में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए तैयार किया जाएगा।	• कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा "राष्ट्रीय जैविक कृषि परियोजना " स्कीम कार्यान्वित की जा रही है । देश में दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एनपीओएफ को एक पायलेट स्कीम के तौर पर	• समूह प्रमाणीकरण और अन्य समूह लाभ की सुविधा के लिए जैविक खेती के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण और स्वयं सहायता समूहों/किसान समूहों के बनाने पर और अधिक जोर दिया जाना चाहिए।

क्र. सं.	राष्ट्रीय किसान नीति, 2007 पैरा संख्या और संक्षेप में नीतिगत प्रावधान और प्राथमिक जिम्मेवारी (पीआर) अथवा प्राथमिक समन्वयन (पीसी) वाले मंत्रालय/विभाग	कार्य योजना	
		पहले से कार्यान्वित अथवा कार्यान्वयनाधीन स्कीम/कार्यक्रम/कार्य	की जाने वाली आगे की कार्रवाई/किए जाने वाले प्रयास तथा कार्रवाई हेतु एजेन्सी/समन्वयक
	किसान–अनुकूल व समर्थ बनाने के लिए प्रमाणन प्रक्रियाओं को भी सुदृढ़ किया जाएगा ं आर्गेनिक खेती क्षेत्रों का पता लगाया जाएगा। चुनिंदा वर्षा सिंचित क्षेत्रों को मुख्य बाजारों, कृषि क्लिीनिकों, आर्गेनिक कृषि हेतु कृषि व्यवसाय केन्द्रों से जोड़ते हुए आर्गेनिक खेती को प्रोत्साहन दिया जाएगा। जैव उर्वरकों और जैविक खाद, जैव कीटनाशकों को समर्थन ओर संवर्धन के लिए रसायनिक उर्वरकों के समान ही महत्व दिया जाएगा। **(डीएसी एवं डीओएफ)** • हरित कृषि जिसमें आईपीएम एवं आईएनएम शामिल हैं, के जिला लेबलिंग व प्रमाणीकरण को प्रोत्साहित किया जाएगा। **(डेयर)** • **जैनकिटकली संशोधित फसलें**: सूखे, लवणीयता व अन्य दवाबों से अवरोध प्रदान करने के लिए जीनों को शामिल करना। जीएम फसलों के कृषि विज्ञान प्रबंधन पर प्रशिक्षण एवं जागरूता। **(डेयर)** • **सरंक्षित (ग्रीन हाउस) खेती**: किसानों तथा गृह–विज्ञान स्नातकों और अन्य उद्यमियों को समर्थन	57 करोड़ रू0 के परिव्यय के साथ जैविक कृषि के उत्पादन, प्रोत्साहन और बाजार विकास के लिए चलाया गया था। 150 करोड़ रूपये के प्रस्तावित परिव्यय के साथ स्कीम ग्यारहंवी पंचवर्षीय योजना के दौरान जारी है। • कृषि एवं सहकारिता विभाग एक नई स्कीम उर्वरकों को संतुलित प्रयोग'' भी प्रस्तावित करता है। • आईसीएआर कुछ बागवानी, बागान और कृषि फसलों के संदर्भ में उनके जैविक उत्पादों की बड़ी निर्यात संभावनाओं और आन्तरिक मांग को देखते हुए जैविक खेती को भी प्रोत्सहित कर रहा है। • आईसीएआर देश में उच्च फसल पैदावार प्राप्त करने के लिए रसायनिक उर्वरकों और कीटनाशिकों के प्रयोग को न्यूतनतम करते हुए संसाधन संरक्षण प्रौद्योगिकियों और मृदा–जल–पोषण प्रबंधन प्रयासों के माध्यम से हरित कृषि को प्रोत्साहित कर रहा है। • संभावित लाभों और जोखिमों पर पूर्ण रूप से विचार करके मामले दर मामले के आधार पर जीएम फसलों के उपयोग को एमओईएफ की तरफ से डीओबीटी स्वीकृति देता है और इसके प्रयोग संबंधी पर्यवेक्षण करता है। डीओबीटी	**(कार्रवाई : डीएसी)** • जैविक उत्पादों के प्रमाणीकरण के लिए क्षमता निर्माण को बढ़ाया जाना चाहिए **(कार्रवाई : डीएसी/अपेडा)** • वन संरक्षण करने वाले समुदायों के लिए जागरूकता अभियानों और आर्थिक सहायता के माध्यम से वन क्षेत्रों में जैविक कृषि को सुनिश्चित करते हुए वन संरक्षण और उसके विकास के लिए कदम उठाए जाएं। **(कार्रवाई : डीएसी/एमओईएफ)** • चिन्हित जैविक कृषि जोनों विशेष रूप से वर्षा सिंचित क्षेत्रों में संविदा कृषि के माध्यम से या अन्यथा बाजार सम्पर्क स्थापित किया जाना चाहिए। **(कार्रवाई : डीएसी)** • अच्छे कृषि कार्यो को ध्यान में रखते हुए हरित कृषि के लिए प्रमाणीकरण कार्यविधि और प्रोटोकॉल को अन्तिम रूप दिया जाना चाहिए। **(कार्रवाई : डीएसी/डेयर)**

क्र. सं.	राष्ट्रीय किसान नीति, 2007 पैरा संख्या और संक्षेप में नीतिगत प्रावधान और प्राथमिक जिम्मेवारी (पीआर) अथवा प्राथमिक समन्वयन (पीसी) वाले मंत्रालय/विभाग	कार्य योजना	
		पहले से कार्यान्वित अथवा कार्यान्वयनाधीन स्कीम/कार्यक्रम/कार्य	की जाने वाली आगे की कार्रवाई/किए जाने वाले प्रयास तथा कार्रवाई हेतु एजेन्सी/समन्वयक
	प्रदान करके बागवानी फसलों में संरक्षित (ग्रीन हाउस) खेती को प्रोत्साहित किया जाएगा। कम लागत वाले ग्रीन हाउसों, उर्वरीकरण तकनीक के साथ लघु–सिंचाई को उन क्षेत्रों में लोकप्रिय बनाया जाएगा जहां वाष्पीकरण वर्षा की अपेक्षा वाष्पीकरण अधिक होता है। जलाभाव वाले क्षेत्रों में आय बढ़ाने हेतु ऐसी प्रौद्योगिकियों को उपयुक्त समर्थन। **डेयर**	आवश्यकतानुसार जीएम फसलों के परीक्षण में आईसीएआर सहित अन्य संगठनों को शामिल करता है। • जीएम फसलों को पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम (1986) के तहत अधिसूचित "जोखिमपूर्ण सूक्ष्म जीवों/आनुवांशिक रूप से अभियंत्रित जीवों के निर्माण, प्रयोग, आयात, निर्यात और संग्रहण नियमों या कोशिका नियम, 1989" के तहत विनियमित किया जाता है। नियमों को जैव सुरक्षा दिशा–निर्देशों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है जोकि पर्यावरणीय सुरक्षा के साथ–साथ स्वास्थ्य सुरक्षा को शामिल करते हुए विस्तृत जैव सुरक्षा निर्धारण का प्रबंध करते हैं। अभी तक भारत में व्यवसायिक कृषि के लिए बीटी काटन जीएम फसल ही अनुमोदित है। • उच्च पैदावार क्षमता वाली मौसम परिस्थितियों के प्रबंधन के साथ ग्रीन हाउस कृषि और बागवानी फसलों के उत्पादन के महत्व को मानते हुए बागवानी फसलों विशेष रूप से सब्जियों, फलों, पुष्पों और औषधीय पौधों के लिए संरक्षित कृषि पर मुख्य अनुसंधान सेकेन्द्रण किया गया है। उर्वरण से संबंधित ग्रीन हाउस पौध सरंक्षना प्रबंधन और सुरक्षा प्रौद्योगिकी के तहत उत्पादन प्रणाली प्रबन्धन के संदर्भ में विकसित प्रौद्योगिकी	• फसलों को सूखा तथा लवणता रोधी बनाने के लिए जीन्स का विकास किया जाना चाहिए। **(कार्रवाई : डेयर/आईसीएआर)** • एनएचबी/कृषि व्यापार स्कीमों के तहत उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए कम लागत वाली ग्रीन हाउस प्रौद्योगिकी और बागवानी फसलों की माडल स्कीम विकसित की जानी चाहिए। **(कार्रवाई : डीएसी/डेयर)**

क्र. सं.	राष्ट्रीय किसान नीति, 2007 पैरा संख्या और संक्षेप में नीतिगत प्रावधान और प्राथमिक जिम्मेवारी (पीआर) अथवा प्राथमिक समन्वयन (पीसी) वाले मंत्रालय/विभाग	कार्य योजना	
		पहले से कार्यान्वित अथवा कार्यान्वयनाधीन स्कीम/कार्यक्रम/कार्य	की जाने वाली आगे की कार्रवाई/किए जाने वाले प्रयास तथा कार्रवाई हेतु एजेन्सी/समन्वयक
		किसानों द्वारा अपनाई जा रही है। आयोग ने सहायता के लिए सुझाव दिया है जो राष्ट्रीय बागवानी मिशन के माध्यम से कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। कम लागत वाली ग्रीन हाउस प्रौद्योगिकी भी विकसित की गई है तथा प्रोत्साहित की जा रही है।	
32.	**पैरा 8 – विशेष क्षेत्र** • कठिनाईग्रस्त गर्म क्षेत्रों में जोखिम को कम करने एवं सतत कृषि हेतु आदानों को प्रोत्साहित करने के लिए विशष ध्यान • इन क्षेत्रों में विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत लाभ के साथ ज्ञान संयोज्यता, सामाजिक सहायता प्रणाली एवं विपणन अवसंरचना को मजबूत किया जाएगा। • वृहद जैव–विविधता क्षेत्रों जैसे पूर्वी, पश्चिमी घाटों एवं पूर्वी हिमालयी क्षेत्रों के संरक्षण में स्थानीय समुदायों को शामिल किया जाएगा। **(डीएसी एवं डेयर)**	• 31 जिलों में पुनर्वास पैकेज कार्यान्वयनाधीन है। • कुछ निश्चित प्रकार के वन क्षेत्रों कें लिए संयुक्त वन प्रबंधन पद्धति को लोकप्रिय बनाया गया। • ''राष्ट्रीय जैव विविधता कार्य योजना'' मसौदे के अनुरूप जैव विविधता के सरंक्षण में वृहद विविध क्षेत्रों में स्थानीय समुदोयों को शामिल करने की पहल एमओइएफ द्वारा तैयार की जा रही है। • एमओईएफ के द्वारा स्वायत सांविधिक प्राधिकरण के तौर पर एक'' राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना की गई है। एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है ताकि जैवकीय विविधता अधिनियम 2002 के तहत जैविकीय विविधता स्थलों की स्थापना पर दिशा निर्देश तैयार करे ।	• ज्ञान सम्पर्क के सुदृढ़ीकरण, सामाजिक सहायता पद्धति और बाजार अवसंरचना को प्राथमिकता दी जाये। आईएनएम, आईपीएम, जैविक कृशि जैसे कार्यक्रमों को ओर तीव्रता से कार्यान्वित किया जाना चाहिए ताकि पुनर्वास पैकेज के तहत कवर सभी 31 जिलों को कवर किया जा सके। लघुकृत ओर बेहतर जोखिम प्रशमन उपायों के प्रावधानों के साथ किसानों को सुनिश्चित बाजार प्रदान करने के लिए संवदिा कृषि कार्यान्वित जाये। **(कार्रवाईः डीएसी)** • जारी स्कीमों से सहायता के साथ किसान संगठनों विशेष रूप से स्वयं सहायता समूहों में महिला किसानों पर जोर दिया जाना चाहिए। **(कार्रवाईः डीएसी)**

क्र. सं.	राष्ट्रीय किसान नीति, 2007 पैरा संख्या और संक्षेप में नीतिगत प्रावधान और प्राथमिक जिम्मेवारी (पीआर) अथवा प्राथमिक समन्वयन (पीसी) वाले मंत्रालय/विभाग	कार्य योजना	
		पहले से कार्यान्वित अथवा कार्यान्वयनाधीन स्कीम/कार्यक्रम/कार्य	की जाने वाली आगे की कार्रवाई/किए जाने वाले प्रयास तथा कार्रवाई हेतु एजेन्सी/समन्वयक
			• ऋण की पुनःसंरचना और क्रेडिट काउसिलिंग, प्रशिक्षण और विस्तार, कमजोर किसानों को चिन्हित करना, 31 जिलों में पुनर्वास पैकेज के कार्यान्वयन को मानीटर करना, प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण जैसी सहायता के साथ स्वयं सहायता समूहों में किसानों को संगठित करने और फसल न होने की स्थिति में संकट की स्थिति में प्रशमन के लिए विभिन्न स्कीमों के अभिसरण की सुनिश्चितता में पंचायतों की सक्रिय रूप से सम्बद्ध किया जाये। **(कार्रवाईः डीएसी/एमओपीआर)**
33.	**पैरा –9 – भावी किसान** • कृषक समुदायों द्वारा छोटे और सीमान्त किसानों के लिए आर्थिक पैमानों की विधियों को लोकप्रिय बनाया जायेगा। • ऐसे समूहो कार्यकलापों में भाग लेने के लिए महिलाओं को प्रोत्साहित किया जायेगा। • छोटे किसान समूहों को मूल्य संवर्धन, प्रसंस्करण और विपणन जैसे कार्यकलापों के लिए प्रोत्साहन और समर्थन दिया जायेगा। • स्वयं सहायता समूहों और जिन्स आधारित किसान समूहों को प्रोत्साहित करना। • कपास, बागवानी, औषधीय पौधों, कुक्कुट और जल	• डीएसी की एटीएम स्कीमों के तहत किसान समूहों/स्वयं सहायता समूहों को प्रेरित और प्रोत्साहित किया जाता है। • महिला किसानों को उनकी ऋण और प्रसंस्करण/विपणन तक पहुंच के लिए स्वयं सहायता समूहों के रूप में संगठित किया जाता है। • एस जी आर वाई के तहत समूह/व्यापक दृष्टिकोण को प्रोत्साहित किया जाता है। • राज्य पशुधन कृषि के सुदृढ़ीकरण के लिए विद्यमान स्कीम। • स्थानीय फसलों और पशुधन के लिए लिविंग हेरिटेज जीन बैंकों के रूप में राज्य कृषि को	• विस्तार प्रणाली के सुदृढ़ीकरण के लिए छोटी जोत धारण करने वाले किसान/स्वयं सहायता समूहों आदि को कृषि क्लिनिकों/कृषि व्यापार केन्द्रों से जोड़ने को सुव्यवस्थित तरीक `से किया जान चाहिए। **(कार्रवाईः डीएसी)** • एटीएमए पनधारा परियोजना, एनएचएम, एनबीएम और एसजीआरवाई कार्यक्रम के तहत जिन्स आधारित महिला स्वयं सहायता समूहों/सहकारिताओं को सहायता दी जा सकती है ताकि इस तरह के समूहों को सुविधा प्रदान की जा सके। **(कार्रवाईः डीएसी/एमओआरडी**

क्र. सं.	राष्ट्रीय किसान नीति, 2007 पैरा संख्या और संक्षेप में नीतिगत प्रावधान और प्राथमिक जिम्मेवारी (पीआर) अथवा प्राथमिक समन्वयन (पीसी) वाले मंत्रालय/विभाग	कार्य योजना	
		पहले से कार्यान्वित अथवा कार्यान्वयनाधीन स्कीम/कार्यक्रम/कार्य	की जाने वाली आगे की कार्रवाई/किए जाने वाले प्रयास तथा कार्रवाई हेतु एजेन्सी/समन्वयक
	कृषि में लघु जोत सम्पदाओं का निर्माण । लघु जोत सम्पदाएं ''ब्राण्ड'' नामों से उत्पादों का विनिर्माण कर सकती है। कृषि क्लिीनिकों और कृषि व्यवसाय केन्द्रो को ऐसी सम्पदाओं से सम्बद्ध किया जायेगा । • परस्पर संविदाओं जिसमें उत्पादकों और क्रेताओं को लाभ होगा को प्रोत्साहित किया जायेगा ताकि किसानों को आश्वस्त और लाभप्रद विपणन अवसर प्रदान किया जा सके। • स्वयं सहायता समूहों पर छोटे किसानों को किसान कम्पनियों से जोड़ा जायेगा। • इसके साथ ही राज्य फार्मों का उपयोग स्थानीय फसलों और पशुधन के लिए सजीव दाय जीन बैंकों के विकास के लिए किया जायेगा। **(डीएसी)**	विकसित करने के लिए आर के वी वाई के तहत निधि का उपयोग किया जा सकता है। • किसानों के मध्य उन्नत कृषि प्रौद्योगिकीयों के बारे में अति आवश्यक जागरूकता उत्पन्न करने के लिए आई सी ए आर के तहत के वी के द्वारा विभिन्न विस्तार कार्यक्रम चलाए जाते है। पिछले एक वर्ष के दौरान के वी के ने 1860 स्वयं सहायता समूहों को सम्मिलित किया। • विस्तार सुधार स्कीम में किसान संगठनों/किसान हित समूहों जो एफ सी फसल जिन्स का उत्पादन करते हैं पर ध्यान दिया गया। उनके क्षमता निर्माण उनके कार्यकलापों को समर्थन के लिए आवर्ती निधियों आदि के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध है। • व्यवसायिक फसलों जैसे गन्ना, कपास, चाय, कॉफी आदि के लिए देश के विभिन्न भागों में संविदा कृषि की जा रही है। कृषि विपणन में सुधार पर मॉडल अधिनियम प्रायोजक कम्पनी के पंजीकरण के लिए संस्थागत व्यवस्था संविदा कृषि करार का रिकार्ड, किसानों की भूमि का मुआवजा और एक समय बाधित विवाद निपटान तन्त्र का प्रबंध करता है। संविदा कृषि पद्धति के तहत बोये जाने वाले उत्पाद के फसलोपरान्त प्रबंधन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए ''कृषि विपणन	• संविदा कृषि के लिए किसानों को बेहतर जोखिम कवरेज, आदान आपूर्ति और प्रौद्योगिकी के लिए प्रतिबद्धता दिशा निर्देशों/नियमों में तय की जा सकती है। **(कार्रवाईः डीएसी)** • छोटी जोत वाले किसानों को सूत्रबद्ध करने के लिए विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से एकीकृत प्रयासों की आवश्यकता है। **(कार्रवाईः संबंधित मंत्रालयों के साथ डीएसी)** • स्थानीय उपलब्ध पशुधन और फसलों की नस्ल विकास/परिरक्षण के लिए राज्य फार्मो के उपयुक्त प्रयोग के लिए राज्यों को आवश्यक सहायता उपलब्ध करवाई जाए। **(कार्रवाईः डीएसी/डीओएएचडी)** • स्वयं सहायता समूहों के लिए प्रशिक्षण चक्रिय निधि आदि जैसी वित्तीय सहायता सहित स्वयं सहायता समूहों के किसानों के संगठनों को सुविधा प्रदान करने के लिए राज्यों को विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये जाने चाहिए ताकि स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से किसानों को समर्थ बनाया जा सके। **(कार्रवाई : डीएसी)**

क्र. सं.	राष्ट्रीय किसान नीति, 2007 पैरा संख्या और संक्षेप में नीतिगत प्रावधान और प्राथमिक जिम्मेवारी (पीआर) अथवा प्राथमिक समन्वयन (पीसी) वाले मंत्रालय/विभाग	कार्य योजना	
		पहले से कार्यान्वित अथवा कार्यान्वयनाधीन स्कीम/कार्यक्रम/कार्य	की जाने वाली आगे की कार्रवाई/किए जाने वाले प्रयास तथा कार्रवाई हेतु एजेन्सी/समन्वयक
		अवसंरचाना के विकास'' के तहत विपणन अवसरंचना परियोजनाओं की स्थापना के लिए भी वित्तीय सहायता उपलब्ध है। • वस्त्र मंत्रालय ने कपास प्रौद्योगिकी मिशन के माध्यम से संविदा कृषि को प्रोत्साहित किया।	• विकाशील किसानों द्वारा अपनाई गई नवीन पद्धतियों को मान्यता देने के लिए इस तरह के किसानों के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर पुरस्कार स्थापित किए जाने चाहिए। **(कार्रवाई : डीएसी)**
34.	**10 – युवाओं को आकर्षित करना** • आउटसोर्सिंग कार्यक्रम चलाने के लिए कृषि क्लीनिकों और उत्पादन– सह–प्रसंस्करण केन्द्रों की स्थापना हेतु शिक्षित युवाओं को सहायता एवं समर्थन प्रदान किया जाएगा। • कृषि और सम्बद्ध क्रिया कलापों के विभिन्न पहलुओं में कई व्यवसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे और उन्हें मान्यता प्रदान की जाएगी। • मूल्यवर्धन हेतु स्वरोजगार उद्यम शुरू करने के लिए विभिन्न स्कीमों के जरिए प्रशिक्षित व्यक्तियों को समर्थन प्रदान किया जाएगा। **डीएसी और डेयर**	• युवाओं को कृषि क्षेत्र में आकर्षित करने के लिए आईसीएआर द्वारा स्थापित केवीके कृषि और संबद्ध कार्यकलापों के विभिन्न पहलुओं में प्रशिक्षण और दक्षता विकास प्रदान कर रहे हैं। • कृषि स्नातकों में स्वरोजगार को प्रोत्साहन देने के लिए एक स्कीम अर्थात कृषि स्नातकों द्वारा "कृषि क्लीनिक और कृषि व्यापार केन्द्रों की स्थापना'' कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा शुरू की गई थी ताकि किसानों को भुगतान के आधार पर विस्तार और अन्य सेवाएं प्रदान की जा सकें, कृषि विकास और उद्यमिता को समर्थन दिया जा सके और स्वरोजगार को प्रोत्साहन दिया जा सके। इस स्कीम के तहत कृषि उद्यमियों को कृषि क्लीनिक ओर कृषि व्यापार उद्यम की स्थापना के लिए प्रशिक्षण , बैंक से वित्त पोषण और पूंजी और ब्याज राज सहायता दी जाती है। 30.11.2007 तक देश भर में 83 नोडल प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से 14594 कृषि स्नातकों को प्रशिक्षित	• डेयर/आईसीएआर, ग्रामीण युवाओं के आवश्यकता आधारित और व्यवसायिक विशिष्ट प्रशिक्षण लाने के लिए इस तरह के संस्थाओं/पोलिटेकनिकों के जिला स्तरीय नेटवर्क के माध्यम से एसएयू/केवीके ओर निजी संस्थाओं के माध्यम से व्यवायिक प्रशिक्षण पाठयक्रम से संबंधित प्रावधान कार्यान्वित करें। केवीके/एसएयू अन्य व्यवसायिक संस्थानों में प्रशिक्षकों और संसाधन व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रदान करें। महिलाओं के लिए भी इसी प्रकार का प्रशिक्षण चलाया जाना चाहिए। **(कार्रवाई : डीएआरई)**

क्र. सं.	राष्ट्रीय किसान नीति, 2007 पैरा संख्या और संक्षेप में नीतिगत प्रावधान और प्राथमिक जिम्मेवारी (पीआर) अथवा प्राथमिक समन्वयन (पीसी) वाले मंत्रालय/विभाग	कार्य योजना	
		पहले से कार्यान्वित अथवा कार्यान्वयनाधीन स्कीम/कार्यक्रम/कार्य	की जाने वाली आगे की कार्रवाई/किए जाने वाले प्रयास तथा कार्रवाई हेतु एजेन्सी/समन्वयक
		किया गया था और उनमें से 4820 ने कृषि उद्यम स्थापित किए हैं। • केवीवाईसी व्यक्तिगत उद्यमिता उत्पन्न करने और उसके द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण उद्योगों की स्थापना के उद्देश्य के साथ ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है। • देश भर में स्थित अपने प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से केवीवाईसी उद्यमिता विकास कार्यक्रम और दक्षता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम को भी संगठित कर रहा है। ग्रामीण युवा अपनी दक्षता को उन्नत बनाने के लिए इन कार्यक्रमों से लाभ उठा सकते हैं। • कुछ एसएयू ने डिप्लोमा/प्रमाण पत्र आधारित प्रशिक्षण पाठयक्रमों की शुरूआत की है। • बाकी पैरा 4.1 के अनुसार है। • बाकी पैरा 4.1 के अनुसार।	
35.	**पैरा 11–अन्य नीतिगत उपाय** 1) विद्यमान राज्य–भूमि उपयोग बोर्डों का पुनरूद्धार किया जायेगा और राज्य सरकारों द्वारा गठित की जाने वाली जिला स्तरीय भूमि उपयोग समितियों के साथ जोड़ा जाएगा ताकि किसानों को भूमि उपयोग पर अनुकूल सलाह प्रदान की जा सके।	• भूमि के वैज्ञानिक उपयोग तथा इसके सतत उपयोग हेतु भूमि उपयोग कर्ता एजेंसियों के बीच जागरूकता लाने के लिए लगभग सभी राज्यों में राज्य भूमि उपयोग बोर्डों का गठन किया गया है। कृषि भूमि का गैर कृषि उद्देश्यों के लिए परिवर्तन किए जाने को कम करने हेतु कदम भी उठाये गये हैं। एस एल यू बी के सुदृढ़ीकरण को	राज्य सरकारों को सलाह दी जा सकती है कि वे एस एल यू बी के साथ विधिवत हुई जिला स्तरीय भूमि उपयोग समितियों का गठन करें। आर के वी वाई जैसी विद्यमान स्कीमों के तहत एस एल यू बी, डी एल यू सी के क्षमता का निर्माण करने पर ध्यान दिया जाए ताकि ये परिस्थितिकीय, मौसम विज्ञान संबंधी और विपणन व्यापार कारकों को ध्यान में रखते हुए इष्टतम

क्र. सं.	राष्ट्रीय किसान नीति, 2007 पैरा संख्या और संक्षेप में नीतिगत प्रावधान और प्राथमिक जिम्मेवारी (पीआर) अथवा प्राथमिक समन्वयन (पीसी) वाले मंत्रालय/विभाग	कार्य योजना	
		पहले से कार्यान्वित अथवा कार्यान्वयनाधीन स्कीम/कार्यक्रम/कार्य	की जाने वाली आगे की कार्रवाई/किए जाने वाले प्रयास तथा कार्रवाई हेतु एजेन्सी/समन्वयक
	(डी ए सी)	पहले ही एम एम ए के तहत वित्त पोषित किया जाता है।	भूमि उपयोग को मानिटर कर सकें और इस पर सलाह दे सकें।
36.	2) पुष्पकृषि जड़ीय एवं कन्दीय फसलों, सुगंधित एवं औषधीय पौधों, मधुमक्खी पालन तथा रेशमकीट पालन पर प्रमुख बल। **(डी ए सी, एन एच एम,डी ओ एच एफ डब्ल्यू, ए वाई यू एस एच, एम ओ टी)**	• एनएचएम की स्थापना की गई है। • पुष्पकृषि, औषधीय और सुगंधित पौधों को क्षेत्र विस्तार कार्यक्रमों के माध्यम से बढ़ावा दिया जा रहा है जबकि जड़ीय एवं कंदीय फसलों के लिए बीज सामग्री के उत्पादन और आपूर्ति के जरिए सहायता प्रदान की जा रही है। एन एच एम के तहत मधुमक्खी पालन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। ग्रामीण एवं थोक बिक्री मंडियों के जरिए मण्डी संपर्कों पर विचार किया जाता है। टी एम एन ई के तहत मिनी मिशन–1 का उद्देश्य प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए पद्धतियों, केन्द्रक रोपण सामग्री और दक्षता उन्नयन पर सूचना प्रदान करके प्रौद्योगिकीय समर्थन प्रदान करना है।	**(कार्रवाईः कृषि एवं सहकारिता विभाग/डी ओ एल आर)** कृषि एवं सहकारिता विभाग विलम्ब को समाप्त करने के लिए एम आई एस की समीक्षा कर सकता है। राज्य स्तर पर इस उद्देश्य के लिए एक चक्रण निधि के तंत्र पर विचार किया जा सकता है जैसा कि कर्नाटक के मामले में है ताकि आर के वी वाई जैसी विद्यमान स्कीमों के तहत वित्त पोषण किया जा सके।
37.	3) एम आई एस को मजबूत बनाया जायेगा ताकि प्रसंस्करण और मंजूरी में तेजी लाई जा सके। **(डी ए सी)**		**(कार्रवाईः डी ए सी)**
38.	4) खाद्य सुरक्षा मुद्दे की मानिटरिंग करने के उद्देश्य से खाद्य सुरक्षा संबंधी एक मंत्रिमंडलीय समिति का गठन किया जाए। **(डी ओ एफ पी डी और मंत्रिमंडल सचिवालय)**		चूंकि मंत्रिमंडलीय समितियों का गठन मंत्रिमंडलीय सचिवालय द्वारा ही किया जाना है इसलिए डी ओ एफ पी डी खाद्य सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडल समिति के गठन के लिए आवश्यक प्रस्ताव शुरू कर सकता है।
39.	5) जीवन रक्षक दवाओं को निःशुल्क उपलब्ध कराया जायेगा। टी बी/एच आई वी/एड्स ग्रस्त किसानों के उपचार के दृष्टिकोण को ध्यान में रखा जायेगा और मरीजों तक भोजन पहुंचाया जायेगा। **एम ओ एच एफ डब्ल्यू और ए वाई यू एस एच**	• वस्त्र मंत्रालय में कपास और पटसन पर प्रौद्योगिकी मिशन स्थापित किया है तथा विभिन्न रेशम कीट पालन और रेशम क्षेत्र से संबंधित स्कीमें कार्यान्वित की जा रही हैं ताकि देश में कपास, जूट और रेशम के क्षेत्रों में उत्पादकता और गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार लाया जा सके।	**(कार्रवाईः डी ओ एफ पी डी)** ग्रामीण गैर कृषि रोजगार को बढ़ावा देने के लिए दक्षता आधारित प्रशिक्षण प्रणाली और व्यवसायिक शिक्षा के सुदृढ़ीकरण का कार्य किया जाए।
40.	6) कृषक परिवारों के लिए ग्रामीण गैर कृषि रोजगार	• वस्त्र मंत्रालय में रेशम संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन	**(कार्रवाईः डीएसी/डी ओ एल आर)**

क्र. सं.	राष्ट्रीय किसान नीति, 2007 पैरा संख्या और संक्षेप में नीतिगत प्रावधान और प्राथमिक जिम्मेवारी (पीआर) अथवा प्राथमिक समन्वयन (पीसी) वाले मंत्रालय/विभाग	कार्य योजना	
		पहले से कार्यान्वित अथवा कार्यान्वयनाधीन स्कीम/कार्यक्रम/कार्य	की जाने वाली आगे की कार्रवाई/किए जाने वाले प्रयास तथा कार्रवाई हेतु एजेन्सी/समन्वयक
	की शुरूआत, संगोष्ठी दृष्टिकोण अपनाया जायेगा। **(डी ओ आर डी)**	अवधारणात्मक चरण में है।	राज्यों को सलाह दी जा सकती है कि वे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार पर गैर कृषि उद्यमों के संभावित विकास के लिए बंजर भूमि और अवक्रमित भूमि की पहचान करें और उन्हें निर्धारित करें। **(कार्रवाईः डी ओ एल आर)**
41.	7) किसानों के लिए आय विकास दर मापी जायेंगी और उन्हें प्रकाशित किया जायेगा। **(डी ए सी)**	• पैरा 5.10 के तहत पहले से ही कवर है • कृषि एवं सहकारिता विभाग ने हाल ही में एन एफ एस एम कार्यान्वित की है।	सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के परामर्श से उपयुक्त तंत्र विकसित किया जाए ताकि समय–समय पर किसानों की आय विकास दरों का मूल्यांकन किया जा सके। **कार्रवाईः डी ए सी/एम ओ एस पी**
42.	8) पंचायतों को शक्ति सम्पन्न बनाने के लिए कार्यों और कर्मियों को अंतरित करने हेतु राज्य सरकारों को समर्थन। किसानों की समस्याओं को सुलझाने में पंचायतों को केन्द्रीय भूमिका प्रदान करने संबंधी कदम। **(डी ए सी, एम ओ पी आर)**	• खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। इनमे से कुछ कार्यक्रम हैंः पी डी एस, मध्यान्ह भोजन योजना, अंत्योदय, अन्नपूर्णा, समेकित बाल विकास सेवा स्कीम, एस जी आर वाई, काम के बदले अनाज कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियम, राष्ट्रीय पेयजल मिशन और राष्ट्रीय पौषणिकता मिशन, आयोडीन की कमी से होने वाले विकास के नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम, विश्व बैंक सहायता प्राप्त खाद्य संबंधी क्षमता निर्माण परियोजना, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और सूक्ष्म पोषकों संबंधी कुपोषण के नियंत्रण के लिए पायलेट कार्यक्रम आदि।	31 जिलों में एन एच एम, टी एम एन ई, टी एम सी, आइसोपोम, राज्य विस्तार कार्यक्रमों को समर्थन, एम एम ए, एन बी एम और पुर्नवास पैकेज के लिए निम्नलिखित पहलुओं में पंचायती राज संस्थाओं को केन्द्रीय भूमिका प्रदान करने के लिए संशोधित किए जाने वाली स्कीमों हेतु दिशा निर्देश :–
43.	9) कृषि, खाद्य सुरक्षा और कृषक कल्याण से संबंधित मुद्दों पर समय से और सटीक सूचना हेतु मीडिया को सहायता देने हेतु क्षेत्रीय मीडिया संसाधन केन्द्रों की स्थापना की जाएगी। **(डी ए सी)**	• राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कार्यान्वित किया गया है।	(क) जिला पंचायतों के परामर्श से फसलों और लाभार्थियों की पहचान।
44.	10) ग्रामीण उर्जा के लिए समेकित दृष्टिकोण **(एम ओ पी एवं एम ओ एन आर ई एस)**	• कृषक परिवारों सहित ग्रामीण क्षेत्रों में ''राष्ट्रीय एडस नियंत्रण कार्यक्रम'' और संशोधित राष्ट्रीय टी0बी0 नियंत्रण कार्यक्रम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।	(ख) पंचायतों और ग्राम सभाओं के जरिए प्रशिक्षण विस्तार एवं जागरूकता। (ग) पंचायती राज संस्था और ग्राम सभा की बैठकों में भाग लेना और उन्हें फीड बैक एवं आंकड़े प्रदान

क्र. सं.	राष्ट्रीय किसान नीति, 2007 पैरा संख्या और संक्षेप में नीतिगत प्रावधान और प्राथमिक जिम्मेवारी (पीआर) अथवा प्राथमिक समन्वयन (पीसी) वाले मंत्रालय/विभाग	कार्य योजना	
		पहले से कार्यान्वित अथवा कार्यान्वयनाधीन स्कीम/कार्यक्रम/कार्य	की जाने वाली आगे की कार्रवाई/किए जाने वाले प्रयास तथा कार्रवाई हेतु एजेन्सी/समन्वयक
		• विभिन्न कार्यक्रम और स्कीमें कार्यान्वयनाधीन हैं जैसेः एन आर ई जी ए, एस जी एस वाई, एस जी आर वाई आदि। • एम ओ एल एवं ई ने संसद में असंगठित क्षेत्रीय सामाजिक सुरक्षा विधेयक 2007, पेश किया है। • एन आर ई जी ए का उद्देश्य देश के चिन्हित जिलों में ग्रामीण क्षेत्रों के सभी वर्गो के परिवारों की जीविका सुरक्षा को बढ़ाना है। 1.4.2008 से पूरे देश को कवर करने के लिए स्कीम को बढ़ाये जाने का प्रस्ताव है। • एम ओ एफ पी आई की प्रस्तावित अवसंरचना विकास स्कीम प्रमुख्यतया फार्म स्तर और फार्म से जुड़े रोजगार के सृजन पर प्रकाश डालती है। • कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा कार्यान्वित सी एस एस के लिए विद्यमान दिशा निर्देशों में किए जाने वाले सुधारों की समीक्षा करने के लिए मंत्रिमंडलीय सचिवालय द्वारा एक समिति का गठन किया गया है ताकि पंचायती राज संस्थाओं को उनके नियोजन और कार्यान्वयन में उनकी केन्द्रीयता सुनिश्चित की जा सके। • कार्यों, कर्मियों एवं वित्तपोषण के मामले में पंचायतों को पर्याप्त अंतरण देने के लिए शक्ति के सुपुर्दगी के मुद्दे पर निर्णय लिया गया है। एन डी सी की सभी समितियों के समक्ष इन्हें रखा	करना। (घ) पंचायतों/ग्राम सभा के जरिए दी जाने वाली आवश्यक सहायता हेतु संवेदनशील कृषक परिवारों की पहचान करना। (ड़) सतत मृदा परीक्षण, जल प्रयोग, कुशलता, उर्वरक/कीटनाशी की गुणवत्ता, कृषि उत्पादों की गुणवत्ता/जागरूकता, जैविक उत्पाद का गुणवत्ता प्रमाणन तथा प्राकृतिक अपदाओं तथा असामान्य मौसमी स्थितियों से प्रभावी रूप से निपटने के तरीकों एवं साधानों के बारे में चयनित पंचायत सदस्यों का प्रशिक्षण का कार्य किया जा सकता है। **(कार्रवाईः डी ए सी एवं एम ओ आर पी)** एम ओपी आर निम्नलिखित बिन्दुओं के विशेष संदर्भ में सबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों और विभागों तथा राज्य सरकारों के परामर्श से पंचायती राज संस्थाओं की विशिष्ट केन्द्रीयता सुनिश्ति करने के लिए समन्वय का कार्य करेगीः • सामान्य सम्पदा और पनधारा संसाधनों तक पहुंचने और प्रबन्धन में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका (एनपीएफ 2007 के पैरा 4.2.1 के तहत)। **(कार्यवाहीः एमओपीआर/ डीओआरडी/डीओएलआर)**

क्र. सं.	राष्ट्रीय किसान नीति, 2007 पैरा संख्या और संक्षेप में नीतिगत प्रावधान और प्राथमिक जिम्मेवारी (पीआर) अथवा प्राथमिक समन्वयन (पीसी) वाले मंत्रालय/विभाग	कार्य योजना	
		पहले से कार्यान्वित अथवा कार्यान्वयनाधीन स्कीम/कार्यक्रम/कार्य	की जाने वाली आगे की कार्रवाई/किए जाने वाले प्रयास तथा कार्रवाई हेतु एजेन्सी/समन्वयक
		गया है और ये पंचायतों की एक राष्ट्रीय सहमति के रूप में प्रकट हुए हैं। • पंचायती राज्य मंत्री ने राज्यों का दौरा किया और राज्यों में पंचायती राज्य संस्थाओं की शक्ति सम्पन्नता के लिए रूप रेखा तैयार करके 23 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के साथ ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए • कृषि एवं सहकारिता विभाग कृषक समुदाय के जीवन में गुणात्मक परिवर्तन लाने के लिए एक सी एस एस "कृषि विस्तार को जन संचार समर्थन" कार्यान्वित करता है। दूरदर्शन ने किसानों, अधिकारियों और विशेषज्ञों को शामिल करते हुए "लाइव क्राप सेमिनार" आयोजित करने के नवीन प्रयास भी किए हैं। अन्य किसानों तक व्यापक रूप से लाभ पहुंचाने के लिए इन कार्यक्रमों को सीधे कवर किया गया। • सूचना और प्रसार मंत्रालय ने सामुदायिक रेडियो स्टेशन संबंधी नीति का कार्यान्वयन किया है। • उर्जा मंत्रालय ने 2005 में "राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना" शुरू की है जिसका उद्देश्य सभी गांवों को विद्युतीकृत करने और 2009 तक देश के सभी ग्रामीण परिवारों तक विद्युत पहुंचाने के लिए ग्रामीण विद्युत अवसंरचना का सृजन करना है। गांव और घरेलू विद्युतीकरण	• भूमि अधिग्रहण अधिनियम के प्रावधानों को महत्वपूर्ण भूमिका दिये जाने की जरूरत है। (एनपीएफ 2007 के पैरा 4.2.2. के तहत)। **(कार्यवाहीः एमओपीआर/डीओआरडी/डीओएलआर)** • वर्षा जल संचयन तथा एकीफायर रिचार्ज ढांचे/उपायों तथा जल उपयोगर्ति संघ आंदोलन के संवहन में जल संसाधनों के विकास और प्रबंधन में पाचयती राज संस्थानों की भूमि (एनपीएफ 2007 के पैरा 4.3 के तहत)। **(कार्यवाहीः एमओपीआर/एमओडब्ल्यूआर/डीओआरडी/डीएसी)** • ग्रामीण क्षेत्रों में शिशु निगरानी केन्द्रों को चलाने के लिए पंचायती राज संस्थाओं को उपयुक्त कोष और सहयोगी स्टाफ प्रदान किया जाये (एनपीएफ 2007 के पैरा 5.5 (9) के तहत। **(कार्यवाहीः एमओपीआर/एमओडब्ल्यूसीडी)** • विभिन्न बैंकों और बीमा कम्पनियों द्वारा किसानों के बीच बीमा स्कीम को लोकप्रिय बनाने में पंचायती राज संस्थाओं की सहभागिता (एनपीएफ 2007 के पैरा 5.9 के तहत)। **(कार्रवाहीः एमओपीएफ/एमओएफ)**

क्र. सं.	राष्ट्रीय किसान नीति, 2007 पैरा संख्या और संक्षेप में नीतिगत प्रावधान और प्राथमिक जिम्मेवारी (पीआर) अथवा प्राथमिक समन्वयन (पीसी) वाले मंत्रालय/विभाग	कार्य योजना	
		पहले से कार्यान्वित अथवा कार्यान्वयनाधीन स्कीम/कार्यक्रम/कार्य	की जाने वाली आगे की कार्रवाई/किए जाने वाले प्रयास तथा कार्रवाई हेतु एजेन्सी/समन्वयक
		के अतिरिक्त, इस उद्देश्य हेतु सृजित अवसंरचना का उन्नयन संबंधित उपयोगिता द्वारा किया जा सकता है ताकि कृषि एवं अन्य सम्बद्ध क्रियाकलापों की मांग को पूरा किया जा सके। • गैर परम्परागत उर्जा स्त्रोत मंत्रालय "समेकित ग्रामीण उर्जा कार्यक्रम"कार्यान्वित कर रहा है। नवीकरणीय उर्जा प्रणालियों/युक्तियों आदि के सीमित विस्तार के लिए समर्थन दिया जाता है। यह कार्यक्रम दसवीं योजना में जारी था और ग्यारहवीं योजना से आगे इस कार्यक्रम को किसी विद्यमान कार्यक्रम में समाहित करने का प्रस्ताव है।	• विशेष वर्गों के किसानों, जनजातीय किसानों और चरवाहों के लिए सामुदायिक खाद्यान्न बैंकों की स्थापना में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका (एनपीएफ 2007 के पैरा 5.10 के तहत)। **(कार्यवाहीः एमओपीआर/डीओएफपीडी)** • निराशाजनक स्थानों पर विशेष ध्यान देना (एनपीएफ 2007 के पैरा 8 के तहत)। **(कार्यवाहीः एमओपीआर/डीओआरडी)** • विभिन्न कृषि सम्बन्धित क्रियाकलापों में युवाओं को आकर्षित करने में पंचायतों की भूमिका (एनपीएफ 2007 के पैरा 10 के तहत)। **(कार्यवाहीः एमओपीआर/एमओएस तथा वाई ए)** • एन ओ वी ओ डी बोर्ड के परामर्श से दिशानिर्देश जारी किए जा सकते हैं ताकि घरेलू खपत की मांग को पूरा करने के लिए खाद्य तेल उत्पादन में सुधार लाते समय वृक्ष आधारित जैव–ईंधनों को प्रोत्साहित किया जा सकता है। **(कार्रवाईः डी ए सी)**

क्र. सं.	राष्ट्रीय किसान नीति, 2007 पैरा संख्या और संक्षेप में नीतिगत प्रावधान और प्राथमिक जिम्मेवारी (पीआर) अथवा प्राथमिक समन्वयन (पीसी) वाले मंत्रालय/विभाग	कार्य योजना	
		पहले से कार्यान्वित अथवा कार्यान्वयनाधीन स्कीम/कार्यक्रम/कार्य	की जाने वाली आगे की कार्रवाई/किए जाने वाले प्रयास तथा कार्रवाई हेतु एजेन्सी/समन्वयक
45.	**पैरा 12: नीति की प्रचलनात्मकता** यह सुनिश्चित करने के लिए कि नीति के तहत किए गए उपाय किसानों की समस्याओं को उद्घाटिक करें, किसानों से सतत फीडबैक के लिए एक प्रभावकारी तंत्र विकसित करने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित किया जाएगा। **(डीएसी)**	राष्ट्रीय किसान नीति, 2007 में निहित कई प्रावधान पहले से ही विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों तथा विभागों तथा राज्य सरकारों द्वारा कई केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों और कार्यक्रमों के जरिए कार्यान्वयनाधीन है। इसके अलावा कई स्कीमों और कार्यक्रम जैसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन/राष्ट्रीय कृषि विकास योजना को ग्यारहवीं योजना अवधि में शुरू किए जाने का प्रस्ताव है जो एक बार कार्यान्वित किए जाने से नीति की प्रचालनात्मकता को सुकर बनाते हुए चालू स्कीमों और कार्यक्रमों में वृद्धि होगी। इन स्कीमों और कार्यक्रमों के अलावा कृषि एवं संबंद्ध क्षेत्रों एंव विशेष/राहत/पुनर्वास पैकेजों से जुड़े विभिन्न कियाकलापों के लिए राज्यों को केन्द्रीय सहायता के लिए सम्मिलित कार्यवाही की जाती है। उनके नियंत्रणाधीन और अन्य स्वायत्त एजेंसियों के जरिए विभिन्न संगठनों, संस्थानों और अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से जब कभी अवसर आता है केन्द्रीय मंत्रालयों एवं विभागों द्वारा लगातार कार्यवाही की जाती है। किसानों के कल्याण के लिए नीतिगत प्रावधानों को कार्यान्वित करने के लिए इन चल रहे कार्यक्रमों का प्रभावी रूप से उपयोग किया जा सकता है। 29 मई 2007 को कृषि क्षेत्र के लिए विशेषकर	• सभी एजेंसियों के बीच राज्य स्तर पर समन्वित कार्यवाही की जरूरत है। आर के वी वाई के तहत मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली एक राज्य स्तरीय परियोजना मंजूरी समिति है। राज्य स्तर पर कृषि एवं सहकारिता विभाग के प्रतिनिधियों के साथ इस समिति को अधिदेशित भी किया जा सकता है ताकि आर के वी वाई/एन एफ एस एम आदि जैसी चल रही स्कीमों के प्रभावकारी सक्रियशीलता को सुनिश्चित करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय किसान नीति, 2007 के कार्यान्वयन की समीक्षा की जा सके। राष्ट्रीय किसान नीति, 2007 के कार्यान्वयन की समीक्षा करते समय अन्य महत्वपूर्ण मंत्रालयों के प्रतिनिधियों को भी इन समितियों की बैठकों में विशेष रूप से आमंत्रित किया जा सकता है। **(कार्रवाईः डी ए सी)** • पंचायतों के साथ मिलकर एक सकल खिड़की सुविधा रखने के प्रयास किए जाए ताकि किसानों को गुणवत्ता के प्रावधान और समय पर सेवा प्रदान की जा सके। **(कार्रवाईः डी ए सी/एम ओ पी आर)**

क्र. सं.	राष्ट्रीय किसान नीति, 2007 पैरा संख्या और संक्षेप में नीतिगत प्रावधान और प्राथमिक जिम्मेवारी (पीआर) अथवा प्राथमिक समन्वयन (पीसी) वाले मंत्रालय/विभाग	कार्य योजना	
		पहले से कार्यान्वित अथवा कार्यान्वयनाधीन स्कीम/कार्यक्रम/कार्य	की जाने वाली आगे की कार्रवाई/किए जाने वाले प्रयास तथा कार्रवाई हेतु एजेन्सी/समन्वयक
		आयोजित एन डी सी के निर्णयों के अनुसरण में सरकार ने दो नई स्कीमें शुरू की हैं अथार्त राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जिसका उद्देश्य कृषि एवं संबंद्ध क्षेत्रों में सार्वजनिक निवेश को बढ़ाने और सतत आधार पर आत्मनिर्भर बनाने के लिए खाद्यान्नों की उत्पादकता में सुधार लाने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करना है। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के लिए जिला कार्य योजनाओं में यथा परिलक्षित कृषि जलवायुवीय और अन्य स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए राज्य विशिष्ट विकेन्द्रीकृत कार्य नीति के जरिए राष्ट्रीय किसान नीति 2007 के साथ इन दो कार्यक्रमों के चलते रहने की अपेक्षा है। कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा एक अन्तर मंत्रालयी समिति का गठन किया गया है ताकि नीति की प्रचालनात्मकता संबंधित कार्य योजना को तैयार किया जा सके। समिति ने कार्य योजना तैयार कर ली है और इसकी रिपोर्ट भेज दी गई है। सभी केन्द्रीय मंत्रालयों और विभागों और राज्य सरकारों को उनकी ओर से उचित कार्रवाई करने के लिए कार्य योजना को परिचालित करने संबंधी कार्यवाही शुरू कर दी गई है।	• दक्षता विकास हेतु प्रस्तावित राष्ट्रीय मिशन के तहत उपलब्ध प्रावधान के साथ केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों द्वारा वित्त पोषित राज्य/जिला स्तर के दक्षता विकास कार्यक्रमों में सहक्रियाशीलता होनी चाहिए ताकि इसे मिशन मोड में एक संकेन्द्रित तरीके से चलाया जा सके। **(कार्रवाईः डी ए सी)** • विद्यमान मानिटरिंग तंत्र में सुधार प्राथमिकता का एक क्षेत्र है। एमओए, एमओडब्ल्यूआर, एमओआरडी केन्द्र और राज्य स्तर पर एक स्वतंत्र मानिटरिंग तंत्र के जरिए फ्लैगशिप/प्रमुख कार्यक्रमों की मानिटरिंग करने की एक प्रणाली विकसित कर सकती है। मानिटरिंग के परिणाम विभाग के वेबसाइट पर डाले जाऐं। **(कार्रवाईः डी ए सी, डेयर, डीएएचडी एवं एफ, एमओडब्ल्यूआर, एम ओ आर डी)** • आरकेवीवाई संबंधी मानिटरिंग योग्य परिणामों को दिशा निर्देशों में विर्निदिष्ट किया जा सकता है। परिणामों में से एक राज्य सरकारों द्वारा एनपीएफ का प्रभावकारी कार्यान्वयन होना चाहिए। सीमा जहां तक गत वर्षों में इन परिणामों को प्राप्त किया गया है, को अनुवर्ती वर्ष हेतु आरकेवीवाई के तहत वित्त

क्र. सं.	राष्ट्रीय किसान नीति, 2007 पैरा संख्या और संक्षेप में नीतिगत प्रावधान और प्राथमिक जिम्मेवारी (पीआर) अथवा प्राथमिक समन्वयन (पीसी) वाले मंत्रालय/विभाग	कार्य योजना	
		पहले से कार्यान्वित अथवा कार्यान्वयनाधीन स्कीम/कार्यक्रम/कार्य	की जाने वाली आगे की कार्रवाई/किए जाने वाले प्रयास तथा कार्रवाई हेतु एजेन्सी/समन्वयक
	राज्य सरकारों को समर्थन दिया जायेगा ताकि वे इस नीति के कार्यान्वयन के लिए अन्य जलवायुवीय और अन्य स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखकर जिला स्तर पर प्रचालनात्मक योजनाएं तैयार करें।	योजना आयोग ने पहले ही राज्यों को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं ताकि वे पहले चल रही स्कीमों और कार्यक्रमों को ध्यान में रखकर जिला कृषि योजनाएं तैयार करें।	पोषण के लिए एक मापदण्ड के रूप में शामिल किया जाए। **(कार्रवाईः डीएसी)** • विद्यमान दिशानिर्देशों के अनुसार सभी जिलों के लिए जिला कृषि योजनाएं तैयार की जाएं और उनका गहराई से मानिटरिंग की जाए।